मैनुवल संख्या–5

कृत्यों के निवहन हेतु नियम विनियम अनुदेश, निर्देश अभिलेख

जैसा कि मैनुवल संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है कि विभगीय स्तर पर प्रमुख रुप से 3 शाखाओं में कार्यो का विभाजन किया गया हैं।

1. प्रशासनिक अनुभाग
2. कार्यक्रम अनुभाग
3. प्रशिक्षण अनुभाग

इन तीनों शाखाओं में कृत्यों के निवहन हेतु मुख्य रुप से शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही की जाती है इसके अतिरिक्त शासन द्वारा बनाये गये अधिनियम/नियत/विनियमों का एवं नियमावलियों को आधार मानकर कार्यवाही की जाती है। प्रमुख रुप से उपलब्ध अधिनियम विनियम नियमावली एवं दिशा निर्देश शासनदेशों का विवरण निम्न प्रकार है.

1. शासनादेशों का संग्रह (एम0जी0ओ0)
2. विभिन्न पटलों पर सम्बंधित कार्यो के निर्वहन हेतु जारी शासनादेशों की गार्ड फाइल.
3. वित्तीय हस्तपुस्तिकायें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बंध में प्रमुख नियमावली है। उक्त के अतिरिक्त प्रसंग के अनुसार निम्नलिखित नियम संग्रहों में प्रतिनिधायन के बारे में उल्लेख किया गया है।
4. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4
5. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2

1. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग 1
2. सिविल सर्विस रेगुलेसल
3. बजट मैनुअल
4. भविष्य निधि नियमावली.
5. मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियमावली.
6. भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृत/संचालित निम्न योजनाओं के सम्बंध में जारी दिशा निर्देश(गाइड लाइन)
7. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
8. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
9. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना
10. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन
11. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
13. सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)
14. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम
15. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
16. विधायक निधि
17. दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना
18. इन्दिरा अम्मा भोजनालय
19. ग्राम श्री योजनानर्तगत पुरस्कारों का वितरण
20. उत्तराखण्ड सिमान्त एवं पिछडा क्षेत्र विकास निधि
21. मेरा गॉव मेरी सड़क
22. आइफैड–बाहय सहायतित परियोजना
23. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिये दिशा निर्देश

2. जनपदीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या 1842/XI/12/53(65)/2004/दिनांक 07–12–2012 द्वारा स्वीकृत पद (निम्न उल्लिखित पदों में उक्त शासनादेश 1842/ दिनांक 07–12–2012 के प्रस्तर–2 में निर्धारित व्यवस्थानुसार जनपद चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा बागेश्वर को छोड़कर प्रदेश के शेष 10 जनपदों में सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 01 (एक पद) प्रति जनपद (कुल 10 पद) भी उक्त जनपदों हेतु कुल स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है	वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 53/13 मे निर्णय पारित किये जाने पर उर्दू अनुवादको की संख्या को कम करते हुए जनपदों हेतु स्वीकृत पदों की संख्या, शासनादेश संख्या 1842/XI /12/53(65) / 2004/ दिनांक 07–12–2012 द्वारा स्वीकृत पद (निम्न उल्लिखित पदों में उक्त शासनादेश 1842/ दिनांक 07–12–2012 के प्रस्तर–2 में निर्धारित व्यवस्थानुसार जनपद चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा बागेश्वर को छोड़कर प्रदेश के शेष 10 जनपदों में सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 01 (एक पद) प्रति जनपद (कुल 10 पद) भी उक्त जनपदों हेतु कुल स्वीकृत पदों में सम्मिलित किया गया है	कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप 90/XXX (2)/2016–30 (51) 15 fnनांक 26 जुलाई, 2016 के माध्यम से प्रसारित संशोधित स्टांफिग पैटर्न के लागू होने पर मात्राकरण के फलस्वरूप जनपदवार पदों की स्थिति					
				कनिष्ठ सहायक 32%	व0स0 28%	प्रधान सहायक 18%	प्र0अ0 8%	व0 प्र0अ0 8%	मु0प्र0 अ0 06%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	अल्मोड़ा	47	43	14	12	08	03	03	03
2	बागेश्वर	16	16	05	05	03	01	01	01
3	नैनीताल	36	34	11	09	06	03	03	02
4	ऊधमसिंह नगर	35	30	10	09	05	02	02	02
5	पिथौरागढ़	36	35	11	10	06	03	03	02
6	चम्पावत	20	20	06	05	04	02	02	01
7	उत्तरकाशी	27	27	08	08	05	02	02	02
8	चमोली	39	37	12	10	07	03	03	02
9	टिहरी	35	32	10	09	06	03	02	02
10	देहरादून	30	30	10	08	05	03	02	02
11	पौड़ी	59	55	18	15	10	05	04	03
12	रुद्रप्रयाग	17	17	06	05	03	01	01	01
13	हरिद्वार	32	26	08	07	05	02	02	02
कुल योग		**429**	**402**	**129**	**112**	**73**	**33**	**30**	**25**

शासनादेश संख्या 473 / xi / 2004 दिनांक 16–6–2004 द्वारा स्वीकृत प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में पदों की स्थिति

क्र.स.	पदनाम / वेतनमान	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
	(क) प्रशिक्षण प्रकोष्ठ			
1	उपायुक्त / प्रशिक्षण प्रबन्धन	12000–375–16500	1	
4	कम्प्यूटर आपरेटर	4000–100–6000	2	
	(ख) प्रशिक्षण संवर्ग (राजपत्रित)			
8	आचार्य श्रेणी–1	10000–325–15200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक पद
9	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	8000–275–13500	24	रुद्रपुर, हवालबाग, हरिद्वार एवं पौड़ी हेतु चार–चार पद शेष संस्थानों हेतु दो–दो पद
	(ग) प्रशिक्षण संवर्ग (अराजपत्रित)			
10	वरिष्ठ प्रशिक्षक	5000–150–8000	20	रुद्रपुर, हवालबाग, हरिद्वार एवं पौड़ी हेतु तीन–'तीन पद शेष संस्थानों हेतु दो–दो पद
11	प्रशिक्षक / अनुदेशक	4500–125–7000	16	प्रत्येक संस्थान हेतु दो–दो पद
12	मैकेनिक निम्न श्रेणी / इलेक्ट्रीशियन	3200–85–4900	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक पद(शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7) च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च ,2011 की व्यवस्थानुसार चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती / नियुक्ति नहीं की जायेगी समूह "घ" के कार्य यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से कराये जायेगी की व्यवस्था की गयी हैं फलस्वरूप उल्लिखित व्यवस्थानुसार समूह "घ" के पद मृत संवर्ग के होगें।)
13	प्रदर्शक–प्रर्दशिका	3200–85–4900	16	प्रत्येक संस्थान हेतु दो–दो पद
14	प्रचार सहायक / पुस्तकालय सहायक	3050–75–3950–80–4590	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक पद
15	प्रशिक्षण सहायक(वेल्डर, बढ़ई, लोहार)	2610–60–3150–65–3540	20	रुद्रपुर, हवालबाग, हरिद्वार एवं पौडी हेतु तीन–'तीन पद शेष संस्थानों हेतु दो–दो पद
16	हैमर मैन	2550–55–2660–60–3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक पद(शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7) च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च ,2011 की व्यवस्थानुसार चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती / नियुक्ति नहीं की जायेगी समूह "घ" के कार्य यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से कराये जायेगी की व्यवस्था की गयी हैं फलस्वरूप उल्लिखित व्यवस्थानुसार समूह "घ" के पद मृत संवर्ग के होगें।)
18	माली / हलवाहा	2550–55–2660–3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक पद(शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7) च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च ,2011 की व्यवस्थानुसार चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती / नियुक्ति नहीं की जायेगी समूह "घ" के कार्य यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से कराये जायेगी की व्यवस्था की गयी हैं फलस्वरूप उल्लिखित व्यवस्थानुसार समूह "घ" के पद मृत संवर्ग के होगें)
	(घ) कार्यालय स्टाफ			
22	कम्प्यूटर आपरेटर	4000–100–6000	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक
24	लैब सहायक / पुस्तकालय सहायक	2550–55–2660–60–3200	4	रुद्रपुर,हवालबाग,हरिद्वार एवं पौड़ी हेतु एक–एक पद (शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7) च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च ,2011 की व्यवस्थानुसार चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती / नियुक्ति नहीं की जायेगी समूह "घ" के कार्य यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से कराये जायेगी की व्यवस्था की गयी हैं फलस्वरूप उल्लिखित व्यवस्थानुसार समूह "घ" के पद मृत संवर्ग के होगें।)

26	रसोईया	2550—55—2660—60——3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक पद (शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7) च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च ,2011 की व्यवस्थानुसार चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी समूह "घ" के कार्य यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से कराये जायेगी की व्यवस्था की गयी हैं फलस्वरूप उल्लिखित व्यवस्थानुसार समूह "घ" के पद मृत संवर्ग के होगें।)
27	बर्तन स्वच्छक	2550—55—2660—60——3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक–एक पद(शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7) च0श्र0/2011 दिनांक 24 मार्च ,2011 की व्यवस्थानुसार चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी समूह "घ" के कार्य यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से कराये जायेगी की व्यवस्था की गयी हैं फलस्वरूप उल्लिखित व्यवस्थानुसार समूह "घ" के पद मृत संवर्ग के होगें।)

1. उपरोक्त प्रस्तर–1 के अनुसार कुल सृजित पदों में से निम्न पद जो कि नये पद हेतु अस्थायी प्रकृति के पद हैं तथा इन्हें भी समाप्त किया जा सकता है।

क्र।स	पदनाम/वेतनमान	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	उपायुक्त/ प्रशिक्षण प्रबन्धन	12000—375—16500	1
2	आचार्य	10000—325—15200	3
3	मैकेनिक निम्न श्रेणी /इलेक्ट्रीशियन	3200—85—4900	3
4	प्रचार सहायक/पुस्तकालय सहायक	3050—75—3950—80—4590	3
9	कम्प्यूटर आपरेटर	4000—100—6000	10
11	रसोईया	2550—55—2660—60——3200	3
12	बर्तन स्वच्छक	2550—55—2660—60——3200	4

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1037/XI/15/53(07)11 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा ग्राम्य विकास विभाग में गठित ''गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ'' हेतु जनपदवार सृजित पद

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	लेवल	टिहरी	पौड़ी	उधम सिंह नगर	बागेश्वर	अल्मोड़ा	रूद्रप्रयाग	नैनीताल	पिथौरागढ़	चमोली	हरिद्वार	देहरादून	उत्तरकाशी	चम्पावत	कुल योग
01	सहायक अभियन्ता	56100-177500	लेवल 10	1	1	1	2	1	0	1	0	0	1	2	1	0	11
02	अर्थ एवं संख्याधिकारी	56100-177500	लेवल 10	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	7
01	सहा0 संख्याधिकारी	35400-112400	लेवल 06	1	1	1	1	1	1	0	1	3	1	2	1	1	15
02	आशु लेखक	29200-92300	लेवल 05	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	9
03	कार्यालय अधीक्षक	35400-112400	लेवल 06	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11
04	कनिष्ठ अभियन्ता	35400-112400	लेवल 06	1	0	1	1	0	0	1	1	1	2	2	0	0	10
05	अन्वेषक (तकनीकी)	35400-112400	लेवल 06	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
06	लेखाकार	35400-112400	लेवल 06	2	2	0	0	1	1	2	0	2	2	2	2	0	16
07	सहायक लेखाकार	29200-92300	लेवल 05	3	1	1	1	2	1	1	3	5	2	3	2	1	26
08	कनिष्ठ लेखा लिपिक	19900-63200	लेवल 02	0	3	0	0	4	0	4	0	0	2	0	2	0	15
09	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	लेवल 03	8	2	0	1	5	2	5	5	3	2	5	3	1	42
10	वाहन चालक	21700-69100	लेवल 03	2	0	0	1	0	0	2	1	2	1	1	2	1	13
01	अनुसेवक	18000-56900	लेवल 01	3	3	0	0	4	0	4	3	4	2	4	3	0	30
	कुल योग			24	16	6	7	20	7	22	16	22	18	25	19	7	209

संख्या 1320 / XI / 2008 / 53(65) 2004

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवामें,

आयुक्त,
ग्रॉम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौडी.

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 10 दिसम्बर 2008,

विषयः विभागीय संरचनाओं के पूर्नगठन के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौडी द्वारा समय–समय पर विभागीय संरचानाओं के पुर्नगठन से सम्बन्धित शासन को संदर्भित प्रस्तावों एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभागीय संरचानाओं के पुर्नगठन के सम्बन्ध में यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अर्न्तगत ग्राम्य विकास निदेशालय तथा जनपद स्तरीय / विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों हेतु पूर्व में सृजित लिपिक वर्ग, आशुलिपिक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी, लेखा संवर्ग तथा निदेशालय के वित्त सेवा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के विभागीय संरचना को निम्नानुसार पुर्नगठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

तालिका(1)

ग्राम्य विकास निदेशालय (वित्त सेवा / लेखा परीक्षक / मिनिस्ट्रीयल संवर्ग / चतुर्थ श्रेणी)							
शाशनादेश संख्या 610 / XI / 05 53(65)04 दिनांक 24–6–2005 के अनुसार				पुर्नगठन के फलस्वरूप सृजित पदो की संख्या	दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	सदृश्य ग्रेड वेतन (रूपये में)	अभ्युक्ति
कस.	पदनाम	वेतनामान (रूपये में)	सृजित पदों की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वित्त नियत्रक	संवर्गानुसार	0	1	संवर्गानुसार	–	वित्त सेवा के संवर्गानुसार निर्धारित वेतनमान के अनुसार
2.	सहायक लेखाधिकारी	7450–11500	3	2	वेतन वैन्ड –2 9300–34800	4600	प्रादेशिक लेखा संवर्ग से पूर्ति होगी
3	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (पूर्व पद नाम सहायक संम्प्रेक्षण अधिकारी	7450–11500	2	3	वेतन वैन्ड–2 9300–34800	4600	विभागीय
4	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक(पूर्व पद नाम वरिष्ठ लेखा परीक्षक)	5500–9000	2	3	वेतन वैन्ड–2 9300–34800	4200	विभागीय
5	लेखा परीक्षके	4500–7000	4	6	वेतनवैन्ड–1 5200–20200	2800	विभागीय
6	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I	5500–9000.	1	1	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200	विभागीय
7	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II	5000–8000	2	2	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200	विभागीय
8	मुख्य सहायक	4500–7000	2	4	वेतन बैन्ड–1	2800	विभागीय

					5200–20200		
9.	प्रवर सहायक	4000–6000	3	4	वेतन बेन्ड–1 5200–20200	2400	विभागीय
10	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5500–9000	0	0	वेतन बैन्ड– 2 9300–34800	4200	मृत घोषित
11.	कनिष्ठ सहायक(पूर्व पदनाम कनिष्ठ लिपिक/सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050–4590	10	7	वेतन वैन्ड–1 5200–20200	1900	विभागीय
12.	अनुसेवक	2550–3200	14	14	–1एस 4440–7440	1300	विभागीय
13	स्वच्छक/चौकीदार	2550–3200	2	2	–1एस 4440–7440	1300	
	योग		**45**	**49**			

तलिका –(2)

वाहन चालक संवर्ग (निदेशालय/जनपद/विकास खण्ड कार्यालय एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों /प्रकोष्ट)										
	शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनांक 24–6–2005 एवं शासनादेश संख्या 473/XI/0465(13)03 दिनांक 16–6–2004 के अनुसार			पुर्नगठन के फल स्वरूप सृजित पदों की संख्या	सृजित 135 पदों के सापेक्ष कार्यरत 86 पदों पर स्टाफिंग पैटर्न निम्नवत लागू होगा–					
क्र स.	पद नाम	वेतनमान (रूपये में)	सृजित पदों की संख्या		ग्रेड/ पदनाम	दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	सदृश्य ग्रेड वेतन (रूपयेमें)	पदों का प्रतिशत	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ग्राम्य विकास निदेशालय	3050–4590	5		वाहन चालक ग्रेड–4	वेतन वेन्ड–1 5200–20200	1900	35	30	सृजित पदों को वर्गीकरण पूर्व में निर्गत
2	मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय हेतु सृजित पद	3050–4590	121	135	वाहन चालक गेड–3	वेतन बैन्ड–1 5200–20200	2400	30	26	शासनदेश दिनांक 24–6–2005 एवं दिनांक 16–6–2004 के अनुसार किया जायेगा
3	प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	3050–4590	1		वाहन चालक गेड–2	वेतन वेन्ड–1 5200.20200	2800	30	26	
4	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रो हेतु	3050–4590	8		वाहन चालक ग्रेड–1	वेतन वैन्ड –2 9300.34800	4200	5	4	
	योग		**135**	**135**					**86**	शेष 49 पद उपशुल से भरे

तलिका(3)

आशुलिपिक संवर्ग (निदेशालय/जनपदीय कार्यालय)										
`कस	शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65) 04 दिनांक 24–6–2005 के अनुसार			पुर्नगठन के फलस्वरूप सृजित पदो की संख्या	सृजित 30 पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों पर स्टाफिग पैटर्न निम्नवत लागू होगा					अभ्युक्ति
	पदनाम	वेतनमान रूपये में	सृजित पदों की संख्या		पदनाम	दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0में)	पदों का प्रतिशत	पदों की संख्या	

						(रूपये में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	ग्राम्य विकास निदेशालय	5000.8000	1	30	आशुलिपिक ग्रेड–2	वेतन बैन्ड–1 5200.20200	2400	50	15	सृजित पदों का बर्गीकरण पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 24–6–2005 के अनुसार किया जायेगा
2	ग्राम्य विकास निदेशालय	4000–6000	3		आशुलिपिक ग्रेड–1	वेतन बैन्ड–2 9300–. 34800	4200	30	9	
3	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय हेतु	5000–8000	13		वैयक्तिगत सहायक ग्रेड–2	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200	15	5	
4	जिला विकास अधिकारी कार्यालय हेतु	4000–6000	13		वैयक्तिगत सहायक ग्रेड–1	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200	5	1	
	योग		30	30					30	

तलिका (4)
ग्राम्य विकास निदेशालय, जनपद तथा विकास खण्डों में लेखा सवंर्ग के पदों का विवरण

					पुर्नगठन के फलस्वरूप सृजित पदों की संख्या				
क्र. स.	शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65)04 दिनांक 24–6–2005 के अनुसार				लेखाकार, सहायक लेखाकार तथा कनिष्ठ लेखा लिपिक के क्रमशः सृजित 14, 226, 145, अर्थात कुल 385 सृजित पदो के सापेक्ष लेखाकार तथा सहायक लेखाकार के क्रमशः 14 एवं 204 भरे पदों एवं सहायक लेखाकार के वेतनमान में कार्यरत 132 कनिष्ठ लेखा लिपिकों के पदों को सम्मिलित करते हुये कुल 350 पदों के सापेक्ष स्टाफिग पैर्टन निम्नानुसार किया जाता है–				अभ्युक्ति
	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	सृजित पदों की संख्या	पदनाम	दिनांक 1.1. 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रूपये में)	पदों का प्रतिशत	पदों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम्य विकास निदेशालय								
1.	वरिष्ठ लेखाकार	5500–9000	1		–	–	–	–	–
2.	लेखाकार	5500–9000	1	लेखाकार	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200	80	280	स्टाफिग पैर्टन के अनुसार स्वीकृत किये जा रहे कुल 350 पदों में से प्रत्येक विकास खण्ड हेतु तीन–तीन पद एवं जनपद रूद्रप्रयाग चम्पावत एवं बागेश्वर हेतु तीन–तीन पद शेष जनपदो हेतु पाच–पांच पद व निदेशालय हेतु छः पद आबंटित किये जाते हैं सहायक लेखाकारों/लेखाकारों की तैनाती विकास खण्डों /जिला विकास कार्यालयों की आवश्यकता अनुसार उक्त आबंटित सीमा में
3	सहायक लेखाकार	4500–7000	1	सहायक लेखाकार	वेतन बैन्ड–1 5200–20200	2800	20	70	
	जनपद कार्यालयों हेतु तथा विकास खण्ड कार्यालयों हेतु								
1.	लेखाकार	5500–9000	13						
2.	सहायक लेखाकार	4500–7000	225						

									विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेगी
3	कनिष्ठ लेखा लिपिक	3050—4590	145	कनिष्ठ लेखा लिपिक	वेतन बैन्ड—1 5200—20200	1900	मृत संबर्ग	13	वर्तमान तैनाती के अनुसार सेवा निवृत्त / पदोन्नति जो भी पहले हो की तिथि को समाप्त हो जायेगा
	योग		**386**					**363**	

तालिका (5)

जनपद स्तर पर जिला विकास कार्यालर्य / विकास खण्ड कार्यालयों के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग							
शासनादेश सं0 610 / XI / 05 53(65)04 दिनांक 24.6.2005 के अनुसार				पुनर्गठन के फलस्वरूप सृजित पदों की सं0	दिनांक 1.1. 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (रू0 में)	सादृश्य ग्रेड वेतन(रू0 में)	अभ्युक्ति
क0 सं0	पदनाम	वेतनमान(रू0 में)	सृजित पदों की सं0				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500—10500	—	10	वेतन बैन्ड—2 9300—34800	4200	जनपद चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा बागेश्वर को छोडकर प्रदेश के 10 जनपदों हेतु एक—एक पद कनिष्ठ सहायकों के पूर्व में सृजित पदों में से 10 पदों को आस्थगित करते हुये.
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—1	5500—9000	—	13	वेतन बैन्ड—2—9300—34800	4200	प्रत्येक जनपद के लिये एक एक पद
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—11	5500—8000	13	13	वेतन बैन्ड—2 9300—34800	4200	प्रत्येक जनपद के लिये एक एक पद
4	मुख्य सहायक	4500—7000	36	108	वेतन बैन्ड—1 5200—20200	2800	प्रत्येक जनपद एवं विकास खण्ड के लिये एक—एक
5	प्रवर सहायक	4000—6000	208	121	वेतन बैन्ड—1 5200—20200	2400	प्रत्येक जनपद हेतु दो—दो एवं विकास खण्ड हेतु एक—एक पद
6	कनिष्ठ सहायक / सह डाटा इन्ट्री आपरेटर(पूर्व पद नाम कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर आपरेटर / उर्दू अनुवादक	3050—4590	140	124	वेतन बैन्ड —1 5200—20200	1900	प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक—एक पद एवं जनपद रूद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर हेतु तीन—तीन पद शेष जनपदों हेतु दो—दो पद
7	अनुसेवक / पत्र वाहक	2550—3200	294	294	—1 एस 4440—7440	1300	प्रत्येक जनपदीय कार्यालय हेतु आठ—आठ पद तथा प्रत्येक विकास खण्ड हेतु दो—दो पद
8	स्वच्छक सह चौकीदार	2550—3200	88	88	—1 एस 4440—7440	1300	कार्यरत कार्मिको के अतिरिक्त पदों को आउट सोर्सिंग से भरा जाय. कार्यरत पदधारकों के पदोन्नति / सेवा निवृत्त होने पर पद समाप्त हो जोयगे.
9	पेड अप्रेन्टिस	3050 / —प्रतिमाह	1	1	3050 / प्रतिमाह	—	मृत संवर्ग
	योग		**780**	**772**			

2– वाहन चालक सवंर्ग में सृजित पदो ंके सापेक्ष कार्यरत पदधारकों को शासनादेश संख्या 108/XXVII(7) 2006 दिनांक 03–7–2006 के प्राविधानों के अनुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये स्टाफिंग पैर्टन के अनुरूप पदोन्नति का लाभ प्रदत्त किया जायेगा. शेष पद उपसुल से भरे जायेंगे.

3– आशुलिपिक संवर्ग मुें सृजित पदो ंके सापेक्ष कार्यरत पदधारकों को शासनादेश संख्या 110/XXVII (7) /2006 दिनांक 29–6–2006 के प्राविधानों के अनुसार स्टाफिग पैर्टन के अनुरूप पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जायेगा.

4. लेखा संब्रर्ग में स्टाफिग पैर्टन के अनुसार सृजित किये गये पदो ंके सापेक्ष पदोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 400/XI/04/53 (43)2004 दिनाक 21–8–2004 एवं शासनादेश संख्या 529/XI/04 53 (43)/2004 दिनांक 21–7–2006 में दिये गये निर्देशानुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास, द्वारा नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी.

5– मिनिस्ट्रीयल संबर्ग हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 के सृजित पदों पद पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II के कार्मिकों की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता के आधार पर आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा की जायेगी.

6. तालिका–5 के क्रमांक –06 में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री आपरेटर/उर्दू अनुवादक के कुल सृजित पदों में से जनपद देहरादून हेतु आबंटित पदो के सापेक्ष जनपद में कार्यरत उर्दू अनुवादकों की संख्या की सीमा तक उर्दू अनुवादक संर्बग के पद रहेगें.

7–शासनादेश संख्या 610/XI/05 53(65) 04 दिनांक 24–6–2005 द्वारा गठित ग्राम्य विकास विभाग का संरचनात्मक स्वरूप उक्त सीमा तक पुर्नगठित किया जाता है. खण्ड विकास अधिकारी संबर्ग एवं ग्राम विकास अधिकारी संब्रर्ग का ढांचा अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत रहेगा.

8–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1529/XXVII–7/2008 दिनांक 10दिसम्बर 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय
ह0/
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या 1320/(1)/XI/008 53 (65) 2004 तददिनाकित
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून.
1.2 प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन.
1.3 आयुक्त, गढवाल मण्डल–पौडी/कुमायूं मण्डल–नैनीताल.
1.4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
1.5 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड.
1.6 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड.
1.7 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी ग्रेड देहरादून.
1.8 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून.
1.9 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्रीजी के अवलोकनार्थ.
1.10 निजी सचिव, मा. ग्राम्य विकास मंत्री उत्तराखण्ड को मा. मंत्रीजी के अवलोकनार्थ.
1.11 निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ.
1.12 वित्त(व्यय नियन्त्रक) अनुभाग–4,/7 उत्तराखण्ड शाासन
1.13 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून.
1.14 गार्ड फाइल.

आज्ञा से

ह0/–

(एन.एस. नेगी)
अपर सचिव

संख्या 610/XI/05/53(65)/2004

प्रेषक

पी0के0महान्ति
सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवामें,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौडी

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादून दिनांक 24 जून 2005

विषयः– ग्राम्य विकास विभाग के निदेशालय एवं जनपद कार्यालयों का पुनर्गठन.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 960/1–स्था0/पद संरचना/2002–03 दिनांक 06.08.2002 एवं पत्र संख्या आर–1683/4–3–45/रिक्त पद/2004–05 दिनांक 13.12.2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य सृजन के पश्चात शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 149/व0ग्रा0वि0वि0/2001 दिनांक 27.8.2001 के द्वारा ग्राम्य विकास पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभागों को पुर्नगठित करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय की स्थापना की गयी थी. पंचायतीराज विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का पृथक–पृथक शासनादेशों के द्वारा पुर्नगठन किये जाने एवं इनके अलग से विभागाध्यक्ष घोषित किये गये है. जिसके फलस्वरुप उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.8.2001 एवं ग्राम्य विकास विभाग हेतु पदो के सृजन सेसम्बंधित पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अजितक्रमित करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महादेय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पर्वू में स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त	पदेन	पदेन	पदेन	प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन आयुक्त, ग्राम्य विकास के रुप में ग्राम्य विकास विभाग के विभागाध्यक्ष होगे
2	अपर आयुक्त(पीडीएस)	14300–400–18300	1	1	ग्राम्य विकास राजपत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी.
3	उपायुक्त(उप विकास आयुक्त)	1200–375–16500	3	2	ग्राम्य विकास राजपत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी.
4	सहायक आयुक्त(जि0वि0अ0)	10000–325–15200	3	3	ग्राम्य विकास राजपत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी.
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी	10000–325–15200	1	–	मृत घोषित.
6	सहायक लेखाधिकारी	6500–200–10500	3	3	प्रदेशिक लेखा संवर्ग से पूर्ति होगी
7	वरिष्ठ लेखाकार	5500–175–9000	–	1	विभागीय लेखाकार की राज्य स्तरीय ज्येष्टता के आधार पर अनुपयुक्त को छोडते हुए वरिष्ठता के आधार पर पूर्ति होगी.
8	लेखाकार	5000–150–8000	1	–	विभागीय
9	सहायक लेखाकार	4000–100–6000	–	1	विभागीय
10	सहायक सम्प्रेक्षण अधिकारी	6500–200–10500	02	02	विभागीय
11	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	5000–150–8000	2	2	विभगीय
12	लेखा परीक्षक	4000–100–6000	4	4	विभागीय
13	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–I	5500–175–9000	1	1	विभागीय
14	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II (पूर्वपदनाम कार्यालय अधीक्षक)	5000–150–8000	2	2	विभागीय
15	मुख्य सहायक(पर्वू पदनाम	4500–125–7000	2	2	विभागीय

	वरिष्ठ सहायक)				
15	प्रवरसहायक(पूर्वपद नाम वरिष्ठ लिपिक)	4000–100–6000	–	3	विभागीय
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5500–175–9000	01	–	मृत घोषित
17	कनिष्ठ सहायक(पूर्व पदनाम कनिष्ट लिपिक / सहडाटाइन्ट्रीआपरेटर / कम्प्यूटर आपरेटर	3050–75–3950–80–4590	11	10	–
18	आशुलिपिक	5000–150–8000	–	1	अपर आयुक्त के साथ रहेगें.
19	आशुलिपिक	4000–100–6000	4	3	निदेशालय में तैनात अन्य अधिकारियों के साथ
20	वाहन चालक	3050–75–3950–80–4590	02	05	–
21	अनुसेवक / पत्रवाहक	2550–55–2660–60–3200	14	14	–
22	स्वच्छक / चौकीदार	2550–55–2660–60–3200	2	2	–
	योग	–	**58**	**63**	–

(1) ग्राम्य विकास विभाग का मुख्यालय पर्वू की भांति जनपद गढवाल के मुख्यालय पौडी में स्थापित रहेगा.

(2) पूर्व की भांति आयुक्त,ग्राम्य विकास इस विभाग के विभागाध्यक्ष होगें. जिसका पदेन कार्यभार प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास के पास रहेगा.

(3) निदेशालय हेतु उक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय–भार वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2515–निदेशल तथा प्रशासन–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनेत्तर –03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान से वहन किया जायेगा.

(ख) जनपद स्तर पर जिला विकास कार्यालय/विकास खण्ड कार्यालयों की संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य विकास अधिकारी	10650–325–15850	3	3	ग्राम विकास राजपत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति की जायेगी
2	जि0वि0अ0/परि0निदेश0	10000–325–15200	25	26	13 पद अस्थाई प्रकृति के होगें तथा इनकी तैनाती जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में परियोजना निदेशक के रुप में प्रतिनियुक्ति हेतु
3	खण्ड विकास अधिकारी	8000–275–13500	117	117	22 पद अस्थाई प्रकृति के होगें तथा डीआरडीए में सहायक परियोजना अधिकारी के रुप में प्रतिनियुक्ति हेतु
4	सयुक्त खण्ड विकास अधिकारी (मृत संवर्ग)	5000–150–8000	34	34	सयुक्त खण्ड विकास अधिकारी पद मृत घोषित किया जाता है तथा पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त होते रहेगें.
5	सहायक खण्ड विकास अधिकारी(पूर्वपदनाम स.वि.अ.)	4500–125–7000	123	190	प्रत्येक विकास खण्ड में दो सहायक विकास अधिकारी तैनात होगें.
6	ग्राम विकास अधिकारी	3200–85–4900	1060	950	ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग मृत घोषित है तथा पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त होते रहेगें.
7	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–।।(पूर्वपदनाम प्रधान लिपिक)	5000–150–8000	10	13	प्रत्येक जनपद में एक पद
8	मुख्य सहायक(पूर्वपदनाम वरिष्ठ सहायक)	4500–125–7000	36	36	पूर्व व्यवस्था के अनुसार
9	प्रवर सहायक(पूर्वपदनाम वरिष्ठ लिपिक)	4000–100–6000	208	208	पूर्व व्यवस्था के अनुसार
10	कनिष्टसहायक (पूर्वपदनाम कनिष्ट लिपिक कम्प्यूटर आपरेटर /उर्दू अनुवादक)	3050–75–3950–80–4590	128	140	पूर्व व्यवस्था के अनुसार
11	लेखाकार	5000–150–8000	10	13	प्रत्येक जनपद कार्यालय में एक पद तैनाती आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा की जायेगी.
12	सहायक लेखाकार	4000–100–6000	237	225	शासनादेश संख्या 400 दिनांक 21.8.2004 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही संचालित की जायेगी. नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास होगें. प्रत्येक विकास खण्ड कार्यालय एवं जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत एवं उत्तरकाशी के जिला विकास कार्यालय हेतु दो–दो शेष जनपदों के जिला विकास कार्यालय हेतु तीन–तीन पद. विकास खण्डों एवं जिला विकास कार्यालयों में रोकडिया का कार्य सहायक लेखाकारों द्वारासम्पादित किया जायेगा.
13	कनिष्ट लेखा लिपिक(मृत संवर्ग)	3050–75–3050–80–4590	185	145	कनिष्ट लेखा लिपिक का पद मृत संवर्ग घोषित किया गया है तथा पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त होते रहेगे.
14	आशुलिपिक	5000–150–8000	–	13	प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के साथ एक पद
15	आशुलिपिक	4000–100–6000	24	13	प्रत्येक जनपद में जिला विकास अधिकारी के साथ एक पद
16	अनुसेवक/पत्रवाहक/चौकीदार(जिला विकास कार्यालय हेतु)	2550–55–2660–60–3200	322	294	प्रत्येक विकास खण्ड हेतु दो–दो तथा मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास कार्यालय हेतु प्रत्येक कार्यालय में आठ–आठ पद
17	स्वच्छक–सह–चौकीदार	2550–55–2660–60–3200	107	88	स्थाई प्रकृति के 88 पदों के अतिरिक्त 33 पदों पद संविदा पर कार्मिक रखे जायेगें.
18	वाहन चालक	3050–75–3950–80–4590	120	121	प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी एवंजिला विकास अधिकारी हेतु एक–एक पद तथा प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक–एक
19	पेड अप्रेन्टिस (मृत संवर्ग)	3050 प्रतिमाह	5	1	पद मृत घोषित किया जाता है तथा पद रिक्त होनें पर स्वतः समाप्त हो जायेगा.
	योग	–	**2754**	**2630**	

जनपद स्तरीय कार्यालयों हेतु उक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय–भार वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के लेखाषीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–102–सामुदायिक विकास–आयोजनेत्तर–03 अधिष्ठान के अर्न्तगत वहन किया जायेगा.

(ग) उत्तरांचल सचिवालय हेतु सृजित पदः–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7
1	सयुक्त सचिव	14300–400–18300	–	1	ग्राम्य विकास राजपत्रित अधिकारी सेवा संवर्ग से इसकी पूर्ति होगी.
	योग	–	–	**1**	
	निदेशालय,जनपद एवं सचिवालय हेतु सृजित होने वाले कुल पद		**2812**	**2694**	

उपरोक्तानुसार ग्राम्य विकास निदेशालय हेतु 63 पद जिला स्तर/विकास खण्डों के कार्यालयों हेतु 2630 पद जिनमें जिला विकास अधिकारी के 13 पद तथा खण्ड विकास अधिकारी के 22 पद अस्थाई होगें. उत्तरांचल सचिवालय हेतु स्वीकृत संयुक्त सचिव का 01 पद ग्राम्य विकास राजपत्रित सेवा संवर्ग के अधिकारी से भरा जायेगा. यह विभाग ग्राम्य विकास विभाग कहा जायेगा.

5. ग्राम्य विकास विभ्ज्ञाग से समय–सयम पर विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति अवधि के लिये ये पद ग्राम्य विकास संवर्ग में अतिरिक्त माने जायेगें.
6. जिला विकास कार्यालय एवं खण्ड विकास कार्यालयों में मुख्य सहायक(पूर्व पदनाम वरिष्ठ सहायक), प्रवर सहायक(पूर्वपदनाम वरिष्ठ लिपिक) तथा कनिष्ट सहायक(पूर्वपदनाम कनिष्ट लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर/उर्दू अनुवादक) के पदों का आवश्यकतानुसार जनपदवार विभाजन आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा.
7. ग्राम्य विकास निदेशालय हेतु पूर्व में स्वीकृत कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद मृत संवर्ग घोषित किया जाता है. तथा जनपद स्तर स्वीकृत सयुक्त खण्ड विकास अधिकारी एवं पेड अप्रेन्टिस के पदों को भी मृत संवर्ग घोषित किया जाता है. इन पदों पर भविष्य में कोई नयी नियुक्तियां नहीं की जायेगी तथा किसी भी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा.
8. सयुक्त सचिव का वेतनएवं अन्यभत्ते सचिवालय प्रशासन के मदसे संगत लेषाशीर्षक से आहरित किया जायेगा.
9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 281/वि0अनु0–2/2005 दिनांक 22 जून 2005 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 473 / XI / 2004 / 65(13) / 2003

प्रेषक,

विभापुरी दास
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवामें,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौडी

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 16 जून 2004

विषयः—उत्तरांचल में प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ एवं पांच क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों एवं तीन जिला ग्राम्य विकास संस्थानों को प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के रुप में विकसित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों का पुर्नगठन.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के अर्न्तगत 5 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान यथा हरिद्वार,पौडी,रुद्रपुर,हबालबाग एवं हल्द्वानी तथा 03 जिला ग्राम्यविकास संस्थानों क्रमशः शंकरपुर(देहरादून) गोपेश्वर (चमोली) एवं थरकोट(पिथौरागढ) में एक रुपता लाने हेतु जिला ग्राम्य विकास संस्थानों को समकक्ष स्तर पर लाते हुए उक्त संस्थान प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के रुप में स्थापित करने तथा इन संस्थानों में प्रभावी नियंत्रण हेतु आयुक्त,ग्राम्य विकास उत्तरांचल के अधीन एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय के साथ स्थापित करने एवं उक्त संस्थानों एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ हेतु पूर्व स्वीकृत कुल 305 पदों में से 95 पदों का समाप्त करते हुए कुल 44 अतिरिक्त नये पदों का सृजन करते हुए निम्न विवरणानुसार कुल 254 पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः—

शासनादेश संख्या 473 / xi / 2004 दिनांक 16.6.2004 द्वारा स्वीकृत प्रसार प्रशिक्षण कन्द्रों में पदों की स्थिति

क.स	पदनाम / वेतनमान	वेतनमान	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3		
1	उपायुक्त प्रशिक्षण / प्रबन्धन	1200—16500	1	
2	कार्यालय अधीक्षक	5000—8000	1	
3	मुख्य सहायक	4500—7000	2	
4	कम्प्यूटर आपरेटर	4000—6000	2	
5	कनिष्ट लिपिक	3050—4590	1	
6	वाहन चालक	3050—4590	1	
7	अनुसेवक / पत्रवाहक	2550—3200	2	
	(ख) प्रशिक्षण संवर्ग (राजपत्रित)			
8	आचार्य	10000—325—15200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक पद
9	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	8000—275—13500	24	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु चार—चार पद शेष संस्थानों हेतु दो—दो पद
10	वरिष्ठ प्रशिक्षक	5000—150—8000	20	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु तीन—'तीन पद शेष संस्थानों हेतु दो—दो पद
11	प्रशिक्षक / अनुदेशक	4500—125—7000	16	प्रत्येक संस्थान हेतु दो—दो
12	मैकेनिक निम्न श्रेणी / इलेक्ट्रीशियन	3200—85—4900	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक— एक
13	प्रदर्शक / प्रर्दशिका	3200—85—4900	16	प्रत्येक संस्थान हेतु दो—दो
14	प्रचार सहायक / पुस्तकालय सहायक	3050—75—3950—80—4590	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक— एक
15	प्रशिक्षण / सहायक(वेल्डर,बढई लौहार)	2610—60—3150—65—3540	20	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु तीन—'तीन पद शेष संस्थानों हेतु दो—दो पद
16	हैमर मैन	2550—55—2660—60—3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
17	जीप चालक	3050—75—3950—80—4590	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
18	माली / हलवाहा	2550—55—2660—3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक

	कार्यालय स्टाफ			
19	प्रधान लिपिक	5000—150—8000	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
20	वरिष्ठ सहायक	4500—125—7000	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
21	वरिष्ठ लिपिक	4000—100—6000	12	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु दो—दो पद शेष संस्थानों हेतु एक—एक पद
22	कम्प्यूटर आपरेटर	4000—100—6000	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
23	कनिष्ट लिपिक	3050—75—3950—4590	12	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु दो—दो पद शेष संस्थानों हेतु एक—एक पद
24	लैब सहायक / पुस्तकालय सहायक	2550—55—2660—60—3200	4	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु एक—एक पद
25	चपरासी / अर्दली / पत्रवाहक	2550—55—2660—60—3200	24	रुद्रपुर,हबालबाग,हरिद्वार,एवं पौडी हेतु चार—चार पद शेष संस्थानों हेतु दो—दो पद
26	रसोईया	2550—55—2660—60——3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
27	वर्तन स्वच्छक	2550—55—2660—60——3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
28	स्वच्छक सह चौकीदार	2550—55—2660—60——3200	8	प्रत्येक संस्थान हेतु एक—एक
	योग		**254**	

2. उपरोक्त प्रस्तर—1 के अनुसार कुल सृजित पदों में से निम्न पद जो कि नये पद हेतु अस्थायी प्रकृति के पद है तथा इन्हें भी समाप्त किया जा सकता है.

क.स	पदनाम / वेतनमान	व्तनमान	पदों की संख्या
1	**2**	**3**	
1	उपायुक्त प्रशिक्षण / प्रबन्धन	1200—16500	1
2	आचार्य	10000—325—15200	3
12	मैकेनिक निम्न श्रेणी / इलेक्ट्रीशियन	3200—85—4900	3
13	प्रदर्शक / प्रर्दशिका	3200—85—4900	3
14	प्रचार सहायक / पुस्तकालय सहायक	3050—75—3950—80—4590	1
19	कार्यालय अधीक्षक	5000—150—8000	7
20	वरिष्ठ सहायक	4500—125—7000	5
23	कनिष्ट लिपिक	3050—75—3950—4590	1
22	कम्प्यूटर आपरेटर	4000—100—6000	10
	वाहन चालक	3050—75—3950—80—4590	1
26	रसोईया	2550—55—2660—60——3200	3
27	वर्तन स्वच्छक	2550—55—2660—60——3200	4
28	चपरासी	2550—55—2660—60——3200	02
	योग		**44**

उक्त पद वित्तीय वर्ष 2004—05 में दिनांक 28.2.2005 तक चलते रहने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

3. उपरोक्त पदाधिकारियों को उक्त पद के वेतनमान के साथ—साथ समय—समय पर शासकीय आदेशों के अनुसार अनुमन्य महगाई भत्ते एवं अन्य भत्तें भी देय होगे.

4. तत्सम्बंधी व्यय वित्तीय वर्ष 2004—05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या—19 के लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्याक्रम—आयोजनेत्तर— 00—003—प्रशिक्षण—03—कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थान) सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा.

5. उत्तरांचल राज्य में स्थित 8 क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिये कुल स्वीकृत 305 पदों में से मैकेनिक उच्च श्रेणी करा एक पद, क्षेत्रीय सहायिका / प्रशिक्षक के तीन पद अधिदर्शक के एक पद,विषय विशेषज्ञ के तीन पद, कम्पाउण्डर के दा पद,क्लीनर का एक पद,आशुलिपिक के पांच पद,मिल्कमैन के दों पद, दफतरी / फोटो कापियर के दों पद एवं परिचर का एक पद अर्थात इन कुल 21 पदों के सवर्ग को मृत घोषित किया जाता है.

6. यह आदेश वित्त विभ्झाग के अशासकीय संख्या 352 / वि0अनु0—2 / 2004 दिनांक 11 जून 2004 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीया

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव.

संख्या /**XI**/2004/65(13)/2003 दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून.
2. प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल.
3. अपर सचिव,गोपन(मंत्री परिषद) अनुभाग को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/।।।/**XXI**/04–सी0एक्स दिनांक 28.5.2004
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन.
5. आयुक्त, गढवाल एवं कूमायूँ मण्डल
6. निदेशक प्रशासन अकादमी नैनीताल.
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल.
8. अधिशासी निदेशक,क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान उत्तरांचल रुद्रपुर.
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल.
10. समस्त आचार्य,क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान उत्तरांचल.
11. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल 23 लक्ष्मी रोड देहरादून.
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल.
13. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून.
14. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ.
15. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्राम्य विकास उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ.
16. वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन.
17. कार्मिक विभाग उत्तरांचल शासन.
18. गार्ड फाईल.

आज्ञा से

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास विभाग
अनुभाग—1
प्रकीर्ण
27 नवम्बर, 1991 ई0

सं0 8704/35—1/3660—71—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा

नियमावली 1991

भाग—एक—संक्षिप्त

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2— सेवा की प्रास्थिति :— उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा एक राज्य सेवा है। जिसमें समूह ''क'' और ''ख'' सम्बन्धित है।

3—परिभाषाऐं :—जब तक कि नियम या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में —

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है।

(घ) ''आयुक्त'' का तात्पर्य ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है।

(ड.) ''संविधान'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है।

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संबध में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित सेवा अधिकारी से है।

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के सन्दर्भ में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो सन्दर्भ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो। तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो सम्वर्ग

सेवा का तात्पर्य :— (1)— सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2)—जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राजयपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदान न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें उचित समझें।

भाग—तीन—भर्ती

5—भर्ती का श्रोत :— सेवा मे ंविभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित से की जायेगी :—

(1) खण्ड विकास अधिकारी :—

(क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों में से जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कार्य कर रहे हों, पदोन्नति द्वारा।

(ग) राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में और आयोग के परामर्श से आयोग द्वारा संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा में विशेष या आपातकालीन भर्ती कर सकते हैं। भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता और आयु और ऐसी परीक्षा का पाठयक्रम आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा निश्चित किया जायगा। ऐसी परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी को इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी समझा जायेगा।

(2) जिला विकास अधिकारी :—

मौलिक रूप से नियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) उपविकास आयुक्त :—

75 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला विकास

	अधिकारियो में से और 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्यों समूह ''क'' में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम
दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (4) अपर आयुक्त ग्राम्य विकास – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप विकास आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। परनतु यदि क्रम संख्या 2 से 4 पर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति के लिए पर्यापत संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सेवा की अपेक्षित अवधि को सरकार शिथिल कर सकती है। 6–आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। भाग–चार–अर्हताऐं 7–राष्ट्रिकता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी– (क) भारत का नागरिक हो या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो या (ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिक और जंजीवार) से प्रवचन किया हो। परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :– परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है। और उसे इस शर्त पर	जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 8–शैक्षिक अर्हता–सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास – (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या (2) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विवि0 के अधीन विश्वविद्यायल के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो से, या (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। 9–अधिमानी अर्हता–अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने – (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। 10–आयु–सीधी भत्री के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, इक्कीस वर्ष हो जानी चाहिए और बत्तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विर्निदिष्ट की जायं 11–चरित्र–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए ि कवह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राजय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम

अन्तिम रूप से नियुक्त नहीं किया	या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 12–वैवाहिक प्रास्थिति :–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष, अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी
महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो। परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। **13–शारीरिक स्वस्थता :–** किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और यह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की सीध नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा परिषद की चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय। परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया 14–रिक्तियों की अवधारणा :–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अवधारित करेगर। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसे दी जायगी। **15–सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1)**–खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित राजय सेवा परीक्षा के माध्यम से की जायेगी। (2) प्रतियोगी परीक्षा में बैठने को अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन पर प्रकाशित विहित प्रपत्र में आंमत्रित किये जायेंगे। (3) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो। (4) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या में अभ्यर्थियों की साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जिसने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस संबध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक	अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अकों में जोड़ दिये जायेंगे। (5) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। 16–आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा शर्तों की प्रक्रिया–खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा शर्तों अनुपयुक्त की अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामार्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी। **17–चयन :– समिमि के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–(1) क–** जिला विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1–ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव या दोनों। 2–कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो। 3–आयुक्त **टिप्पणी :–**ज्येष्ठ सचिव, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (ख)–नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबधित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं चयन समिति के समक्ष रखेगा। (ग) चयन समिति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलोकं पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
(घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता में जैसी ि कवह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। (2) (6) :–ग्राम्य विकास आयुक्त के पदों पर पदोन्नति	(घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि वह उपसंवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। **18–संयुक्त चयन सूची :–** यदि भर्ती के किसी वर्ष में

द्वारा भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1–ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव या दोनों। 2–कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो। 3–आयुक्त। <u>टिप्पणी :–</u>ज्येष्ठ सचिव, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (ख)–नियुक्ति प्राधिकारी जिला विकास अधिकारियों और ग्राम्य विकास विभाग के अधीन प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्यों समूह ''क'' की पात्रता सूची पृथक–पृथक रूप से उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित पंजियों और उनसे संबधित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जायं चयन समिति के समक्ष रखेगा। (ग) चयन समिति खण्ड (ख) मं निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पवर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे ंतो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।	नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमे ंअभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियो ंसे इस प्रकार से लिये जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा। **<u>भाग छः :–</u>** नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता :– 19–नियुक्तिः– (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों। (2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनो स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक सूची तैयार न कर ली जाय। (3) चदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिकत नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे 20–परिवीक्षा–(1)– सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2)–नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय।
(घ) चयन समिति जिला विकास अधिकारियों और ग्राम्य विकास विभाग के अधीन प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्यों (समूह ''क'') दोनों चयन सूचियों से नामों को लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार करेगी, जिसमें तीन और एक का अनुपात रखा जायेगा। पहला नाम जिला विकास अधिकारियों के संवर्ग में लिया जायेगा। नाम ज्येष्ठता क्रम में जैसे उनके अपने–अपने संवर्गों में से रखे जायेंगे। चयन समिति संयुक्त चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। (3) कः–अपर आयुक्त ग्राम्य विकास के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1–मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश। 2–कृषि उत्पादन आयुक्त। 3–ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिवया सचिव या दोनों। 4–सचिव उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग। (ख) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जांय चयन समिति के समक्ष रखेगा। (ग) चयन समिति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगा और यदि वह आवश्यक समझे ंतो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।	परन्तु आपवादिक अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षावधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या उसका कार्य और आचरण असंतोषजनर है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं वह किसी प्रतिकर का हकदान न होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास अनुभाग–1
संख्या :–8706/38–1–111 एन0जी0/90
लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 1991

<u>अधिसूचना</u>

प्रवीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान विभागों और आदेशों का अधिग्रहण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली लाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी
(उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित
सेवा नियमावली, 1991

भाग–एक–सामान्य

<u>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1</u>– यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 1991 कही जायेगी।

<u>2–</u> यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

<u>सेवा की परिस्थिति</u> :– 2– उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित सेवा में समूह ''ग'' के पद समविष्ट हैं।

<u>परिभाषाऐं :–</u> <u>3</u>–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल वाक्य हो इस नियमावली में –

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का सारपर्थ अनुभव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(ड़) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के सन्दर्भ में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन भौगोलिक रूप से निवृत्त व्यक्ति से है।

(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) अराजपत्रित सेवा से है।

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पर पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और

यदि कोई नियम न हो तो, सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह की अवधि से है।

भाग—दो सम्वर्ग

सेवा का संवर्ग 4:— (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) (जब का उपनियम) के अधीन परिवर्तन से आदेश व सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या उतीन होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आरक्षित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जैसे वह उचित समझें।

भाग—तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत :— सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ग्राम्य विकास अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, की जायेगी।

आरक्षण :— 6 :—अनुसचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग—4—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 7:—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :— 8(1) सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) आयक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0। अध्यक्ष

(2) उप आयुक्त (प्रशासन/मुख्यालय) सदस्य

(3) तीन सहायक आयुक्त (प्रशासन/मुख्यालय) सदस्य

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ठ ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की अनुसचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी सदस्य

8 (2) :— नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्तर प्रदेश) लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा

और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित, ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

8(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ठ अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी िकवह उस सम्वर्ग में थी, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–पांच–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

<u>नियुक्ति</u> 9:– 1:–नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनको नाम नियम–8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये ंतो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि उस संवर्ग में था जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

<u>परिवीक्षा</u> 10:–1:– सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2:– नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितयों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समस्या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थाईकरण :– 11:–उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह घोषण करते हुए दिया गया आदेश कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता :– 12:– सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग—छः वेतन इत्यादि

वेतनमान 13:— (1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के साथ प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया है :—

पद का नाम	वेतनमान
सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय)	1200-30-1560—द0रो0—40—2040 रूपये।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 14(1) :—फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि घटायी जाय तो उस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रखा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं दी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लाय सुंसगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोव पर करने का मानदण्ड :—किसी व्यक्ति की दक्षता—रोव पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—सात—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन :—16:—किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक , विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपना अभ्यथता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन :— 17:—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विर्निदिष्ठ रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राजय के

कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

नियुक्ति की शर्तों की शिथिलता :– 18:– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और न्यायपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

वृत्ति :– 19:–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

विनोद मल्होत्रा

सचिव)

परिशिष्ट

नियम–4(2) देखिए

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थाई	अस्थाई	योग
1	2	3	4	5
1–	सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा और व्यवसाय)	–	885	885

आज्ञा से

विनोद मल्होत्रा

(सचिव)

क्रम संख्या–475 (ख) रजिस्टर्ड

न0 एऽडी0–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारणा

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ मंगलवार, 7 अक्टूबर, 1980

आश्विन 15, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

संख्या 1608/38–1–1616–78

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1980

अधिसूचना

म0आ0—467

प्रस्तावना :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर सभी वर्तमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनात हैं :—

भाग—एक सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली 1980 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति :—उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है।

3:—परिभाषाऐं :— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास) जिला विकास अधिकारी में है :

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) ''आयुक्त'' का तात्पर्य आयुक्त, कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश से है और इसमें आयुक्त, ग्राम्य विकास भी सम्मिलित है,

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से,

(ङ.) ''राज्यपाल'6 का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) '' ग्राम सेवक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियम या आदेश के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसमें ग्राम स्तर कार्यकर्ता भी सम्मिलित है,

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप में व्यक्ति से है,

(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (ग्राम्य सेवक) सेवा से है,

(झ) '' मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो, तो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार की गई हा,

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—2 संवर्ग

+—सेवा का संवर्ग (1) :—सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(2) :—सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक वर्ष के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है।

परन्तु —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(2) राज्यपाल समय—समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग—3 भर्ती

5—पदों का स्रोत :—ग्राम सेवक के पद पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा और विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

परन्तु 25 प्रतिशत तक रिक्तियों को उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर स्थायी पंचायत सेवकों में से भरने के लिए आरक्षित रख सकता है।

टिप्पणी :—ऐसे ग्राम सेवकों के संबध में जिनकी नियुक्ति उक्त परन्तुक के अनुसार की जाय, योग्यता के क्रम में, जैसी कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अवधारित की जाय, एक पृथक सूची तैयार की जायगी।

6—अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण :—अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग—4 अर्हतायें

7—राष्ट्रिकता :—किसी पद पर या सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप में निवास करने के अभिप्राय में 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फेनिया, उगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगांनिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश में प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि प्रवर्ग (ख) के अभ्यर्थी में यह भी अपेक्षा की जायगी िकवह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश में पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा िकवह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—**शैक्षिक अर्हतायें** :— सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञान या कृषि के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्षा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

9—**अधिमानी अर्हतायें** :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसने —

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण7पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

10—आयु —सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद 1 जनवारी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और 1 जुलाई को यदि वह 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किय जायें। 18 वर्ष की जो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य प्रवर्गों के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किए जायं अभ्यर्थियों की दशा में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विर्निदिष्ट की जाय :

परन्तु यह और कि ऐसे स्थायी पंचायत सेवकों के लिए, जो नियम 5 के परन्तुक के अनुसार भर्ती किये जायें, उच्च आयु सीमा इस नियम में विर्निदिष्ट दिनांक को 45 वर्ष होगी।

11—**चरित्र** :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा यां संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी निगर्म या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधेतमा के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति :–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता :–किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप में अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फंडामेंटल रूल्स 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेंशियल हैण्डबुक खंड दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों की अवधारणा :–आयुक्त वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा। रिक्तियों को संबधित जिलों में परिचालित समाचार–पत्रों में भी अधिसूचित किया जायगा और उन्हें अन्य प्रकार से भी प्रकाशित किया जा सकता है।

15–(1)सीधी भर्ती की प्रक्रिया:–प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थियों का चयन, एक चयन समिति के माध्यम से, जिसमें निम्नलिखित होंगे, जिलावार तैयार किया जायगा :–

(एक) जिला मजिस्ट्रेट या उसका नाम–निर्दिष्ट कोई व्यक्ति।

(दो) जिला परिषद का कोई अधिकारी या सदस्य।

(तीन) जिला विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)।

<u>टिप्पणीः</u>–समिति का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होगा और उसकी अनुपस्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी अध्यक्षता करेगा।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगी।

<u>टिप्पणी</u> :–लिखित परीक्षा का पाठय–विवरण और शारीरिक परीक्षा का मानक परिशिष्ट ''स'' में दिया गया है। अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण कने में विभागीय अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में छूट दी जायगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको को सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चितर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षा के लिए केवल उन अभ्यर्थियों को बुलायेगी जिन्होंने कम से कम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की दशा में 40 प्रतिशत) अंक प्राप्त किये हों। समिति अन्य बातों के साथ–साथ ग्रामीण पृष्ठ–भूमि, सेवा में नियुक्ति के लिए उसकी शारीरिक और सामान्य उपयुक्तता के साथ ही परिशिष्ट 'ख' में इंगित अन्य बातों का भी ध्यान रखेगी। शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार में दिये गये अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) ततपश्चात समिति चुने गये अभ्यर्थियों की (क) नियम 5 के अधीन सीधे भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के लिए और (ख) नियम 5 के परन्तुक के अधीन स्थायी पंचायत सेवकों में से भरती के लिए पृथक–पृथक सूचियां तैयार करेंगी और उनके नामों को उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, रखेगा और इस नियमावली की परिशिष्ठ, ''ग'' में विहित प्रारूप में आयुक्त को अग्रसारित करेगा। आयुक्त नियम 6 और 16 के अधीन रहते हुए ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करेगा जो जिले की समितियों से प्राप्त सूची में अधिमानता क्रम में उच्चतम स्थान पर हों।

16—प्रशिक्षण—(1)—चयन किये गये अभ्यर्थियों को मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के पूर्व अपने खर्चे पर सरकार द्वारा समय—समय पर यथा विर्निदिष्ट स्थान पर दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें 50 रूपये प्रतिमास की वृत्तिका या ऐसी वृत्तिका दी जायगी जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(3) अभ्यर्थी एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे जिससे वे राज्य सरकार के अधीन तीन वर्ष तक ग्राम सेवक के रूप में सेवा करने के लिए बचनबद्ध होंगे।

(4) आयुक्त, प्रशिक्षण की समाप्ति पर अभ्यर्थियों की, प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगा और संबधित नियुक्ति प्राधिकाारी को अपेक्षित संख्या में नाम भेजेगा।

भाग—6 नियुक्ति परिवीक्षा स्थाईकरण और ज्येष्ठता

17—नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायगा, जैसी कि यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची से अस्थायी और स्थानापन्न रूप से भी नियुक्तियां कर सकता है यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने के बाद, इसमें जो भी पहले हो, नहीं रहेंगी।

18—परिवीक्षा—1—सेवा में किसी पद पर जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायगा जब तक के लिए अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अन्त में किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पद, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसको उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदान न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है।

19—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा—अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसके पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बढाया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय ि कवह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

20—ज्येष्ठता (1)—एतदद्वारा यथा उपबंधित के सिवाय किसी प्रवर्ग के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :—

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विर्निदिष्ट किया जाय जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो तो उस दिनांक की मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी चयन के संबध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित की जाय।

(2) यदि एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :—

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्य—भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधि मान्यता के संबध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

भाग—7 वेतन आदि

21—वेतनमान आदि—(1)—सेवा में विभिन्न प्रवर्गो के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुबन्ध वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विद्यमान वेतनमान नीचे दिया गया है :—

पद का नाम	वेतनमान
(1) ग्राम सेवक (साधारण श्रेणी)	230—6—280—द0रो0—335—द0रो0—10—385 रूपया।
(2) ग्राम सेवक (चयन श्रेणी)	230—7—285—द0रो0—9—375—द0रो0—10—425 रूपया।

टिप्पणीः—(1) ग्राम सेवकों के कुल स्थायी पदो के 15 प्रतिशत पदों को ''चयन श्रेणी'' के पद घोषित किया गया है। चयन श्रेणी, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर केवल ऐसे ग्राम सेवकों को दी जायगी जो स्थायी घोषित कर दिये गये हों और जिन्होंनें हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(2) 15 रू0 प्रति मास यात्रा भत्ता भी दिया जायगा।

22—परिवीक्षा अवधि में वेतन (1)—फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जबकि उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब कि उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फंडामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी अवधि की गणन वेतन0ृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राजय के कार्यकलापों के संबध्न में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

23—दक्षतारोक पार करने का मानदंड—किसी व्यक्ति को —

(1) प्रथम दक्षतारोक पार करने के अनमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने परिश्रम और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो और उसका कार्य और आचरण संतोप्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—8 अन्य उपबन्ध

24—पक्ष समर्थनः—किसी पद या सेवा के संबध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी असमर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26–अन्य विषयों का विनियमन–ऐसे विषयों के संबध में जो विर्निदिष्ट रूप में इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो राजय के कार्यकलापों के संबध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

26–सेवा की शर्तों में शिथिलताः–जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें उस मामले में न्यायसंगत तथा साम्यिक रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

27–व्यावृत्ति :–इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी राज्य सरकार द्वारा इस संबध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

(नियम 4 देखिए)

सेवा की सदस्य संख्या

पद नाम..	पदों की संख्या	
	स्थायी	अस्थाई
	10916	704
ग्राम सेवक		
इन पदों का विवरण और विभाजन इस प्रकार है :–		8975
क– सामुदायिक विकास खंड।	175	
ख– प्रशिक्षण योजना (सामुदायिक विकास से संबधित)		8
ग–अग्रगामी प्रायोजना।	2484	
(घ)–कृषि विभाग।		
(च)–चयन श्रेणी स्थायी पदों का 20 प्रतिशत।		

परिशिष्ट 'ख'
(नियम 15 देखिए)
लिखित / शारीरिक परीक्षा का पाठय विवरण और नियम

1–(क) नियम 5 के अधीन ग्राम सेवक के पदों के अभ्यर्थियों की इंटरमीएिट स्तर की लिखित परीक्षा देनी होगी, परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जो तीन घंटे का होगा और उसके अधिकतम अंक 200 होंगे। इसमें 20 प्रश्न दिये जायेंगे जिनमें में से आठ प्रश्न अनिवार्य होंगे।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी को जो उक्त प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करें, चयन के लिए लिखित परीक्षा में अर्ह समझा जाएगा। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में अर्हकारी प्रतिशत 40 प्रतिशत होगा।

2–(क) नियम 5 के अध्धीन ग्राम सेवक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षा किया जायगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :–

क्र0 सं0	विवरण	न्यूनतम निर्दिष्टियां	विहित स्तम्भ के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्टियां के लिए दिये गये अंक	योग्यता को निर्दिष्टियां	दिये जाने वाले अधिकतम अंक
1	2	3	4	5	6
(एक)	एक मील की दौड़	नौ मिनट में पूरी करने पर	पांच	दो मिनट में पूरी करने पर	दस
(दो)	शारीरिक व्यायाम, दंड और बैठक	पन्द्रह दंड और तीस बैठक	पांच	पच्चीस दंड और पचास बैठक	दस
(तीन)	लम्बी कूद	दस फूट तक	पांच	पन्द्रह फूट तक	दस
(चार)	चार मील की साइकिल दौड़	पैंतालीस मिनट में पूरी करने पर	पांच	पन्द्रह मिनट में पूरी करने पर	दस
(पांच)	दो मील चलना	पैंतालीस मिनट में पूरा करने पर	पांच	पन्द्रह मिनट में पूरी करने पर	दस

(ख) पर्वतीय सम्भागों में, जहां साइकिल दौड़ सम्भव न हो या जहां साइकिल का कम उपयोग किया जाता है, साइकिल दौड़ के स्थान पर घुड़सवारी या इसी प्रकार की अन्य परीक्षा ली जा सकती है।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी को जो शारीरिक परीक्षा में कम से कम पन्द्रह अंक प्राप्त करनें, इस प्रयोजन के लिए शारीरिक परीक्षा में अर्ह समझा जायगा।

3–ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 5 के अन्तर्गत आते हैं। शारीरिक परीक्षा से मुक्त होंगे, ऐसे अभ्यर्थी को जो लिखित और शारीरिक परीक्षा में अर्ह हो जाय। साक्षात्कार के लिए बुलाया जायगा और उनको निम्न प्रकार से अंक आंवटित किये जायेंगे। :–

अधिकतम अंक	100
न्यूनतम अंक	40 प्रतिशत

1—क्रम संख्या

2—नाम और पता

3—संभागीय/विभागीय सेवा का अनुभव, यदि कोई हो

अधिकतम अंक (10)

4—ग्राम्य जीवन का अनुभव (अधिकतम अंक 10)

5—फौज सेवा या उसका अनुभव, यदि कोई हो (अधिकतम अंक 10)

6—शारीरिक गठन और व्यक्तिम्व (अधिकतम अंक 20)

7—पद के लिए उपयुक्त (अधिकतम अंक 30)

8—सामान्य बुद्धि (अधिकतम अंक 20)

9—योग

10—अभियुक्ति

परिशिष्ट 'गा'
(नियम 15 देखिए)
जिले में ग्राम सेवकों की योग्यता सूची

1–क्रम संख्या
2–योग्यता क्रम
3–अभ्यर्थी का नाम और पता
4–शैक्षिक अर्हता
5–आयु
6–लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक
7–शारीरिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक
8–साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंक
9–कुल प्राप्त किये गये अंक
10–अभ्युक्ति

टिप्पणी :– अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अभ्युक्ति के स्तम्भ में क्रमशः अक्षर अनु0 जा0, पि0व0, और (प0) में इंगित किया जाना चाहिए।

अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सभी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गये अंक जोड़े जायेंगे और इस प्रकार उपलब्ध कुल योग का साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में विभाजित किया जायेगा। दूसरे शब्दों में इस स्तम्भ में दी गयी संख्या साक्षात्कार में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको की औसत संख्या होगी।

चुने गये अभ्यर्थियों को अधिमान क्रम में सूची का आधार उपर्युक्त स्तम्भ 9 में दिये गये अंको का कुल योग होगा।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र मोहन,
सचिव

In pursuance of the provision of clause (8) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notificaiton no. 1608/1-1616-78, dated October 7, 1980 :

No. 1608/38-1-1616-78

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

Dated Lucknow, October 7, 1980

Preamble-In exercise of the power under the provision to Article 309 of the Constitution and in supedrsession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of servies of persons appointed to the Uttar
Pradesh Rural Development (Gram Sewak) Service.

THE UTTAR PRADESH RURAL DEVELOPMENT
(GRAM SEWAK) SERVICE RULES, 1980

PART I-GENERAL

1. Short title and commencement-(I) These rules may be called the Rural Development (Gram Sewak) Service Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service-The Rural Development Service (Gram Sewak) is a subordinate non-gazetted service.

3. Definitions:-In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "appointing authority" means the Additional District Magistrate (Development)/District Development Officer :

(b) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Contitution ;

(c) “Commissioner” means the Commissioner, Agriculturazl Production and Rural Development, Uttar Pradesh and includes Commissioner, Rural Development ;

क्रम संख्या–475 (ख) रजिस्टर्ड

न0 एडी0–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारणा

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ मंगलवार, 14 नवम्बर, 1980

कार्तिक 23, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

संख्या 3336/38–1–1654–77

लखनऊ, 14 नवम्बर, 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

म0आ0–467 प्रस्तावना :–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास (विभाग लिपिक और उसमें नियुक्त) व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1980

वह नियमावली ''उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक संक्षिप्त नाम

नियमावली 1980'' कही जायेगी। और

प्रारम्भ

प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा में समूह ''ग'' के सेवा की आस्थिति

23–(1)–फण्डामेन्टल रूल्स में किसी अधिकृत उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसमें एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि में 1 वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसमें परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणन वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक नियुक्ति अधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राजय के कार्यकलाप के संबध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24(1):—अधीक्षक की दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तमक कि यह न पाया जाय कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, विभाग के कार्य का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न बताया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) अधीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति की —

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण ''संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय,

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने धीरतया और अपनी योग्यता से कार्य किया है, विभाग के कार्य का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और तब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

25—किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26—ऐसे विषयों के संबध में जो विर्निदिष्ट रूप में इस नियामवली या विशेष आदेशो के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं

27—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेना में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तो को नियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वह उन मामलों में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेशा द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह उस मामले में न्यायसंगत तथा साम्यिक रीति से कार्यावाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं।

28—इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नही पडेगा जिनकी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य विशेष प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिऐ व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"
(नियम 4 देखिये)
<u>सेवा की पद संख्या</u>

पद नाम		पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
		10916	704
ग्राम सेवक	इन पदों का विवरण और विभाजन निम्न प्रकार है :–		
	क–सामुदायिक विकास खण्ड		8975
	ख–प्रशिक्षण योजना(सामुदायिक विकास से सम्बन्धित)		175
	ग–अपगामी प्रायोजना		8
	घ–कृषि विभाग		2484
	ङ–चयन श्रेणी स्थाई पदों का 20प्रतिशत		

परिशिष्ट 'ख'
(नियम 15 देखिये)
लिखित/शारीरिक परीक्षा का पाठ्य–विवरण और नियम

1–(क) नियम 5 के अधीन ग्राम सेवक के पदों के अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट स्तर की लिखित परीक्षा देनी होगी, परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र होगा, जो तीन घंटे का होगा और उसके अधिकतम अंक 260 होगें। उसमें 20 प्रश्न दिये जायेंगें जिनमें से आठ प्रश्न अनिवार्य होंगें।
(ख) ऐसे अभ्यर्थी को जो उक्त प्रश्नपत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करें, चयन के लिए लिखित परीक्षा में अर्ह समझा जायेगा। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में अर्हकारी प्रतिशत 40 प्रतिशत होगा।
2–(क) नियम 5 के अधीन ग्राम सेवक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होगीं–

क्र०सं०	विवरण	न्यूतम निर्दिष्टियां	विहित स्तम्भ के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्टियों के लिये दिये गये अंक	योग्यता की निर्दिष्टियां	दिये जाने वाले अधिकतम अंक
1	2	3	4	5	6
(एक)	एक मील की दौड़	नौ मिनट में पूरी करने पर।	पांच	छः मिनट में पूरी करने पर।	दस
(दो)	शारीरिक व्यायाम,दंड और बैठक	पन्द्रह दंड और तीस बैठक	पांच	पच्चीस दंड और पच्चीस बैठक	दस
(तीन)	लम्बी कूद	दस फुट तक	पांच	पन्द्रह फुट तक	दस
(चार)	चार मील की साइकिल दौड़	पैतालीस मिनट में पूरी करने पर	पांच	पन्द्रह मिनट में पूरी करने पर	दस
(पांच)	दो मील चलना	पैतालिस मिनट में पूरा करने पर	पांच	पन्द्रह मिनट में पूरा करने पर	दस

(ख) पर्वतीय सम्भागों में, जहां साइकिल दौड़ सम्भव न हो या जहां साइकिल का कम उपयोग किया जाता है साइकिल दौड़ के स्थान पर घुड़सवारी या इसी प्रकार की अन्य परीक्षा की जा सकती है।
(ग) ऐसे अभ्यर्थी को जो शारीरिक परीक्षा में कम से कम पन्द्रह अंक प्राप्त करे, इस प्रयोजन के लिए शारीरिक परीक्षा में अर्ह समझा जायेगा।
3– ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 5 के अन्तर्गत आने हो ,शारीरिक परीक्षा से मुक्त होगें, ऐसे अभ्यर्थी को जो लिखित और शारीरिक परीक्षा में अर्ह हो जाय, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा और उनको निम्न प्रकार से अंक आवंटित किये जायेंगें:–

अधिकतम अंक	100
न्यूनतम उत्तीर्णांक	40 प्रतिशत

1– क्रम संख्या
2– नाम और पता
3– संभागीय/विभागीय सेवा का अनुभव, यदि कोई हो।
4– ग्राम्य जीवन का अनुभव (अधिकतम अंक 10)
5– फीज सेवा या उसका अनुभव, यदि कोई हो (अधिकतम अंक 10)
6–शारीरिक गठन और व्यक्तित(अधिकतम अंक 20)
7– पद के लिए उपयुक्ता(अधिकतम अंक 30)
8– सामान्य बुद्धि (अधिकतम अंक 20)
9– योग
10– अभ्युक्ति

परिशिष्ट 'ख'
(नियम 15 देखिये)
जिले में ग्राम सेवकों की योग्यता सूची

1– क्रम संख्या
2– योग्यता क्रम
3– अभ्यर्थी का नाम और पता
4– शैक्षिक अर्हता
5– आयु
6– लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक
7– शारीरिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक
8– साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंक
9– कुल प्राप्त किये गये अंक
10– अभ्युक्ति

टिप्पणी– अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अभ्युक्ति के स्तम्भ में क्रमशः अदार अनु०जा०, पि०व० और (प०) से इंगित किया जाना चाहिये।
अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सभी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गये अंक जोड़े जायेंगें और इस प्रकार उपलब्ध कुल योग का साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से विभाजित किया जायेगा। दूसरे शब्दों में इस स्तम्भ में दी गई संख्या साक्षात्कार में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों की औसत संख्या होगी।
चुने गये अभ्यर्थियों की, अभिमान क्रम में सूची का आधार उपयुक्त स्तम्भ 9 में दिये गये अंकों का कुल योग होगा।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र मोहन,
सचिव

Is pursuance of the provisions of clause (8)of Article 848 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1608/88-1-1616-78, dated October7,1980:

No9. 1608/88-1-1616-78

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

Dated Lucknow, October7, 1980

Preamble-In exercise of the power under the proviso to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulation recruitment and the conditions of services of persons appointed to the Uttar Pradesh Rural Development (Gram Sewak) Service.

THE UTTAR PRADESH RURAL DEVELOPMENT
(GRAM SEWAK) SERVICE RULES, 1980

PART 1- GENERAL

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Rural Development (Gram Sewak) Service Rules, 1980.
   (2) They shall come into force at once.
2. Status of the service- The Rural Development Service (Gram Sewak) is a subordinate non-gazetted service.
3. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
   (a) "appointing authority" means the Additional District Magistrate (Development) /District Development Officer;
   (b) " citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
   (c) " Commissioner" means the Commissioner, Agricultural Production and Rural Development, Uttar Pradesh and includes Commissioner, Rural Development;

रजिस्टर नं० ए०जी०–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 1980

कार्तिक 23, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

संख्या–3386/38–1––1654–77

लखनऊ 1 नवम्बर, 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त अंकित का प्रयोग करके और इस विषय पर समान विद्यमान प्रदेशों को अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमों –

प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1980

भाग एक सामान्य

यह नियमावली "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक नामावली 1980" कही जायेगी। प्राप्त होगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा में समूह "ग" के — सेवा की प्रास्थिति

परिभाषायें :–

3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य :–

(एक) जिस में प्रधान लिपिक एवं लेखाकार, जिला लेखाकार और पदों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट से है। और अन्य पदों के सम्बन्ध में और (विकास, जिला विकास अधिकारी से है)।

(दो) परिक्षेप में, सम्बन्धित परिक्षेप के संयुक्त एवं/उपनियम आयुक्त।

(तीन) मुख्यालय में,

क–अधीक्षक के पद के लिए आयुक्त, कृषि उत्पादन और से है।

ख–सहायक अधीक्षक, मुख्य लेखाकार, अवर वर्ग सहायक, कनिष्ठ लिपिक, उपलेखक – प्रालेखक, ज्येष्ठ लेखाकार, अवर वर्ग सहायक एवं ज्येष्ठ उपलेखक–प्रालेखक और परीक्षक और आशुलेखक के पद के लिए उप विकास आयुक्त(प्रशासन) से है, और

ग–मुख्यालय में अन्य पदों के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त (गुरू) से है।

(ख)–"भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग)–"संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(घ)–"जिला कार्यालय" का तात्पर्य जिला विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास) के कार्यालय में है और इसके अन्तर्गत प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र और खण्ड विकास कार्यालय भी है।

(ङ)–"सरकार" उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(च)–"राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ)–"मुख्यालय" का तात्पर्य राज्य मुख्यालय, लखनऊ में स्थित आयुक्त, कृषि उत्पादन, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से है।

(ज)–"सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियम या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त किन्ही नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन रूप नियुक्त व्यक्ति से है।

(झ)–"सेवा" का तात्पर्य कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक वर्ग से है

(ट)–"मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा मे संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि न हो तो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यालय आदेशों द्वारा तत्समय उपबन्धित अनुसार की गई हो;

(ठ)–"भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ बारह माह की अवधि से है;

(ड)–"परिक्षेत्रीय कार्यालय" का तात्पर्य किसी राजस्व प्रभाग के कार्यालय संयुक्त/उपविकास आयुक्त के कार्यालय से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या जिसकी राज्यपाल के द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रवर्ग के पदों की संख्या, समान नियम(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, उतनी होगी जितनी "क" में दी गई है;

परन्तु –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये या राज्यपाल उसे परिवर्तित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का या

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी कर सकते है जिन्हें वह उचित समझें।

(भाग तीन– भर्ती)

सेवा में विभिन्न प्रवर्गो के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी – भर्ती को श्रोत

(एक) मुख्यालय

(1) अधीक्षक– मुख्यालय के स्थायी सहायक अधीक्षकों और मुख्य लेखाकारों में से मनोयति द्वारा।

(2) सहायक अधीक्षक/मुख्य लेखाकार–स्थायी प्रवर, वर्ग सहायकों, लेखाकारों निर्देश लिपिकों, उप लेखक प्रालेखकों, ज्येष्ठ लेखाकारों प्रवर वर्ग सहायक एवं स्टोर कीपर, ज्येष्ठ उपलेखक–प्रालेखकों और संवरीक्षकों में से पदान्नति द्वारा।

(3) प्रवर वर्ग सहायक, लेखाकार निर्देश लिपिक, उपलेखक–प्रालेखक, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रवर एवं सहायक वर्ग स्टोरकीपरर, ज्येष्ठ उपलेखक–प्रालेखक और संवरीक्षक :– मुख्यालय के स्थायी कनिश्ठ उपलेखक प्रालेखकों, अपर वर्ग सहायकों, लेखा लिपिकों, सहायक निर्देश लिपिकों, लिपिकों और टंकणों में से पदोन्नति द्वारा।

(4) कनिष्ठ उपलेखक प्रालेखक–मुख्यालय के स्थायी अपव वर्ग सहायकों, लेखा लिपिकों, सहायक लेखाकारों, अवर वर्ग सहायक एवं स्टोरकीपर, सहायक निर्देश लिपिकों, लिपिकों, टंकणों में से पदोन्नति द्वारा।

(5) अवर वर्ग सहायक और उसी वेतन मांग में यग्य लिपिक वर्ग के पद सीधी भर्ती द्वारा।

(6) आशुलेखक– सीधी भर्ती द्वारा।

ख– परिक्षेत्रीय कार्यालय

(1) मुख्य लेखाकार –

(एक) परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्थायी लेखाकारों,

(दो) जिला कार्यालयों के स्थायी जिला लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासाक्ष्य संवर्ग के पद दोनों श्रोतों के पदाधिारियों द्वारा समान अनुपात में धृत किये जायेगें।

(2) लेखाकार :– जिला कार्यालयों में स्थायी ज्येष्ठ लिपिकों और उसी वेतनमान में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(3) उपलेखक–प्रालेखक :– परिक्षेत्र कार्यालयों के स्थायी अवर वर्ग सहायक और कनिष्ठ लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा।

(4) अवर वर्ग सहायक और उसी वेतनमान के अन्य पद :– सीधी भर्ती द्वारा।

(5) प्रालेखक – सीधी भर्ती द्वारा।

ग– जिला कार्यालय

(1) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार/ जिला लेखाकार– जिला कार्यालयों में ऐसे स्थायी ज्येष्ठ और उसी वेतनमान में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में से, जिन्होनें कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) ज्येष्ठ लिपिक और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वपर्ग के पद जिला कार्यालयों में स्थायी कनिष्ठ लिपिकों और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(3) कनिष्ठ लिपिक और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वर्ग के पद– सीधी भर्ती द्वारा।

(4) आशुलेखन– सीधी भर्ती द्वारा।

6 –अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग चार– अर्हतायें राष्ट्रीयता

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यकता है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया है।

भाग तीन– भर्ती

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का श्रोत

5– सेवा में विदित प्रवर्गो की पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों में दी जायेगी –

क– मुख्यालय

(1) अधीक्षक–मुख्यालय के स्थायी सहायक अधीक्षकों और मुख्य लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा।

(2) सहायक अधीक्षक/प्रवर लेखाकार–स्थायी प्रवर, वर्ग सहायकों, लेखाकारों निर्देश लिपिकों, उप लेखक–प्रालेखकों और संवरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा।

(3) प्रवर वर्ग सहायक, लेखाकार निर्देश लिपिक, उपलेखक–प्रालेखक, ज्येष्ठ लेखाकार, प्रवर एवं सहायक वर्ग स्टोर कीपर, ज्येष्ठ उपलेखक–प्रालेखक और संवरीक्षक :– मुख्यालय के स्थायी कनिष्ठ उपलेखक–प्रालेखकों, प्रवर वर्ग सहायकों, लेखा लिपिकों, सहायक निर्देश लिपिकों, नीयक लिपिकों और टंकणों में से पदोन्नति द्वारा।

(4) कनिष्ठ उपलेखक–प्रालेखक–मुख्यालय के स्थायी प्रवर वर्ग सहायककों, लेखा लिपिकों, सहायक लेखाकारों, अवर वर्ग सहायक एवं स्टोरकीपर, सहायक निर्देश लिपिकों, नैरयक लिपिकों, टंकणों में से पदोन्नति द्वारा।

(5) अवर वर्ग सहायक और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वर्ग के पद सीधी भर्ती द्वारा।

(6) आशुलेखक :– सीधी भर्ती द्वारा।

ख– परिक्षेत्रीय कार्यालय

(1) मुख्य लेखाकार :–

(एक) जिला कार्यालयों के स्थायी लेखाकारों

(दो) जिला कार्यालयों के स्थायाी जिला लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासाध्य संव9र्ग के पवद दोनोकं श्रोतों के पदधारियां द्वारा समान अनुपात में धृत किये जाय।

(2) लेखाकार :– जिला कार्यालयों में स्थायी ज्येष्ठ लिपिकों और उसी वेतनमान में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(3) उपलेखक–प्रालेखक– परिक्षेक कार्यालयों के स्थायी अवर वर्ग सहायक और कनिष्ठ लिपिकों मं से पदोन्नति द्वारा।

(4) अवर वर्ग सहायक और उसी वेतनमान के अन्य पद :– सीधी भर्ती द्वारा।

(5) प्रालेखक– सीधी भर्ती द्वारा।

ग– जिला कार्यालय

(1) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार/जिला लेखाकार– जिला कार्यालयों में ऐसे स्थायी ज्येष्ठ और उसी वेतनमान में कार्यरत अन्य कर्मचारियों में से, जिन्होने कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) ज्येष्ठ लिपिक और उसी वेतनमान से अन्य लिपिक वर्ग के पद जिला कार्यालयों में स्थायी कनिष्ठ लिपिकों और उसी वेतन मान में अन्य लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(3) कनिष्ठ लिपिक और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वर्ग के पद––सीधी भर्ती द्वारा।

(4) आशुलेखक–– सीधी भर्ती द्वारा।

6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग चार –अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो ;

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया है।

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, यूगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्व वर्ती संगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश प्रवजन किया हो।

परन्तु उपयुक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा होना चाहिए जिसे पद में सरकार द्वारा पात्रता का प्रणाम पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि प्रवर्ग (घ) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपनिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र वर्ग से अधिक अवधि के लिए अब जारी नही किया जायेगा और ऐसा व्यक्ति को एक दो अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसा अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं :– 8– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अर्हताये
(1) अवर वर्ग सहायक/कनिष्ठ लिपिक और उसी वेतनमान के अन्य पद	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा ; (दो) हिन्दी टंकण का ज्ञान ;
(2) आशुलेखक	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा ; (दो) हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और न्यूनतम गति क्रमशः 80 शब्द और 25 शब्द प्रति मिनट।

अधिमानी अर्हतायें – 9–ऐसे अभ्यर्थी को जिसने,

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष में न्यूनतम अवधि तक सेवा की हों; या

(दो) राष्ट्रीय ग्रुप सैनिक निकाय (नेशनल केडिट कोर) का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञाप्ति की जाय और पांच जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गो के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अभिसूचित किये जायं, अभ्यर्थियों की दशा उच्चतर आयु सीमा उससे अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ठ की जाय।

चरित्र 11– सेवा में रिक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें, नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी सरकार के स्थापित अधिग्रहण में किसी स्थानीय अधिकारी या निगय या निकाय द्वारा स्थापित सेवा में किसी परस्पर नियुक्ति के लिए प्राप्त नही होगें। अधिक परगना के किसी प्रवर लिए दोषसिद्ध स्थापित नही होगे।

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए निर्गत कारण विद्यमान है।

13— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्व पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिऐ अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उसे यह अपेक्षा की जायेगी की वह फण्डामेन्टल कुल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। शारीरिक स्वस्थता

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग पांच— भर्ती की प्रक्रिया

14— नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और प्रवर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की दशा में तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा। रिक्तियों का अवधारण

15— अवर वर्ग सहायकों और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती समय—समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। अवर वर्ग सहायकों और उसी वेतनमान में अन्य लिपिक वर्ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16— आशुलेखक के पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक सघन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें :— आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(1) मुख्यालय के पदों के लिए :—

1—सयुक्त उप विकास आयुक्त, (प्रशासन) उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2—सहायक विकास आयुक्त, (मुख्यालय)	सदस्य
3—सहायक विकास आयुक्त, (प्रशासन)	सदस्य

(2) परिक्षेत्रीय कार्यालयों के पदो के लिए :—

1— सयुक्त उप विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2— अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास) जो उप विकास आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।	सदस्य
3—सहायक सेवा अधिकारी	सदस्य

(3) जिला कार्यालयों के पदों के लियेः—

1— जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2— अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी	सदस्य
3— जिला कृषि अधिकारी	सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता प्रतिवर्तित होने की अपेक्षा करेगी।

प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्य—विवरण और प्रक्रिया परिशिष्ट "ख" में दी गई है।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षायें उनके किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी सफलता प्राप्त करे तो चयन समिति उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामन्य उपयोगिता के के योग्यता के क्रमों में रखेगी। सूची में नामों की प्रक्रिया रिक्तियों की संख्या से अधिक प्रतिशत से अधिक नही) होगी।

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम से एक पात्रता सूची तैयार करेगी।

की चरित्रता—प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित ऐसे

(3) चयम समिति उपनियम (2)में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे तो यह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताक्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्ति 18–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के मांग का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा। जैसी कि यथास्थिति, चयन में अवधारियों की जाय, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची से अस्थायी और स्थानापन्न रुप से भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी नियुक्तियों में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने के बाद इसमें जो भी पहले हो नहीं रहेगी।

परिवीक्षा 19– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्तियों या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाए।

परन्तु अपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षा अधीन व्यक्ति ने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसको उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाए, किसी प्रतिकर का हक ना होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपर्युक्त है,

ज्येष्ठता 21– (1) एतद्द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय किसी प्रवर्ग के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जाएगीः –

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाए जबसे किसी व्यक्ति की मौलिक रुप से नियुक्ति की जानी हो तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त के आदेश में उल्लिखित की जायें।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जायेगीः–

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्य भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधि मान्यता के संबन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात–वेतन आदि

22– (1) सेवा से विभिन्न संवर्गों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रुप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर आधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

पद का नाम	वेतनमान
1	2
क– मुख्यालय	
(1) अधीक्षक	450-25-575- द0 रो0-25-700 रू0
(2) सहायक अधीक्षक / पुरुष लेखाकार	300-8-324-9-360-द0 रो0-10-44द0 रो0-12-500 रू0
(3) अवर वर्ग सहायक / लेखाकार / निर्देश लिपिक / उपलेखक–प्रालेखक।	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(4) ज्येष्ठ लेखाकार / अवर वर्ग सहायक एवं स्टोर कीपर–ज्येष्ठ उपलेखक–प्रालेखक	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(5) संपरीक्षक	280-8-200-9-350-द0रो0-10-335-द0रो0-12-365 रू0
(6) कनिष्ठ उपलेखक–प्रालेखक	200-6-200- द0 रो0-9-335- द0 रो0-10-365 रू0
(7) अवर वर्ग सहायक / नैत्यक लिपिक / लेखालिपिक / अवर वर्ग सहायक एवं स्टोरकीपर / टंकण	200-5-250- द0 रो0-6-280- द0 रो0-8-320 रू0
(8) आशुलेखक	300-8-324-9-360-द0रो0-10-440-द0रो0-12-500 रू0
ख– परिक्षेत्रीय कार्यालय	
(1) पुरुष लेखाकार	300-8-324-द0रो0-9-360-द0रो0-10-440द0रो0-12-500 रू0
(2) उपलेखक–प्रालेखक	260-8-296-9-350-द0रो0-10-400द0रो0-12-460 रू0
(3) लेखाकार	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(4) अवर वर्ग सहायक / कनिष्ठ लिपिक / स्टोर कीपर एवं खजांची	200-5-250-द0रो0-6-280-द0रो0-8-320 रू0
(5) आशुलेखक	300-8-324-9-360-द0रो0-10-440-द0रो0-12-500 रू0
ग– जिला कार्यालय	
(1) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार / जिलालेखाकार	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(2) प्रधान लिपिक / अभिलेखाकार / ज्येष्ठ लिपिक / लेखाकार / खजांची	230-6-290-द0रो0-9-335-द0रो0-10-385 रू0
(3) कनिष्ठ लिपिक / नैत्यक लिपिक एवं – टंकण / नैत्यक लिपिक / टंकण / स्टोर कीपर / खजांची	200-5-250-द0रो0-6-280-द0रो0-8-320 रू0
(4) आशुलेखक	250-7-285-द0रो0-8-375-द0रो0-10-425 रू0

परिवीक्षा अवधि में वेतन — (1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वहां पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जबकि उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जबकि उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः–

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर पाने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियमित प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियमित प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रुल्स द्वारा विनियमित होगाः

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड — 24– (1) अधीक्षक को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, विभाग के कार्य का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न बताया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) अधीक्षक के भिन्न किसी व्यक्ति को–

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न बताया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी परिश्रम और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो और उसका कार्य आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन– 25– किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अर्न्हत कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन — 26– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रुप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता — 27– जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विषय के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें यहां उस मामले में न्यायसंगत और न्यायपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभियुक्त या शिथिल कर सकती हैं।

व्यावृत्ति — 28– इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनकी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर

जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये व्यवस्था करना अपेक्षित हों।

आज्ञा से
सुरेन्द्र
मोहन,
आयुक्त एवं सचिव।

परन्तु यह और कि यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त के आदेश में उल्लिखित की जायें।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जायेगीः–

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्य भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधि मान्यता के संबन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात–वेतन आदि

22– (1) सेवा से विभिन्न संवर्गों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रुप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर आधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

पद का नाम	वेतनमान
1	2
क– मुख्यालय	
(1) अधीक्षक	450-25-575- द0 रो0-25-700 रू0
(2) सहायक अधीक्षक/पुरुष लेखाकार	300-8-324-9-360-द0 रो0-10-44द0 रो0-12-500 रू0
(3) अवर वर्ग सहायक/लेखाकार/निर्देश लिपिक/उपलेखक–प्रालेखक।	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(4) ज्येष्ठ लेखाकार/अवर वर्ग सहायक एवं स्टोर कीपर–ज्येष्ठ उपलेखक–प्रालेखक	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(5) संपरीक्षक	280-8-200-9-350-द0रो0-10-335-द0रो0-12-365 रू0
(6) कनिष्ठ उपलेखक–प्रालेखक	200-6-200- द0 रो0-9-335- द0 रो0-10-365 रू0
(7) अवर वर्ग सहायक/नैत्यक लिपिक/लेखालिपिक/अवर वर्ग सहायक एवं स्टोरकीपर/टंकण	200-5-250- द0 रो0-6-280- द0 रो0-8-320 रू0
(8) आशुलेखक	300-8-324-9-360-द0रो0-10-440-द0रो0-12-500 रू0
ख– परिक्षेत्रीय कार्यालय	
(1) पुरुष लेखाकार	300-8-324-द0रो0-9-360-द0रो0-10-440द0रो0-12-500 रू0
(2) उपलेखक–प्रालेखक	260-8-296-9-350-द0रो0-10-400द0रो0-12-460 रू0
(3) लेखाकार	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(4) अवर वर्ग सहायक/कनिष्ठ लिपिक/स्टोर कीपर एवं खजांची	200-5-250-द0रो0-6-280-द0रो0-8-320 रू0
(5) आशुलेखक	300-8-324-9-360-द0रो0-10-440-द0रो0-12-500 रू0
ग– जिला कार्यालय	
(1) प्रधान लिपिक एवं लेखाकार/जिलालेखाकार	280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460 रू0
(2) प्रधान लिपिक/अभिलेखाकार/ज्येष्ठ लिपिक/लेखाकार/खजांची	230-6-290-द0रो0-9-335-द0रो0-10-385 रू0
(3) कनिष्ठ लिपिक/नैत्यक लिपिक एवं – टंकण/नैत्यक लिपिक/टंकण/स्टोर कीपर/खजांची	200-5-250-द0रो0-6-280-द0रो0-8-320 रू0
(4) आशुलेखक	250-7-285-द0रो0-8-375-द0रो0-10-425 रू0

एफीडेविट"1"

(भाग—3 के सभा में टिप्पणी देखिये)

प्रतिष्ठान के विभिन्न समूह (ग) श्रेणी के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के 11—4—77 तक उपलब्ध स्वीकृति पदों की संख्या

क्रम सं0	पदों का विवरण	पदों की संख्या	स्थाई पद	अस्थाई पद
1	2	3	4	5
(अ) कार्यालय आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) संवर्ग।				
1 अधीक्षक		2	2	
2 सहायक अधीक्षक		5	5	
3 प्रवर वर्ग सहायक		31	30	1
4 एकाउन्टैन्ट		8	8	
5 रेफेंस क्लर्क		9	9	
6 नोटर एण्ड ड्राफ्टर		2	2	
7 सीनिएर एकाउन्टैन्ट		1	1	
8 प्रवर वर्ग सहायक एवं स्टोर कीपर		1	1	
9 सीनिएर नोटर एण्ड ड्राफ्टर		6	6	
10 जूनियर नोटर एण्ड ड्राफ्टर		3	3	
11 गुरुयौगिक		1	1	
12 ऑडिटर		3	3	
13 अवर वर्ग सहायक		46	46	
14 एकाउन्ट्स क्लर्क		2	2	
15 सहायक यौगिक		1	1	
16 अवर वर्ग सहायक एवं स्टोर कीपर		1	1	
17 असिस्टेंट रेफरेस क्लर्क		2	2	
18 वटीन क्लर्क		7	7	
19 टंकण		1	1	
20 स्टोनोग्राफर		13	11	2
21 पेड अपेंटिस		7		7
	योग	152	142	10

(य) मण्डलीय संयुक्त/उपविकास आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश (मण्डलीय कार्यालय संवर्ग)

क्रम सं0	पदों का विवरण	पदों की संख्या	स्थाई पद	अस्थाई पद
1 गुरुयौगिक		20	19	1
2 यौगिक		37	36	1
3 प्रवर वर्ग सहायक		25	24	1
4 अवर वर्ग सहायक		22	20	2
5 कनिष्ठ लिपिक		24	23	1
6 आशुलिपिक		11	7	4
	योग	130	129	10

जिला विकास कार्यालय के लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1 सहायक लिपिक एवं यौगिक		56	51	5
2 जिला यौगिक		86	81	5
3 ज्येष्ठ लिपिक		433	407	26
4 ज्येष्ठ लेखा लिपिक		58	53	5
5 रिकार्ड कीपर		56	51	5
6 कनिष्ठ लिपिक		1242	1172	70
7 दफ्तरी		57	52	5
8 चौकीदार		51	51	
9 पद्यवाहक		56	51	5
10 चपड़ासी		318	279	39
11 स्वीपर		51	51	
12 स्वीपर सह चौकीदार		5		5
13 वाटरमैन		51	51	
14 ड्राइवर		54	51	3
15 पैड अप्रेटिस		102		102
16 आशुलिपिक		54	49	5
17 अर्द्धलीय–चपरासी (प्रति जिलाधिकारी (विकास)/ जिलाविकास अधिकारी के सम्वद्ध।		54	6	48
18 अर्द्धलीय–चपरासी (प्रतिरिक्त जिलाधिकारी से सम्बद्ध)		11	11	
	योग	2764	2437	327

विकास खण्ड के पराजपत्रित (लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी

क्रम सं0	पदों का विवरण	पदों की संख्या	स्थाई पद	अस्थाई पद
1 लेखाकार (ब्लॉक एकाउन्टैन्ट)		885	678	208
2 ज्येष्ठ लिपिक		855	657	198
3 स्टोर कीपर सह सीनियर		876	678	198
4 टंकण एवं लिपिक		925	718	207
5 ड्राइवर (जीप चालक)		657	657	
6 चपरासी/संदेश वाहक		1644	1634	10
7 भंगी/चौकीदार		876	875	गदरपुर
8 सईश		12	12	
	योग	6730	5909	821

एपेटिक्स–1

आशुलिपिकों की भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम और नियम

आशुलिपिकों की भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगेः–

विषय	अंक
1– अंग्रेजी में आशुलिपि	50
2– हिन्दी में आशुलिपि	50
3– अंग्रेजी में टंकण	50
4– हिन्दी में टंकण	50
5– हिन्दी में कम्पोजीशन	50
6– अंग्रेजी में कम्पोजीशन	50

टिप्पणी– हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपि में परीक्षा अलग–अलग होगी और उसमें से प्रत्येक में पांच मिनट के लिए भाषा के पर्याप्त डिक्टेशन के लिये होंगे। प्रत्येक डिक्टेशन के आशुलिपि की प्रतिलिखित करने और टंकित करने के लिये एक घंटे का समय दिया जायेगा।

(2) हिन्दी और अग्रेजी विषय के लिए लिखित परीक्षा की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों को सामान्य अभिरूचि के विषय पर एक पत्र अथवा एक निबन्ध (............कॉलम), विषय होगा और की परीक्षा का समय मिनट होगा।

(3) हिन्दी और अग्रेजी टंकण में से प्रत्येक की परीक्षा का समय पांच मिनट होगा।

(4) नियुक्ति का पास होने के लिए अभ्यर्थियों को आशुलिपि और टंकण में निम्नलिखित गति प्राप्त करना होगा।

(क) हिन्दी आशुलिपि	80 शब्द प्रति मिनट
(ख) अंग्रेजी आशुलिपि	100 शब्द प्रति मिनट
(ग) हिन्दी टंकण	25 शब्द प्रति मिनट
(घ) अंग्रेजी टंकण	40 शब्द प्रति मिनट

2—यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने आशुलिपि के गद्य के प्रतिलेखन में पांच प्रतिशत से अधिक अशुद्धता न की हो।

3—अभ्यर्थी ने हिन्दी और अंग्रेजी के निबन्ध के प्रश्न पत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

गद्याशों को चयन न केवल अभ्यर्थियों के आशुलेखन में उनकी गति की परीक्षा करने की दृष्टि से किया जायेगा बल्कि अच्छी और मुहावरेदार हिन्दी और अंग्रेजी के उनके ज्ञान के परीक्षा करने की दृष्टि से भी किया जायेगा।

ये परीक्षायें विभिन्न कार्यालयों क्रमशः अवर वर्ग सहायकों, कनिष्ठ लिपिकों तथा परिवक्ष लिपिकों के पदों हेतु अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के स्तर के अनुरूप होगी।

आज्ञा से
सुरेन्द्र मोहन
आयुक्त एवं सचिव।

Is pursuance of the provisions of clause (3)of Article 318 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2356/XXXVVIII4-1654-77, dated November 14,1980:

No9. 2356/XXXVVIII4-1654-77

Dated Lucknow, November 14, 1980

In exercise of the power under the proviso to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulation recruitment and the conditions of services of persons appointed to the Uttar Pradesh Rural Development (Gram Sewak) Service.

THE UTTAR PRADESH RURAL DEVELOPMENT

(GRAM SEWAK) SERVICE RULES, 1980

PART 1- GENERAL

(1) These rules may be called the Rural Development (Gram Sewak) Service Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

The Uttar Pradesh Agricultural Production and Rural Development Ministrial Service comprises of group 'c' posts.

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(d) "appointing authority" means the Additional District Magistrate (Development) /District Development Officer;

(e) " citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(f) " Commissioner" means the Commissioner, Agricultural Production and Rural Development, Uttar Pradesh and includes Commissioner, Rural Development;

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विद्यार्थी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड(ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 17 अक्टूबर, 1979

आश्विन 25, 1901 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम्य विकास अनुभाग–1

संख्या 4226/38–1––3526–1977

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 1979

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0––80

सविधान के अनुच्छेद 309के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (महिला) राजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियगित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (महिला) राजपत्रित सेवा नियमावली, 1979

भाग एक – सामान्य

1–– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (महिला) राजपत्रित/सेवा नियमा– संक्षिप्त नाम वली, 1979 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्तु प्रवृत्त होगी।

2–– उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (महिला) राजपत्रित सैया एक राजपत्रित सेवा है जिसमें सेवा की समूह 'क' और 'ख' के पद सम्मिलित है।

प्रास्थिति

परिभाषाएं — 3 —— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में——

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सविधान में भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) ''आयुक्त'' का तात्पर्य आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश है।

(घ) ''आयेाग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक–सेवा आयोग, से है

(ड) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व पवृत्त नियमों या आदेशों के आधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(झ) '' सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्राम विकास '(महिला) राजपत्रित सेवा से है। और

(ञ) ''भरती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेंण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो——संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या — 4——(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा संख्या समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की स्थायी सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदें/की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, निम्न लिखित होगी–

			स्थायी	अस्थायी
सहायक निदेशक(प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम)	:	:	2	–
उप निदेशक (महिला कल्याण पोषाहार)	:	:	1	–
निदेशक (महिला कल्याण पोषाहार)	:	:	:	1

परन्तु राज्यपाल——

(क) समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हे व उचित समझें।

(ख) किसी रिक्त पद को बिना ारे हुए छोड़ सकते है या उसे प्रास्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

भाग–तीन——भर्ती

भर्ती का स्रोतः– 5——सेवा में विभिन्न प्रवर्गो के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगीः–

(1) सहायक निदेशक (प्रयुयत पोषाहार काग्रक्रम) – ऐसे स्थायी महिला खंण्ड विकास अधिकारियों मे से जिन्हौने इस रूप मं कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा (अस्थायी सेवा को सम्मिलित करके) पूरी कर ली हो और जिनके पास कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई उपाधि है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येश्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त स्थायी खंड विकास अधिकारी (महिला) उपलब्ध न हों, तो ऐसे स्थायी सहायक विकास अधिकारियों (महिला) को जिन्हौने इस रूप में कम से कम 7 वर्ष की लगातार सेवा (अस्थायी सेवा को सम्मिलित करके) पूरी कर ली हो, और जिनके पास कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि हेा, सम्मिलित करे के लिये पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

(2) उप निदेशक (महिला कल्याण पोषाहार)–– स्थायी सहायक निदेशक (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्योष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(3) निदेशक (महिला कल्याण पोषाहार)–– स्थायी उप निदेशक(महिला कल्याण पोषाहार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पउ निदेशक (महिला कल्याण पोषाहार) उपलब्ध न हो तो ऐसे स्थायी सहायक निदेशक (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम) को, जिन्होने उस रूप में कम से कम 15 वर्ष्र की लगातार सेवा (अस्थायी सेवा को सम्मिलित करके) पूरी कर ली है, सम्मिलित करने के लिये पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

6–– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भरती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

7–– नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष क दौरान भरी जाने वाल रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ओर सहायक निदेशक(प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम) के पद के संबंध में उसकी सूचना आयेग को देगा। रिक्तियों का अवधारण

8–– (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा। निदेशक और उप निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

निदेशक के पद के लिए

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य विकास विभाग और जब सचिव और विभागाध्यक्ष एक ही हो तो विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग।

(तीन)विभागाध्यक्ष।

उपनिदेशक के पद के लिये

(एक) आयुक्त।

(दो) ऐसा अधिकारी जो विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य/विकास–विभाग/से निम्न पद का न हो।

(तीन)आयुक्त द्वरा मान–निर्दिष्ट कोई (अधिकारी, जो (विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से निम्न पद का न हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को , ज्येष्ठता क्रम में रखकर एक पात्राता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र–पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यथियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि व आवश्यक समझे तो वह अभयर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियोंकी ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

9–– सहायक निदेशक (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम) द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त का अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगीः सहायक, निदेशक (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम) के पद भर्ती की प्रक्रिया

परन्तु यदि सहायक विकास अधिकारी (महिला) में से पदोन्नति की जानी हो तो पदोन्नति का मानदंड योग्यता होगी।

भाग–पांच–– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायी करण और ज्येष्ठता

10––(1) मौलिक रिक्तियों होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें वह यथास्थिति, नियम 6 या 9 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियां करेगा। नियुक्ति

(2) नियुक्ति प्रधिकारी अस्थायी और स्नानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में विदिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इस सूचियों का काई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियां में नियुक्तियां कर सकता है:

परन्तु निदेशक और उप निदेशक (महिला कल्याण पोपाहार) क पद पर ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिये या अगले चयन तक, इनमें जो भी पहले हो, की जायगी और सहायक निदेशक (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम) के पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति पश्नागत पद को आयेाग से परामर्श किये बिना कुल मिला कर लगातार एक वर्ष से अधिक अवधि तकध् ृत नही करेगा।

परिवीक्षा 11––(1) किसी पद पर या सेवा में मौलिक रिक्ति में य उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दा वष्र की अवधि के लिये परिवीक्ष पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणें से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलक–अलग मामालों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ाययी जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक औार किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अविधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरानप किसी भी समय य उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावृर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम(3) क अधीन प्रत्यायर्तित किया जाय, किसी प्रतिकरा का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्रधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद परी स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की /संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थयीकरण 12–– किसी परिवीक्षधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि य बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के उन्त मे उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदिः––

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ग) उसी सत्यनिष्ठ प्रमाणित कर दी जाय और

(घ) प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी करण के लिए अन्यथा उपयुक्त है

ज्येष्ठता 13–– किसी भी प्रवर्ग के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक रूप में नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी।

परन्तु ऐसे व्यक्तियो की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उाके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

भाग छः– वेतन आदि

वेतनमान 14––(1) सेवा में विभिन्न प्रवर्गो के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये हुए हैं।

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान
1.	सहायक निदेशक (प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम)	550–30–700–द0रो0–40–90 द0रो0–50–1,200 रू0
2.	उप निदेशक (महिला कल्याण पोषाहार)	600–50–1,050–द0रो0–50–1,300– द0रो0–50–1,400 रू0
3.	निदेशक(महिला कल्याण पोषाहार)	1,400–50–1,500–द0रो0–60– 1,800 रू0

15.—— (1) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन सुसंगत फडामेंटल रूप द्वारा विनियमित होगाः परिवीक्षा अवधि

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्वि के लिये तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में ही, परिबीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

16——(1) निदेशक को दक्षता—रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने निरन्तर अध्यवसाय से कार्य न किया हो, पर्याप्त परिपक्वतता प्राप्त न कर ली हो, उसका कार्य और आचरण अन्यथा संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय। दक्षता रोक पार करने पर मानदंड

(2) उप निदेशक या सहायक निदेशक को——

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने निरन्तर अध्यवसाय से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त न कर ली हो, अच्छे ज्ञान का प्रदर्शन न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग सात——अन्य उपबन्ध

17—— किसी पद पर या सेवा मे लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिती के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा। पक्ष समर्थन

18—— ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों या आदेशों द्वारा शासित होंगे। अन्य विषयां का विनियमन

19—— जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सरकारी शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कठिनाई होती है यहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, और आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा की शर्तो में शिथिलता

20—— इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृति

आज्ञा से,
सुधीर कुमार विश्वास,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास विभाग
अनुभाग–1
अधिसूचना
26 सितम्बर, 1991 ई0

सं0 6630/38–1––1991–1512–82–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक (ग्राम्य विकास विभाग) सेना में भर्ती और उसमें नियक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली व शर्तें हैं।

उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक (ग्राम्य विकास विभाग)
सेवा नियमावली, 1991

भाग एक–सामान्य

1–– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–– (1) यह नियमावली "प्रदेश लेखा परीक्षक (ग्राम्य विकास विभाग) सेवा नियमावली, 1991" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2–– सेवा की प्रास्थिति– उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक (ग्राम्य विकास विभाग) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3–– परिभाषायें–– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश से है ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयेग से है ;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;
(ङ) "मुख्यालय" का तात्पर्य आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से है ;
(च) "परिक्षेत्रीय कार्यालय" का तात्पर्य राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों पर स्थित संयुक्त या उप विकास आयुक्त के कार्यालय से है ;
(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से हैः
(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;
(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौखिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;
(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लेखा–परीक्षक (ग्राम्य विकास विभाग) सेवा से है ;

(ट) "मौखिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तस्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4–– सेवा का संवर्ग–– (1) सेवा की पदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है ;

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी स्थित पद को बिना मरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों या सृजन कर सकते हैं, जैसे यह उचित समझें।

भाग तीन––भर्ती

5–– भर्ती का स्रोत–– सेवा में विभिन्न श्रेणी पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी ;

(1) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक–– मौलिक रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों में से, पदोंत्रति द्वारा ;

(2) लेखा परीक्षक–– सीधी भर्ती द्वारा।

6–– आरक्षण–– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार–– अर्हता

7–– राष्ट्रिकताः–– सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिजाय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या
(ग) भारतीय भ्रमण का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के शतिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडो और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तँजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और गंजीबार) से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी यह पुलिस उप–महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देनेसे इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–– शैक्षिक अर्हता–– लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक है का विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से एकाउन्टेंसी या लेखा परीक्षा के साथ बी0काम0 की उपाधि रखता हो। उन अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिया जायेगा जो लेखा परीक्षा और लेखा कार्य में अनुभव रखते हों।

9–– अधिमानी अर्हता–– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10–– आयु–– सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, के प्रथम दिवस को इक्कीस वर्ष हो जानी चाहिए और बत्तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएः

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11––चरित्र–– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी––संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अवमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12––वैवाहिक प्रास्थिति–– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समान ही जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13––शारीरिक स्वस्थता–– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैन्ड बुक खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फन्डामेन्टस रूल 10 (घ) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पाँच––भर्ती की प्रक्रिया

14––रिक्तियों का अवधारण–– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15––सीधी भर्ती की प्रक्रिया–– (1) प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विज्ञापित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने इस संबंध में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का मान सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अप्रसारित करेगा।

16–– पदोत्रति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (1) ज्येष्ठ लेखा–परीक्षक के पद पर पदोत्रति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश — अध्यक्ष

(दो) उपायुक्त (लेखा)। मुख्यालय — सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचिया उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोत्रति पात्रता सूची नियमावली, 1988 के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जिन्हें यह उचित समझें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17– नियुक्ति– (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी कि यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

18––परिवीक्षा–– (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जोंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर, चदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्याविर्तत किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, यह किसी प्रतिकर हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारों संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि का संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

19–– स्थायीकरण–– (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि

या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थयी कर दिया जायेगा, यदि :

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि यह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपलब्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए हय आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा।

20—— ज्येष्ठता—— किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जागयी।

भाग–सात––वेतन इत्यादि

21––वेतनमान––(1) विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

पद का नाम	वेतनमान
1—— ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	1400—40—1600—50—2300—द0रो0—60—2600 रूपये।
2—— लेखा परीक्षक	1200—30—1560—द0रो0—40—2040।

22––परिवीक्षा अवधि में वेतन––(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और यदि नियम 19 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो, तो उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामण्डल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

23—— दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड—— (1) किसी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षक को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसने तत्परता से और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, वित्तीय नियमों, लेखा और विभागीय, लेखा और लेखा परीक्षा कार्य का पर्याप्त ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) किसी भी लेखा–परीक्षक की दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय और उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो और लेखा–परीक्षा, लेखा–नियमों और विभागीय आदेश के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो और लेखा–परीक्षा कार्य स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम न हो गया हो।

भाग–आठ––अन्य उपबन्ध

24—— पक्ष समर्थन—— किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अपर्ह कर देगा।

25—— अन्य विषयों का विनियमन—— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

26—— सेवा की शर्तों में शिथिलता—— जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, यहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम का अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन

होते हुये जिन्हें यह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या लिखित कर सकती है।

27– क्षतिपूर्ति–– इस नियमावली के किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

नियम 4 (2) देखिये

क्रम– संख्या	नाम	वेतनमान	स्थायी	अस्थायी	योग
1	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	रू0 1,400–40–1600–50–2,300–50 रो0–60–2,600	24	1	25
2	लेखा परी–क्षक	1,200–30–1560–द0रो0–40–2,040	51	3	54

उत्तर प्रदेश सरकार

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग–1

अधिसूचना

26 जुलाई,1992 ई0

सं0 4968/38–1––32–एम–87––संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण) राजपत्रित अधिकारी सेना में भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1992

भाग– एक––सामान्य

1–– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–– (1) यह नियमावली " उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण) राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2–– सेवा की प्रास्थिति– उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण) राजपत्रित अधिकारी सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह "क" और समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

3–– परिभाषायें–– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त, राज्यपाल से है ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाय ;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;

(घ) " आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;"परिक्षेत्रीय कार्यालय" का तात्पर्य राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों पर स्थित संयुक्त या उप विकास आयुक्त के कार्यालय से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौखिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण) राजपत्रित अधिकारी सेवा से है ;

(झ) "मौखिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

4–– सेवा का संवर्ग–– (1) सेवा की पदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है ;

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी स्थित पद को बिना मरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों या सृजन कर सकते हैं, जैसे यह उचित समझें।

भाग तीन––भर्ती

5–– भर्ती का स्रोत–– सेवा में विभिन्न श्रेणी पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी ;

(1) सहायक आयुक्त (प्रशिक्षण) और प्रधानाचार्य समूह "क"

(2) जिला प्रशिक्षण अधिकारी

(3) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (मृदा विज्ञान), प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी ( ),प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पीम सरंक्षण), प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (उद्यान) और प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि प्रस्तर)

(4) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत)

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला प्रशिक्षण अधिकारी और प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुदेशक (मृदा विज्ञान),ज्येष्ठ अनुदेशक (उद्यान), ज्येष्ठ अनुदेशक (शल्य विज्ञान), ज्येष्ठ अनुदेशक (पौध संरक्षण) और ज्येष्ठ अनुदेशकी (कृषि प्रसार) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशक (पंचायत) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(5) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (उत्पादन)	जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशक (पशुपालन) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(6) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशक (जन स्वास्थ्य) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(7) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (जन स्वास्थ्य)	(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशक (सहकारिता) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(8) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (सहकारिता और क्षेत्रीय सेवा व्यापार)	(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशक (महिला कल्याण) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(9) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (महिला कल्याण)	परन्तु यदि खण्ड, (1) से (9) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में अपने–अपने पोषक संवर्ग में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास प्रसार प्रशिक्षण योजना के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ अनुवेशक (कृषि अभिवानिकी) और ज्येष्ठ अनुवेशक (उत्पादन) में से,

(10)	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (लेखा), प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (प्रशिक्षण और शिक्षा) और प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (दृश्य–लक्ष्य सहायता और सांख्यिकी)	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

6–– आरक्षण–– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार–– अर्हता

7–– राष्ट्रिकताः–– सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिजाय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय भ्रमण का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के शतिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडो और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तैंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और गंजीबार) से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी यह पुलिस उप–महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देनेसे इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–– शैक्षिक अर्हतायें–– सेना में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक हैः–

पद	अर्हतायें
(1) जिला प्रशिक्षण अधिकारी	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सरय विज्ञान या मृदाविज्ञान या उद्यान विज्ञान या कीट विज्ञान या रोग विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान या कृषि प्रसार या कृषि अभियांत्रिकी में कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपर्युक्त विषयों में से किसी एक दिवस में डाक्टरेट की उपाधि या सरकारद्वारा इसके समकक्ष प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।

पद	अर्हतायें
(2) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (मृदा विज्ञान, सरयविज्ञान, पौध संरक्षण, उद्यान और कृषि प्रसार)	अनिवार्य– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन या मृदा और जल प्रसास या सरय विज्ञान या रोग विज्ञान या कीट विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ वनस्पति रोग विज्ञान या उद्यान विज्ञान या कृषि प्रसार मे कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ विशेषज्ञता या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।
(3) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत)	अनिवार्य–– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ कृषि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।
(4) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियांत्रिकी और उत्पादन)	अनिवार्य–– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ कृषि अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।
(5) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशु पालन)	अनिवार्य–– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ पशुचिकित्सा और पशुपालन विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(6) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (जन स्वास्थ्य)	अर्हतायें। अधिमानी– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा या पशुपालन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव। अनिवार्य–– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में स्नातक
(7) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (सहकारिता)	उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सफाई निरीक्षक परीक्षा प्रमाण–पत्र। (3) सरकार के किसी विभाग या सरकार द्वारा मान्यता– प्राप्त किसी संस्था में सफाई निरीक्षक या ज्येष्ठ अनुवेशक (जनस्वास्थ्य) के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। अधिमानी– सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में प्रशिक्षण या शिक्षण या जन–स्वास्थ्य कार्यक्रम के पर्यवेक्षण का तीन वर्ष का अनुभव। अनिवार्य–– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ सहकारिता और लोक वित्त में विशेषज्ञता के साथ
(8) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (उद्योग सेवा व्यापार)	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव। अनिवार्य–– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54
(9) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (महिला कल्याण)	प्रतिशत अंक के साथ वाणिज्य या व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य या व्यापार प्रशासन में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव। अनिवार्य–– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ समाज शास्त्र या गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(10) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (लेखा)

(11) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (प्रशिक्षण और शिक्षा)

(12) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि प्रसार सहायता)

(13) प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (सांख्यिकी)।

अर्हतायें।

अधिमानी–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खगोल शास्त्र या गृह विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।

अनिवार्य––

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

या

चार्टेड एकाउण्टेण्ट

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।

अनिवार्य––

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।

अनिवार्य––

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ कृषि प्रसार में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी–

प्रोजेक्ट और नॉन प्रोजेक्ट शादियों विजुअल एड्स पर कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव।

अनिवार्य––

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 54 प्रतिशत अंक के साथ गणित या सांख्यिकीय गणित या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अधिमानी––

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या वाणिज्यकीय गणित या सांख्यिकी में डाक्टरेट की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

अर्हतायें

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षण या प्रशिक्षण या शोध का तीन वर्ष का अनुभव।

9–– अधिमानी अर्हता–– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसनेः–

(एक) जो नियम 8 में उल्लिखित पद के सम्बन्ध में कोई अधिमानी अर्हता रखता हो, या

(दो) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) जिसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10–– आयु–– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी कैलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जांय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11––चरित्र–– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी––संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अवमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12––वैवाहिक प्रास्थिति–– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समान ही जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13––शारीरिक स्वस्थता–– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैन्ड बुक खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फन्डामेन्टस रूल 10 (घ) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पाँच––भर्ती की प्रक्रिया

14––रिक्तियों का अवधारण–– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15–– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया–– (1) चयन के विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित निहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतने अभ्यर्थियों को, जितने अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, जैसा यह उचित समझ, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की एक सूची उनकी प्रवीणता क्रम में जैसी कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको से प्रकट हो, तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का मान सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अप्रसारित करेगा।

16–– आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा नहीं की प्रक्रिया–– पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 कि अनुसार की जायगी :

परन्तु इस नियम के अधीन पात्रता, सूची तैयार करते समय जहाँ दो अलग–अलग पोषक संवर्ग हों, यहां––

(क) भिन्न–भिन्न वेतनमान होने की स्थिति में समान वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उचित स्थान पर रखा जायगा ;

(ख) समान वेतनमान होने की सिथिति में में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे।

17–– विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–– (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को पात्रता सूची, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्निति पात्रता सूची नियमावली, 1936 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र–पंजियां और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझें जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय जहां दो अलग–अलग पोषक संदर्भ हों, यहां––

(क) भिन्न–भिन्न वेतनमान होने की स्थिति में उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा ;

(ख) समान वेतनमान होने की सिथिति में में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे।

(3) चयनसमिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये एक सूची, उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में भी, जिससे उसे चयनित किया जाता है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति जानकारी को प्रसारित करेगी।

18–– संयुक्त चयन सूची–– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति निम्न प्रकार में की जानी हो, तो संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमे अभ्यर्थियों के नाम संसंगत सूचियों से इस प्रकार दिये जायेंगे कि निहित प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः––नियुक्ति, परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19–– नियुक्ति––(1) उपनियम (2) के उपलब्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति पदाधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिनमें वे यथा स्थिति नियम 15,16,17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है, वहां नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनो स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्ति के नामों का उल्लेख तथा स्थिति चयन में यथा पदधारित या जैसा कि इस संदर्भ में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 13 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

20–– परिवीक्षा–– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बड़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु अत्यनधिक परिस्थितियों के नियम परिवीक्षा अवधि एक वर्ष मे अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने आपरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका निर्दिष्ट पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति पदाधिकारी संवर्ग में शामिल किसी पद पर या किसी अन्य सफलता या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के परियोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21–– स्थायीकरण––(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन उहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि या अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर दी है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22–– ज्येष्ठता– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संबोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार प्रस्तारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

23–(1) वेतनमान––(1) विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं।

24––परिवीक्षा अवधि में वेतन––(1) फण्डामेन्टल रूल्र्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामण्डल रूल्र्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25–– दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड–– (1) किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि :–

(1) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और

(2) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग–आठ––अन्य उपबन्ध

26––पक्ष समर्थन–– किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अपर्ह कर देगा।

27–– अन्य नियमों का विनियमन–– उन विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली पर विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेना में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28–– सेना की भर्ती में शिथिलता–– यहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेना में नियुक्त व्यक्तियों की सेना की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कठिनाई होती है, यहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आवेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐ शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें यह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक राय से, अभिमुक्त या शिलिथ्ल कर सकती है ;

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29–– व्यावृति–– इस नियमावली में किसी बात को कोई मनाय ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ;

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) और 23 (2) देखिये]

क्रम–संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	3	4	5	6
1	सहायक आयुक्त (प्रशिक्षण)	3000–100–3500–125–4500	1	––	1
2	प्रधानाचार्य (समूह "क")	3000–100–3500–125–4500	10	12	22
3	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	2200–75–2800–द0रो0–100–4000	21	––	21
4	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	2200––75–2800–द0रो0–100–400	64	54	115
	(पदों का विषयवार ब्योरा)				
	(एक) कृषि अभियांत्रिकी		15	7	22
	(दो) मृदा विज्ञान		6	––	6
	(तीन) सरय विज्ञान		9	––	9
	(चार) पौध संरक्षण		12	––	12
	(पाँच) उद्यान विभाग		7	5	12
	(छः) पशु–पालन		11	11	22
	(सात) सरय विज्ञान		4	4	8
	(आठ) सहकारिता और उद्योग सेवा व्यापार		––	6	6
	(नौ) महिला कल्याण		––	6	6
	(दस) लेखा		––	2	2
	(ग्यारह) प्रशिक्षण और शिक्षा		––	2	2
	(बारह) दृश्य श्रव्य सहायक		––	2	2
	(तेरह) उत्पादन		––	2	2
	(चौदह) सांख्यिकी		––	2	2
	(पन्द्रह) जन–स्वास्थ्य		––	2	2
		4 (एक) से पन्द्रह तक को योग––	64	51	115

आज्ञा से,

के0 आर0 नाटी,

सचिव।

टिप्पणी–– राजपत्र, दिनांक 31–10–97, का भाग 1–क में प्रकाशित।

प्रतिलिपि सूचनायें प्रेषित––]

पी0एस0यम0याक0–– 6 ता0 (ग्राम्य विकास)––25–11–92––3,000(मोमो)।

उत्तर प्रदेश सरकार
ग्राम्य विकास विभाग
अनुभाग–1
6 जुलाई, 1992 ई0

संख्या 4228/38–1––72–एम–87 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण योजना) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण योजना) अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992

1– संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण योजना) अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1992 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– नियम 3 का संशोधन–– उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (प्रसार प्रशिक्षण योजना) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये वर्तमान नियम 3 के खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ हो में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।	(ग) "आयोग का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है।

3–– नियम 5 का प्रतिस्थापन–– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक वर्तमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5–भर्ती का स्रोत––(1) ज्येष्ठ अनुदेशक––(भिन्न–भिन्न नियमों के लिये)––	5–– भर्ती का स्रोत––(1) ज्येष्ठ अनुवेशक (भिन्न–भिन्न विषयों के लिये)।
(एक) 25 प्रतिशत पद अपने–अपने विषय के ऐसे स्थायी अनुवेशकों, क्षेत्रीय सहायक (पुरूष), क्षेत्रीय सहायक (महिला), अनुवेशक (अधिदर्शक), अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) और ऐसे यान्त्रिकों (जो अभियांत्रिकी में तीन वर्ष की डिप्लोमा रखते हों) मे से जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(एक) 25 प्रतिशत पद अपने–अपने विषय के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुवेशकों, क्षेत्रीय सहायक(पुरूष), क्षेत्रीय सहायक (महिला), अनुवेशक (अधिदर्शक), अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) और ऐसे यान्त्रिकों (जो अभियांत्रिकी में तीन वर्ष की डिप्लोमा रखते हों) मे से जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(दो) 75 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(दो) 75 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) अनुवेशक (अधिदर्शक)–– विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(2) अनुवेशक (अधिदर्शक)–– विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(3) यांत्रिक (उच्च श्रेणी)–– विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(3) यांत्रिक (उच्च श्रेणी)–– विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(4) अनुवेशक–	(4) अनुवेशक–
(एक) 20 प्रतिशत पत्र ऐसे स्थायी पदधारियों में से जिन्होंने प्रसार सहायक या प्रसार सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष या दुग्धशाला	(एक) 20 प्रतिशत पत्र ऐसे स्थायी पदधारियों में से जिन्होंने प्रसार सहायक या प्रसार सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष या दुग्धशाला पर्यवेक्षक,

स्तम्भ–एक
वर्तमान नियम

पर्यवेक्षक या प्रौढ़ साक्षरता आयोजक या लेखाकार के पद पर कम से कम 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, एक विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) 30 प्रतिशत पद ऐसे स्थायी पदधारियों में से जिन्होंने मशीनमैन या यांत्रिक (निम्न श्रेणी) या हस्तकला प्रशिक्षण, अनुवेशक (मैनुअल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्चर) या मलाईगर (वेल्डर), बढ़ई या लोहार के पद पर 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की ही एक विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) 30 प्रतिशत पद ऐसे स्थायी पदधारियों में से, जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में ग्राम्य विकास अधिकारी (प्रदर्शक) पुरूष या महिला के पद पर कम से कम 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो और प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो, एक विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(चार) 20 प्रतिशत पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(5) अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य)– विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत प मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी (मत्स्य प्रदर्शक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सफाई निरीक्षक प्रमाण –पत्र भी हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है।

(6) क्षेत्रीय सहायता (पुरूष)–

(एक) 30 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम्य विकास अधिकारी (प्रदर्शक) (पुरूष) में से– (एक) जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में कम से कम 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, और प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो या (दो) जो कृषि की किसी शाखा में परियोजना अधिकारी हों और जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में कम से कम पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो एक विभागी चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) 70 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(7) क्षेत्रीय सहायक (महिला)– 470–785 रूपये के वेतनमान में।

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रौढ़ साक्षरता आयोजक और कलाकार में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) 30 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त मशीनमैन या यांत्रिक (निम्न श्रेणी) या हस्तकला प्रशिक्षण, अनुवेशक (मैनुअल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्चर) या मलाईगर (वेल्डर), बढ़ई या लोहार में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस की उक्त पदों पर इस रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) 30 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम्य विकास अधिकारी (प्रदर्शक) पुरूष या महिला में से, जिन्होंने प्रशिक्षण योजना के प्रथम दिवस को इस रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो, पदोन्नति द्वारा।

(चार) 20 प्रतिशत पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(5) अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य)।

(एक) 50 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत प मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी (मत्स्य प्रदर्शक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सफाई निरीक्षक प्रमाण –पत्र भी हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है।

(6) क्षेत्रीय सहायता (पुरूष)–

(एक) 30 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम्य विकास अधिकारी (प्रदर्शक) (पुरूष) में से– (एक) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हों पदोन्नति द्वारा।

जिन्होंने प्रशिक्षण एक विभागी चयन समिति द्वारा पांच वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, पदोन्निति द्वारा।

(दो) 70 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(7) क्षेत्रीय सहायक (महिला)– 470–785 रूपये के वेतनमान में।

स्तम्भ–एक

वर्तमान नियम

(एक) 30 प्रतिशत पद ऐसे स्थायी ग्राम्य विकास अधिकारी (प्रदर्शक) (महिला) में से––(एक) जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, और प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो। या (दो) जो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या पोषणाहार (न्यूट्रिशन) या आहार (फूड) में स्नातक

की उपाधि रखती हों जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो।

और जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो, पदोन्नति।

(दो) 70 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(8) समूह "ग" के अन्य सभी पद और समूह "घ" के समस्त पद विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(एक) 30 प्रतिशत पद ऐसे स्थायी ग्राम्य विकास अधिकारी (प्रदर्शक) (महिला) में से––(एक) जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में 15 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, और प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो। या (दो) जो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या पोषणाहार (न्यूट्रिशन) या आहार (फूड) में स्नातक

की उपाधि रखती हों जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो।

और जिन्होंने प्रशिक्षण योजना में बने रहने का विकल्प दिया हो, पदोन्नति।

(दो) 70 प्रतिशत पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(8) समूह "ग" के अन्य सभी पद और समूह "घ" के समस्त पद विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

4–– नियम का संशोधन–– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ– एक में दिये गये नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–दो दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक

वर्तमान नियम

10–– आयु–– सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून तक की अवधि में विज्ञाप्ति किया जायें और पहली जुलाई को, यदि पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की होनी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

क्रम–संख्या	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	2	3	4
1	ज्येष्ठ अनुवेशक (भिन्न–भिन्न विषयों के लिये)	21 वर्ष	32 वर्ष
2	अनुवेशक (अधिदर्शक)	तदैव	तदैव
3	यांत्रिक (उच्च श्रेणी)	तदैव	तदैव
4	अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	तदैव	तदैव
5	अनुवेशक	तदैव	तदैव
6	क्षेत्रीय सहायक (पुरूष)	तदैव	तदैव
7	क्षेत्रीय सहायक (महिला)	तदैव	तदैव
8	प्रचार सहायक एवं प्रोजेक्ट आपरेटर	तदैव	तदैव
9	दुग्धशासी पर्यवेक्षक	तदैव	तदैव
10	प्रौढ़–साक्षरता आयोजकर्ता	तदैव	तदैव
11	कलाकार	तदैव	तदैव
12	प्रूफ रीडर	तदैव	तदैव
13	कम्पोजीटर	तदैव	तदैव

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

10–– आयु–– सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने, उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें यथास्थिति, पद विज्ञाप्ति या अनुसूचित किया जाय, नीचे पद के प्रति स्तम्भ (3) में प्रदर्शित आयु प्राप्त कर ली हो स्तम्भ (4) में प्रदर्शित आयु से अधिक आयु में प्राप्त की होः

क्रम–संख्या	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	2	3	4
1	ज्येष्ठ अनुवेशक (भिन्न–भिन्न विषयों के लिये)	21 वर्ष	32 वर्ष
2	अनुवेशक (अधिदर्शक)	तदैव	तदैव
3	यांत्रिक (उच्च श्रेणी)	तदैव	तदैव
4	अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	तदैव	तदैव
5	अनुवेशक	तदैव	तदैव
6	क्षेत्रीय सहायक (पुरूष)	तदैव	तदैव
7	क्षेत्रीय सहायक (महिला)	तदैव	तदैव
8	प्रचार सहायक एवं प्रोजेक्ट आपरेटर	तदैव	तदैव
9	दुग्धशासी पर्यवेक्षक	तदैव	तदैव
10	प्रौढ़–साक्षरता आयोजकर्ता	तदैव	तदैव
11	कलाकार	तदैव	तदैव
12	प्रूफ रीडर	तदैव	तदैव
13	कम्पोजीटर	तदैव	तदैव

स्तम्भ– एक वर्तमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(see table below)
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य, श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य, श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

1	2	3	4
14	वितरक एवं लिपिक	21 वर्ष	32 वर्ष
15	मशीनमैन	तदैव	तदैव
16	यांत्रिक (निम्न श्रेणी)	तदैव	तदैव
17	हस्तकला प्रशिक्षण अनुदेशक (मैनुअल ट्रैनिंग इंस्ट्रक्टर)	तदैव	तदैव
18	झलाईगर (वेल्डर)	तदैव	तदैव
19	बढ़ई	तदैव	तदैव
20	लोहार	तदैव	तदैव

5–– नियम 14 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में, नीचे सतम्भ–एक में दिये गये वर्तमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ– एक वर्तमान–नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14–– रिक्तियों का अवधारण–– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरा जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायगी और अन्य प्रकार से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को दी जायेगी।	14–– रिक्तियों का अवधारण–– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी उन व्यक्तियों से, जिन्होंने अपने नाम सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत करायें हों, सीधे भी आवेदन–पत्र आंमत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट में नोटिस चिपकाने के साथ–साथ किसी स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में एक विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्रों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

6–– नियम 15 का संशोधन–– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 15 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ– एक वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
15–– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया–– (1) ज्येष्ठ अनुवेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिये चयन के लिये विचारार्थ आयोग द्वारा विहित रीति से आंमत्रित किये जायेंगे।	15–– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया–– (1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित रीति से आंमत्रित किये जायेंगे।

7–– नियम 16 का संशोधन–– उक्त नियमावली में नियम 16 में––

(क) नीचे स्तम्भ – एक में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ – दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा अर्थात् :–

स्तम्भ–एक

वर्तमान–उपनियम

16–– अनुवेशक (अधिदर्शक, यांत्रिक उच्च श्रेणी), अनुवेशक, अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य) और क्षेत्रीय सहायक (पुरूष) क्षेत्रीय सहायक (महिला) के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(एक) अपर आयुक्त (प्रथम),

(दो) उपआयुक्त (प्रशिक्षण) या उसकी अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त (प्रशिक्षण),

(तीन) मुख्यालय पर समूह–क की श्रेणी का एक अधिकारी, जो नियुक्ति अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा,

(चार) सरकारों विभाग का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट प्राविधिक सदस्य (विषय–वस्तुविशेषक), जो सम्बद्ध विभाग के मुख्यालय पर कार्यरत समूह–क की श्रेणी का अधिकारी होगा।

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

16–– चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया––(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायगा।

(क)

नियुक्ति अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ;

(ख)

यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी यदि नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति से भिन्न एक अधिकारी ;

(ग)

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हो तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे और उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण उसके ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसे अधिकारी माडल आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किय जायेंगे।

(घ)

अनुवेशक, अनुवेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), क्षेत्रीय सहायक (पुरूष) और क्षेत्रीय सहायक (महिला) के पदों के संबध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट सरकारी विभाग का प्राविधिक सदस्य (विषय वस्तु विशेषज्ञ) जो मुख्यालय पर कार्यरत समूह 'क' श्रेणी का अधिकारी होगा।

(ख) उपनियम (2) निकाल दिया जायगा।

8–– नियम 17 का कनकाला जाना–– उक्त नियमावली में नियम 17 निकाल दिया जायगा।

9–– नियम 18 का संशोधन–– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 18 के उपनियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे। अर्थात् :–

स्तम्भ–एक

वर्तमान उपनियम

18–– विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया––(1) नियम 17 के अन्तर्गत न आने वाले पदों

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

18–– पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया––(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठतों के आधार पर चयन समिति के

स्तम्भ–एक वर्तमान, उपनियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त की अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, नियम 16 के यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम में की जायगी। (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझों जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।	माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष (ख) नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले दो अधिकारी — सदस्य (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोत्रति पात्रता सूची "नियमावली", "1986" के अनुसार पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित हो ले जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा। परन्तु इस उपनियम के अधीन पत्रता सूची तैयार करते समय जहां दो या अधिक भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हों वहां–– (क) भिन्न–भिन्न वेतनमान की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को उच्चतर वेतनमान वाले के संवर्ग में हो, पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा ; (ख) समान वेतनमान की स्थिति में अभ्यर्थियों के नामों की पात्रता सूची में उनके अपने अपने संवर्ग में उनकी मौकि नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखा जायगा।

10–– नियम 20 का संशोधन–– उक्त नियमावली में नियम 20 में,
(क) नीचे स्तम्भ एक में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ में दिया गया उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक वर्तमान–उपनियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
20–– नियुक्ति–– (1) उपनियम (2) के उपन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15,16,17,18 या 19 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हों।	20–– नियुक्ति–– (1) उपनियम (2) के उपन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15,16,18 या 19 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(ख) उपनियम (4) निकाल दिया जायगा।
11–– नियम 21 का संशोधित–– उक्त नियमावली के नियम 21 में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये उपनियम (1) और (5) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
21–– परिवीक्षा ––(1) किसी पद पर सेवा में स्थायी रिक्ति में या, उसके प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष, की अवधि के लिये परिवीक्षा, पर रखा जायगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	21–– परिवीक्षा ––(1) किसी पद पर सेवा में स्थायी रिक्ति में या, उसके प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष, की अवधि के लिये परिवीक्षा, पर रखा जायगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

12–– नियम, 22 का प्रतिस्थापन–– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक

वर्तमान नियम

22––स्थायीकरण–– किसी "परिवीक्षाधीन" व्यक्ति की परि–वीक्षा अवधि, या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति की स्थायी कर दिया जायगा, यदि––

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता–पूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषप्रद बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

22––स्थायीकरण–– किसी "परिवीक्षाधीन" व्यक्ति की परि–वीक्षा अवधि, या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति की स्थायी कर दिया जायगा, यदि––

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता–पूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषप्रद बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायी सेवकों की स्थायी–करण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो यहां उस नियमावली के नियमः 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति से, परि–वीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा।

13–– नियम 23 का प्रतिस्थापन–– उक्त नियमावली में , नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ– दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक

वर्तमान–नियम

23–– ज्येष्ठता–– (1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो आज दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश किये जाने के दिनांक से होता :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक नियम के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येशठता वही होगी जो नियम 20 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठताक्रम वही होगी, जो यथास्थिति आयोग का समिति द्वारा अवधारित की गई हो :

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित

23––ज्येष्ठता–– किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी, सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

स्तम्भ–एक वर्तमान नियम	
परन्तु सीधे भर्ती किया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता की सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह मुक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहें। कारण की मुक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्ति होगा। (3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई, पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायगी । किन्तु जो व्यक्ति निम्न वेतनमान में थे उनकी उन व्यक्तियों के उच्चतर ज्येष्ठता उस संवर्ग के जिससे उनकी पदोन्नति की गई, पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति से दिनांक से अवधारित की जायगी। किन्तु जो व्यक्ति निम्न वेतनमान में थे उनकी उन व्यक्तियों के उच्चतर वेतनमान में कार्यरत थे, नीचे रखा जायगा :	परन्तु–– (एक) जहां किसी एक स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाय, वहां कोटा से अधिक नियुत व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिये अनवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें /जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे रखा जायगा ;य (दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हो और ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रख जायेंगे, जिसके बादे अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम, उग्रानुक्रम में, रखे जायेंगे।

14–– नियम 24 का संशोधन–– उक्त नियमावली के नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 24 क उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ– एक वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
24––वेतनमान––(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अवमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	24––वेतनमान––(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अवमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

15–– नियम 26 का प्रतिस्थापन–– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम–26 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :––

स्तम्भ– एक
वर्तमान नियम

26–– दक्षता रोक पार करने का मापदण्ड– किसी व्यक्ति को––

स्तम्भ–दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

26–– दक्षता रोक पार करने का मापदण्ड– किसी व्यक्ति को दक्षता पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि

स्तम्भ– एक
वर्तमान नियम

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोष प्रद न पाया जाय ओर जब तक कि उसको सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय और

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पर करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी अब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोष प्रद पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

स्तम्भ–दो

एतद्द्वारा प्रतित्यातित नियम

उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और तब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

Guidelines for Employment Guarantee Scheme (EGS)
Under the MGNREGA, 2005

Draft For Discussion

CONTEXT

The Government of India passed the National Rural Employment Guarantee Act 2005 on September 2005. The Act gives legal guarantee of a hundred days of wage employment in a financial year to adult members of a rural household who demand employment and are willing to do unskilled manual work. The Act will be applicable to areas notified by the Central Government and will cover the whole country within five years. The Objective of the Act is to enhance the livelihood security of the people in rural areas by generating wage employment through works that develop the

infrastructure base of that area. The choice of works suggested addresses causes of chronic poverty like drought, deforestation, soil erosion. The aim is to rejuvenate the natural resources of the area to stimulate the local economy enabling those who work for wage employment in creating an asset to take advantage of it to engage in productive ways of self employment and augment their income. Effectively implemented the implemented the employment generated under the Act has the potential to transform the geography of poverty.

Implementation of the Act calls for the formulation of National Rural Employment Guarantee Schemes by the State Governments. Section 4 of the Act provides that within 6 months from the date of the commencement of the Act, every State Government shall by notification make a scheme for providing not less than hundred days of guaranteed employment in a financial year to members volunteer to do unskilled manual work subject to the conditions of this Act. The Scheme so formulated would have to provide for the minimum features specified in Schedule 1 of the Act.

Section 4 of the Act also provides that until such Scheme is notified by the State Government, the Annual or Perspective Plan of the Sampoorna Rozgar Yojana (SGRY) or the National Food for Work Programme (NFFWP) whichever is in force in that area shall be deemed to be the action plan for the scheme for the purpose of the Act.

- Obtain a Household Job Card from the Gram Panchayat.
- Apply for work on the basis of the Job Card.
- Be willing to do unskilled manual work.

3.3 Keeping the overall limitation of a household entitlement, women who have registered and requested for work under the Scheme will get priority and to ensure that at least one-third of the beneficiaries are from among the woman who have registered and requested for work.

3.4 If a rural disabled person applies for work than work suitable to his ability and qualification will have to be given. This may also be the form of services that are identified as integral to the programme.

4. STATUS

The Scheme will be implemented as a Centrally Sponsored Scheme on a costsharing basis between the Centre and the States. The Centre-State ratio in sharing the costs for providing wage employment will be 90:10.

5. IMPLEMENTATION PROCESSES

- The Central Government shall notify the areas in which the Scheme will come into force such date as may be appointed in the notification and different dates may be appointed for different States or for different areas in a State.
- The State Government within six months of the notification of the Central Government shall make a scheme or giving effect to the provision of section 3 of the National Rural Employment Guarantee Act.

- The scheme shall be prepared in accordance with the provisions of the Rules framed there under and these Guidelines.
- Since States have different administrative structures, the guidelines will indicate a broad implementation framework that is necessitated by the Act, that can be adapted according to the states's context.

5.1 Statutory Advisory Bodies

5.1.1 Central Employment Guarantee Council

The Central Employment Guarantee Council is to be set up by the Central Government under Section 10 of the National Employment Guarantee Act within 3 months of the Act coming into force. The council shall be responsible for advising on the implementation of the NREGA, monitoring and evaluating it.

5.1.2 State Employment Guarantee Council

A State Employment Guarantee Council is to be set up every state Government in accordance with Section 12 of the National Employment Guarantee Act within 6 months of the Act coming into force in that State or any part of that State. The National Employment Guarantee Council shall advise on the implementation of the employment Guarantee scheme, evaluate and monitor it. It shall discharge such functions and perform such duties as may be assign it to by the State Government under the Scheme to be formulated under Section 4 of the Act and may be assigned to it by the Central Council and the State Government from time to time.

5.2 STATUTORY IMPLMENTATION AGENCIES

The Act envisages a collaborative partnership between the Centre and the State Government, the Panchayats and the local community.

- At the village level the Gram Sabha will be responsible for a number of functions relating to planning and monitoring.
- The Panchayats at the District, Intermediate and Village-levels will be the Principal authorities for planning and implementation of the schemes made under the Act.
- The State Government will designate a District Programme Coordinator at the district level who can be either the District Collector or the Chief Executive Officer of the District or an officer of appropriate rank. The District Programme Coordinator shall be responsible for overall coordination and implementation of the scheme.
- A Programme Officer will be appointed at the Block level with necessary supportive staff for facilitating implementation at the Block level.
- The State Government shall delegate financial and administrative powers to the District Programme Coordinator and the Programme Officer as may be necessary, for effective implementation of the Scheme.
- The State Government will provide adequate technical and administrative assistance of District Programmer Coordinator.
- Line Departments, NGOs, Central and State Government Undertakings can be identified as implementation agencies.

6. IMPLEMENTATION PROCESS

6.1 COMMUNICATION

Communication and Publicity must be ensured for everyone to know about the Act and the EGS. Information about the Act and the EGS in easy-to-read materials in local language must be developed and widely disseminated. A multi media communication campaign must be designed and launched targeting different stakeholders. Local cultural forms and intensive inter

personal communication for a like discussions, and convention organized to generate awareness about the entitlements offered by the roles and responsibilities of the government, local bodies and community.

6.2 Demand Mobilization and Assessment

The unique feature about the EGS is that is it demand based. Then Demand should be mobilized to facilitate assessment and planning as ensuring that the benefits intended are claimed by those in need of them. Such, the Planning and Implementing agencies have a proactive role mobilizing demand. Wage seekers should be targeted first. Endem destitution areas that that have poverty related diseases deserve priority mobilization.

6.3 REGISTRATION

6.3.1 Any adult member of a household whose members desire to to unskilled manual work under the Scheme can apply for registration to the Gram Panchayat.

6.3.2 The application for registration may be given on a plain which should contain the names of those adult members of the family willing to do unskilled manual work, giving such particulars as age, sex, SC/ST, Photographs in three copies each of applicants should be attached for identification purposes. Cost of photographs would be borne as programme cost.

6.3.3 If the application for registration is presented to the Programme Officer, he should enter the particulars in the application form or on a plain paper, get the signatures or thumb impression of the applicant. The application would then be forwarded to the Gram Panchayat for registration.

6.3.4 All applications shall be verified by the Gram Panchayat and registered after due verification.

6.3.5 Verification of applications will be regarding local residence in the Gram Panchayat concerned and household as an entity defined in these guidelines, and the fact that applicants are adult members of the household.

6.3.6 Notwithstanding the method suggested above of application, registration and verification a gram sabha shall be convened for the purpose of mobilizing application, registration and verification.

6.3.7 The process of verification shall be completed not later than one week after the receipt of the application in the Gram Panhayat.

6.38 After verification, the Gram Panchayat will enter all particulars in the Registration register in the Gram Panchayat.

6.3.9 Every registered household will be assigned a registration number. The registration number shall be assigned in accordance with a coding system as prescribed by the state Government.

6.3.10 Copies of registration with one set of photographs will be sent to the Programme Officer for the purpose of reporting to the Intermediary and District Panchayat for further planning, tracking and record.

6.3.11 If is is found that a false registration has been done, it will be struck off

6.2 Job Card

6.2.1 A job Card will be issued by the Gram Panchayat to the Household that has been registered.

6.2.2 The job card shall be valid for a period of 5 years and will have provision for addition/deletion of members of eligible to work. Deletions if any in any household in the form of demise, or permanent change of place of a member are to be reported immediately by the household concerned. Additions desired may be applied for by the household. The gram Panchayat will also undertake an annual updation exercise in the same manner as registration. The

Gram Panchayat will send a list of additions/deletions to the programme on every year in the month of October so that it may be incorporated in the Labour Budget the District coordinator has to make by December.

6.2.3 The proforma of the job card shall be uniform, standardized and in the shape of a pass book containing permanent information in the first page and sufficient number of pages subsequently for making entries of work given for five year. The first page of the job card will have the family registration code number, particulars of the applicant and all members of the family regarding sex, age and the names of the adults willing to work along with their photographs. Individual copies of the Job Card will be given to each registered applicant of the family so that The State Government may consider issuing electronic job card in addition to or in lieu of the hard copy of the job card.

6.2.3 Any card holder may apply for a duplicate card if the original card is lost or damaged. The application will be given to the Gram Panchayat and shall be processed in the manner of new application with the difference that the particulars can also be verified from duplicate copy of the job card in the Panchayat.

6.2.4 If any person has a grievance against the non-issuance of job card, he may bring it to the notice of the Programme Officer. If the grievance is against the Programme Officer, he may bring it to the notice of the District programme co-coordinator or designated grievance redresal authority at the block or district level. Every such complaint shall be disposed of within 15 days.

6.3 DEMAND FOR WORK

6.3.1 Any adult member of aregistered rural household may apply for work to the Gram Panchayat or the Programme Officer in writing on a plain paper giving the registration number of the job card, the date from which and number

of days for which employment is required. A single application may be given for number of days in different periods during the year for which wage employment is required. A number of applicants may give a joint application also.

6.3.2 If the application has been given directly to the Programme Officer, he shall direct the application to the Gram Panchayat.

6.3.3 Time Bound Employment

The Gram Panchayat shall be responsible for providing wage employment to the applicant within 15 days on any ongoing work of the Panchayat or if the need be by starting a new work out of the works already sanctioned by the Programme Officer.

6.4.1 The applicants who are provided with work shall be intimated by the Gram panchayat means of a letter sent to the applicant at the address given in the job card and by a public notice displayed at the office of the Panchayat at District, Intermediate and Village-level.

6.4.2 After a person has exhausted his entitlement for 100 days of work he may still apply for work and be given work provided work is available after accommodating those applicants who have yet to complete their entitlement of 100 days.

6.4.3 Work will be offered normally on "first-come-first-serve" basis. If some persons have to be directed to report for work beyond 5 kms. persons older in age and women shall be given preference to work on the worksites nearer to their residence.

6.4.4 While providing wage employment, priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work under the Scheme.

6.4.5 The Gram Panchayat will inform the Programme officer of employment allotments made in a prescribed proforma on a fortnightly basis

6.4.6 Gram Panchayat does not affect employment within 15 days, the Programme Officer will allot, employment to the persons concerned. The employment allotted will be intimated to the gram panchayat.

6.5 WORKS AND THEIR EXECUTION

6.5.1 Works permissible under the Act.

(i) Water conservation and water harvesting;

(ii) drought proofing (including afforestation and tree plantation);

(iii) Irrigation canals including micro and minor irrigation works;

(iv) provision of irrigation facility to land owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to land beneficiaries of land reforms or that of the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India.

(v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks;

(vi) land development;

(vii) flood control and protection works including drainage in water logged areas;

(viii) rural connectivity to provide all-weather access; and

(ix) any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.

Under (ix) above, State Governments may formulate projects to address contextual needs and send them through their State Employment Guarantee Council to the Central Government of India for consideration and notification.

6.5.2 EXECUTION

- 50% of the works in terms of cost will be allotted to Gram Panchayat for execution.
- The other executing agencies can be other Panchayats, line departments of Government, Public Sector Undertakings of Central and State Government, Cooperative Societies with majority shareholding of Central or State Government and reputed NGOs having proven track record of performance. Self help Groups formed under SGSY may also be considered for entrusting works. The selection of executing agency will be based on technical expertise and resources, capacity to handle work within the timeframe, reputation for work and overall interest of beneficiaries.
- If any executing agency is unable to execute the works allotted within 15 days, for some reasons, it will immediately inform the Programme Officer, who will entrust it to another agency, from a panel of agencies approved Project wise for that Block in the Annual Plan for the District. If a gram Panchayat does not execute a work within 15 days, the Programme Officer will direct the applicants to do a work under execution by another implementing agency.
- Time for various activities must be fixed according to the migrant workers' needs, specially migrant workers' needs. The time frame for each project must be specified.
- Measurement of work will be based on a schedule of Rural Rates to be issued by the district on the basis of instructions of the State Government. The schedule of rates will be formulated by disaggregating each task into its and constituent activities and calculating the average time taken for the activity and then assessing its payment based on labour and time expended. Each

rural rates that ensure a just and equitable payment for the work done time motion studies will measure productivity rates by disagree the bundled tasks into sub tasks, studying each task and determining them for each sub task so that the labour knows the rate and can demand appropriated payment.

- The rates of work measurement will be published at work sites in a manner that is simple and meaningful to the labour.
- Measurement will be done within a fortnight so that the total wages can be paid within a fortnight.
- Muster Rolls will be provided by the Programme Officer to the Gram Panchayat for each work site.

6.5.2 Work Site Facilities

Work site facilities are to be ensured. Medical aid, drinking water, shade, crèche specially if there are more that five children below six years, will have to be provided. A person engaged to tend to children will be deemed to be a worker under the EGS.

6.6 Payment of Wages

6.6.1 Every person working under the Scheme shall be entitled to wages, as per minimum wage rate fixed by the State Government/competent authority concerned for agricultural labour under Minimum Wages Act, 1948 unless the wages have been notified by the Central Government under Section 6 (1) of the Act.

6.6.2 Equal wage shall be paid to both men and women workers and the provisions of Equal Remuneration Act, 1776 shall be complied with.

6.6.3 The payment of wages will be made on weekly basis but not Inter than fortnight.

6.6.4 A part of the wage rate will be given to the labour in cash on a daily basis to help them support their daily needs.

6.6.5 If the minimum wage rate fixed is linked to the task performed, the workers will be entitled to receive wages as per task performed. However, the State Government shall ensure that the schedule of rates is so designed that a person working for seven hours would normally earn a wage equal to the wage rate.

6.6.6 The State Governments and the programme authorities shall make all efforts to publicise the wage rate/task-based rates in simple language and by means easily accessible to the rural population. Wage rates shall also be displayed prominently on every worksite.

6.6.7 The Programme Officer, the District Programme Coordinator and the State Government shall keep a watch on the average wages earned under task-based system and if necessary, the schedule of rates may be revised to ensure that the earnings are near to the wage rate. The district wise average wage earned on task basis and paid to men and women shall also be brought to the notice of the State Council every year.

7. Unemployment allowance :- If the State Government cannot provide employment within 15 days of the date from when worm is requested, then an unemployment allowance will be paid at the rate prescribed in the act.

8. PLANNING

Planning is critical to the successful implementation of the EGS. A key indicator of success is timely generation of employment within 15 days while

ensuring that the design and selection of works are such that good assets are developed. This requires well coordinated planning in advance with a long-term, medium-term, short-term perspective.

8.1 PERSPECTIVE PLAN

A District Perspective Plan for at least five years will be prepared by each district. To begin with, if the Perspective Plan has been made under National Food for Work Programme (NFFWP) it should be revisited so that is serves the purposes of the NREGA. For this purpose, the draft plan should be discussed and be approved of with modification if need by, by the Gram Sabha, Gram Panchayat, Intermediate and District Panchayats. The priority will be determined by the Gram Panchayat.

The Perspective Plan will serve as a framework of long term planning. But it will be flexible enough to respond to the new emerging needs of the areas, the experience of implementation and the new areas of works approved by Central Government.

8.2 ANNUAL PLAN

8.2.1 The Annual Plan must flow out of the long-term Perspective Plan. The size of the Plan and priority of the works should be decided annually, keeping in view the demand for employment.

8.2.2 Every year, the Gram Panchayat shall convene a meeting of the Gram Sabha in April/May to estimate demand for labour and to propose the number and priority of works to be taken up in the next financial year. Based on the recommendations of Gram Sabha and the Ward Sabhas, the Gram Panchayat will forward its proposals to the Programme Officer before 30th of June. The choice of works will be based on the works identified in the Perspective Plan. The Gram Sabha may recommend additional works if the works identified in the Perspective Plan are insufficient or cannot be taken up for some reason or a

new activity has been permitted under the Scheme to the Central Government. The gram panchayat will prepare a development plan and forward to the Programme Officer. A format for the Development Plan should be laid down. The format would clearly indicate the existing demand for work, the demand in the previous year, the works taken up in the previous year, works on going and works proposed for the next year, likely costs, and proposed implementing agencies. The gram panchayat will also identify the 50% of the works in its area that is may wish to take up.

8.2.3 The Programme Officer will scrutinize the Development plan for its technical feasibility and satisfy himself that it meets the likely demand for employment based on the registrations and previous experience. If the Programme Officer feels that the list is insufficient to meet the likely demand, he should ask for a supplementary list. He may also recommend works out of the approved Perspective Plan to be executed by the Panchayat or any other agency. The Programme Officer will consolidate all the gram panchayat Development Plans and submit to the Intermediate Panchayat. The intermediate panchayat may hold consultations at its level to invite suggestions contingency when demand cannot be fully met with in a gram panchayat. The suggestions of elected public representatives of that area, NGOs who have been working in that area for rural development, and of Line Departments will be considered by the Intermediate Panchayat.

8.2.4 On the basis of these discussions, the Plan for the area of the Intermediate Panchayat will be approved by the Intermediate Panchayat and forwarded to the district Programme Coordinator. The District Programme Coordinator will scrutinize the plan proposals of all the Intermediate Panchayats, examining the appropriateness and adequacy of works in terms of

likely demand as well as their technical, and financial feasibility. He will invite and examine work proposals from other implementing agencies. He consolidate all these proposals into a District Plan proposals to be discussed approved by the District Panchayat. The District Panchayat will examine an approve the district plan. The District Programme Coordinator will then forward the approved list with administrative sanctions to each Programme Officer.

8.2.5 The Programme Officer will then get detailed estimates prepared and obtaind the technical and financial sanctions of the competent authorities and shall keep these available panchayat wise. This proves must be completed by December of the preceding year. The work of preparation of estimates will be done by the executing agency if they have the requisite expertise or from any other technical authority specified/outsourced with the general or specific approval lf the State Government. The project report of each shall contain all details as may be specified in the technical/works manual of the State Government and also the outcomes like person days, specifications of the physical asset (like length of road, size of a tank) and enduring outcomes like area irrigated, village connected.

8.2.6 After the works have been approved and estimates prepared, technical administrative, financial approvals obtained, the Programme Officer she forward a list of approval works to be executed in each Gram Panchayat along with cost, time-frame, mandays generated and executing agency to every Gram Panchayat.

8.2.7 If the work is being executed by any other agency, the Gram Panchayat concerne3d in whose jurisdiction work falls shall be informed of the estimated mandays, time-frame and main quality parameters and Gram Panchayat shall

be fully competent to oversee implementation of work, ask for copies of muster rolls. After completion of every muster roll, a copy be sent to Gram Panchayat.

8.2.8 Sanctioned works will be widely publicized.

9 ALLOCATION AND RELEASE OF RESOURCES

The Scheme is demand driven and allocation of resources to the Districts will depend on actual requirement and utilization.

9.1 FINANCING PATTERN

9.1.1 The Central Government will bear the costs on the following items :

- The Central Government will bear the costs on the following items;
- The entire cost of wages of unskilled manual workers.
- 75% of the cost of material and wages of skilled and semi-skilled workers.
- Administrative expenses as may be determined by the Central Government, which will include inter alia, the salary and allowances of the Programme Officer and his supporting staff and work she facilities.
- Expenses of the National Employment Guarantee Council.

9.1.2 The State Government will bear the costs on the following items

- 25% of the cost of material and wages of skilled and semi-skilled workers.
- Unemployment allowance payable in case the State Government cannot provide wage employment on time.
- Administrative expenses of the State Employment Guarantee Council.

9.2 RELEASE

9.2.1 The funds will be released by the Centre and the State into the accounts of the authority at the district level identifies by the State Government.

9.2.2 Funds will be releases well in advance to the implementing agencies to enable them to meet their demand for work.

9.2.3 The DPC will be a joint holder of the Account. Funds will be place the DPC with the Block Programme Officer according to the sanctioned plans

9.2.4 Financial sanctions must be made Known to the Panchayats.

9.3 NATIONALS & STATE EMPLOYMENT GUARANTEE FUNDS

9.3.1 The Central Government shall, by notification, establish a fund to be called the National Employment Guarantee Fund for the purposes of this Act.

9.3.2 The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary to the National Fund.

9.3.3 The amount standing to the credit of the National fund shall be utilized in such a manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government.

9.3.4 The Grants to the State Governments/districts in the State for implementation of National Employment Guarantee Scheme shall be released out of the National Employment Guarantee Fund in accordance with these guidelines and any further instructions issued by the Central Government or rules framed under the Act.

9.3.5 The State Government may, by notification, establish a fund to be called the State Employment Guarantee Fund for the purposes of implementation of the Scheme.

9.3.6 The amount standing to the credit of the State Fund shall be expended in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the State Government for the purposes of implementation of this Act and the Schemes made there under and for meeting the administrative expenses in connection with the implementation of this Act.

9.3.7 The State Fund shall be held and administered on behalf of the State Government in such a manner and by such authority as may be prescribed by the State Government.

10 Grievance Redressal mechanisms will be established.

- The Programme Officer will nodalise at the block level and the District programme Coordination at the District level for disposal of grievances.
- Gram Sabha will provide a forum for public hearings so that grievances may be redressed at appropriate levels.

11 Monitoring

- Gram Sabha will monitor all works at the village level and the employment provided to each household who is registered and requested for work. It will also monitor registration and issue of job cards and timely payment of wages.
- Gram Panchayat will monitor the works implemented by the other implementing agencies and the muster rolls maintained by them at work sites and the payments made.
- Intermediate Panchayat and the Programme Officer will monitor registration, employment provided to each household to each household, unemployment

Programme Officer shall be responsible to send all reports and returns to the District Programme Coordinator.

- District Panchayat and the District Programme Coordination will monitor all aspects of implementation including registration, employment, unemployment allowance, social audit, funds progress and quality of works and qualitative aspects of implementation timely and correct payment of wages and timely payment of unemployment allowance.
- State Government shall monitor the performance of all districts on the quality of pace of implantation as laid down in the National Monitoring System and the guidelines of the State Employment Guarantee Council.
- The State Government will send consolidated reports and returns to the Government of India.
- The performance of States and Districts shall be monitored through a comprehensive monitoring system which may be in addition to the reports and returns specified in these guidelines. The Ministry shall monitor the programme on the basis of monitoring system evolved by the Central Employment Guarantee Council. The Central Government will also monitor the programme through district level monitors and national level monitors. A National online monitoring system for key performance indicators will be evolved and all programme implementation authorities from Programme Officer to district and State-level shall report regularly on this system.

12 Evaluation and Research

12.1 Periodic Evaluation and Research Studies on the implementation of the Programme should be conducted from time to time. National Employment Guarantee council and State Employment Guarantee Councils may conduct evaluation studies from time to time. Evaluation studies may be entrusted to the reputed institutions and organizations, on issues meriting detailed studeies. These studies may be initiated by the Centre as well as the State/UTs. Copies of the evaluation studies conducted by any State should be furnished to the Central Government.

12.2 Remedial action shall be taken by the State/UTs on the basis of the observations made in these evaluation studies.

12.3 The District Panchayat/DRDA may also conduct studies from time to time. The District Panchayat/DRDA shall report the outcome of the studies to the State Government and the Central Government from time to time.

13. Transparency And Accountability

13.1 Audit

- Both Physical and financial audit of the works under the scheme are compulsory. This must be carried out at the end of the financial year by each district. The audit will be done either by Local Fund Auditors or by the Chartered Accountants appointed by the State Government. Copy of the audit note will be send to the State Government.
- The Accountant General will also conduct the Audit of Accounts of NREGS in addition to the audit conduct the Audit of Accounts of NREGS in addition to the audit conducted by the Chartered Accountant. The audit team of the AG shall be made available a copy of the audit conducted by the Chartered Accountant.
- District Internal Audit Cell in the officer of District Programme Coordinator shall be constituted to scrutinize the reports of Gram Sabha and conduct a special audit, if necessary. A monthly report will be

compiled and sent to the District Programme Coordinator, Programme Coordinator and the State Government who will initial actions for serious irregularities and also appropriate preventive action.

13.2 Applying Right to Information and Social Audit

The objective is to make the planning, implementation and evaluation of the employment guarantee scheme (EGS) more participatory, transparent and accountable through facilitating the exercise of people's right to information and by encouraging social audits it involves ordinary citizens in vigilance and enforcing accountability in a very tangible and direct manner. The emphasis is on self governance through gram sabhas. Social Audit will not be retrospective, but an on-going process of participation to ensure legal guarantees and entitlements flow to the beneficiaries in a legitimate way. As such, there are at least four stages at which social audit has to be inbuilt are pre planning stage of communication and mobilization, planning, implementation, monitoring and evaluation. At each stage, special audit has to be integrated into the critical activities that constitute the EGS process.

13.2.2 A broad check list for Social Audit should be drawn up and a Format for a summary Sheet for Social Audit must be developed and be made part of procedure and file. A check list is suggested below

a) Some Planning Tasks

(i). Identification of productive works at appropriated locations,.

(ii). Procurement of materials and other non labour input;

(iii). Identification of required skilled and semi-skilled personnel.

(iv). Development of action plans.

(v). Imparting required training and orientation.

(vi). Organizing the required facilities for the workers.

(vii). Registering applicants.

b) Some Implementation Tasks

(viii). Appropriately allocating work to applicants.

(ix). Farming that the applicants are informed of allocated work and schedules in time.

(x). Verifying the identities of the applicants.

(xi). Ensuring the timely supply of materials and other required inputs.

(xii). Quality control of the work.

(xiii). Ensuring that work is done on time.

(xiv). Ensuring workers welfare.

(xv). Ensuring full and timely payment of wages.

(xvi). Ensuring proper maintenance of records, including the accurate filling in of job cards.

(xvii). Operating a grievance redressal mechanism.

(xviii). Ensuring transparency and social audits, as prescribed in the law.

c. Some Other Tasks.

(i). Identification of applicants who could not be provided employment.

(ii). Payment of unemployment allowance.

(iii). Maintenance of relevant records.

13.2.3 A framework to help identify critical activities of EGS and possible RTI/social audit processes is indicated below.

Major Activities of EGS	RTI/SOCIAL AUDIT SAFEGUARDS
Planning Stage	
1. Required works and projects not identified.	To make a participatory and transparent process of planning mandatory at each panchayat, with the monthly involvement of the village community and a periodic involvement of the gram sabha. The panchayat functionaries would present, before the gram sabha and before smaller concerned people's groups : - the list of projects identified, - their relative priority, - their possible locations, - the labour/skilled/material and financial inputs required.
2. The works and projects identified are not satisfactory in terms of - locations - do-ability - financial and/or temporal viability - Sustainability - Social value - Ability to absorb the allocated work force - Others	

3. The work plans are not properly developed.	The suggestions of the gram sabha and the smaller consultative
4. The required materials and other inputs are not procured.	

5. The required expertise is not identified.	group would be taken in consideration before finalization,. 2. The gram sabha would also review the progress of the planning and preparation whenever it meets, with a smaller consultation taking place each month. 3. The gram sabha would also discuss the work plans and other details of the finally accepted shelf of projects and works, before these are finalized.
6. Genuine names are not registered. 7. The dates of registration are not properly/recorded.	1. List of applicants with the date of application would be put up weekly on the notice boards. 2. Public readings of the names with dates and other details every two weeks in public meetings at the village level, and in the gram sabha, whenever it meets. 3. List of those whose registration was refused, with reason for refusal, also on notice board and read out publicly. 4. Register with names and addresses available on all working days at the panchayat house, updated daily and open for inspection.
Implementation Stage	
1. Giving out of turn preferences to preferred applicants.	1. List of those applicants allotted work, along with their date of application and the type and location of work allotted would

2. Giving better locations/works to preferred applicants.	

3. Not informing applicants in time or appropriately of the work allocated to them.	be put up on the notice board every week and read out in a public meeting every two weeks. 2. List, indicating, the manner and date on which those applicants who did not take up the allotted work were informed of the allotment, would be put up on the notice board every week and read out in a public meeting every two weeks.
4. Not maintaining the required transparency and conducting the required social audits.	1. Public reading of the relevant clauses of the act every two weeks in a public meeting, and a public discussing on whether the clauses about transparency and social audit are being, enforced.
5. Not getting proper quantity or quality of materials required.	1. Access of information/records using provisions of the EGA and, where required, the RTI Act. 2. Preliminary scrutiny and compilation of information, and prioritization of issues. 3. There will be a social audit at each gram panchayat every six months. This social audit will assess the planning and implementation of each of the EGS components and also look at the work done under the EGS and the durable assets created. 4. As the effort would be to start and intensive process of public monitoring and
6. Not having the required skilled and semi skilled labour.	
7. Not maintaining proper timings.	
8. Allowing the work to get delayed.	
9. Not providing the required facilities to the workers.	
10. Not paying wages on time.	
11. Not paying the full wages.	
12. Not maintaining accurate records.	
13. Not filling in job cards properly.	

14. Not operationalising the requisite grievance redressal mechanisms.	social audits in the selected few districts initially, the detailed methodology would evolve through the process of doing.
15. Not recording grievances.	

16. Not acting on grievances.	
17. Not ensuring the quality of the works/creation of a durable asset.	
18. Not respecting the prescribed labour/material ratio.	
19. Late or non-payment of unemployment allowance.	
20. Ghost work	

13.2.4 Social Audit will need certain facilitating structures.

- For every work sanctioned under the scheme, there will be a local vigilance and monitoring committee of the villagers of the area belonging to the locality/village where the work is undertaken to monitor the progress and quality while work is in progress. The Gram Sabha will elect the members of the committee and ensure that SC/ST representatives and women are represented on it. This committee would be apprised by the implementing agency about the estimate of the work, time-frame and quality parameters. The final report of the committee would be attached along with the completion certificate of the work and would also be placed in the next meeting of the Gram Sabha of the Panchayat where work has been executed. A copy of the report will also be sent to the Programme Officer and the District Programme Coordinator.
- Local beneficiary committees may also be considered for effective articulation of their entitlements and their access to them.
- It will be the responsibility of the Programme Officer to ensure that local monitoring committees/beneficiary committees are constituted.
- Details of all demand, registration, Job Cards, list of people who have been given/not given employment, payments made, duration of work works, expenditure on unskilled labour, skilled labour, material, person days generated, reports of local committees, copies of muster rolls will be placed

before Gram Sabha once in every quarter. A summary of Muster Rolls should be read out for sample sheet.

- Village equivalents of Websites should be prepared
- Use of Boards on Panchayats to display information.
- Reports Cards by local works committees on works should be presented.

13.2.5 Training on RTI/Social Audit would be necessary. The state government would have to initiated.

(i). Developing training modules and materials for government and the public.

(ii). Training trainers.

(iii). Organising training and orientation programmes for government and people's representatives, including hands on training in using RTI and conducting social audits.

(iv). Setting up a network of individuals, groups and movements that can assist the government and the people to monitor the planning and implementation of the EGS in a participatory manner.

13.3 ACTION ON AUDIT REPORTS BY THE STATE GOVERNMENT

A copy of every audit reports, whether conducted by the Chartered Accountant, local fund auditor or internal audit cell and auditors of AG or CAG, and Social Audit reports will be sent to the State Government concerned. State Government will ensure speedy action against concerned officials/non officials for misappropriation of funds, frauds, wrong measurement, false entries in muster rolls and other irregularities of serious nature resulting in leakage of Government/public funds/resources and denial of entitlements of workers. The State Government will also take appropriate steps to prevent such irregularities.

14. Rules and Responsibilities of Key Agencies

14.1 Central Government

- Make Rules.
- Make and Issue Guidelines.
- Notify areas of application of Act.
- Communication
- Budget Provision for and Release of Central share.
- Set up Central Employment Guarantee Council
- Set up Central Employment Fund
- Monitoring and Evaluation and Research.

14.2 Central Employment Guarantee Council

- establish a central evaluation and monitoring system;
- advice the Central Government on all matters concerning the implementation of this Act;
- preview the widest possible dissemination of information about the schemes made under this Act;
- any other duty or function as may be assigned to it by the Central Government;
- The Central Council shall have the power to undertake evaluation of the various Schemes made under this Act and for that purpose collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Schemes.

The Chairperson and Members of the Central Employment Guarantee Council shall be described by the Central Government.

14.3 State Government

- Make Rules on matters pertaining to state responsibilities under the Act (32(I))
- Make and notify the Employment Guarantee Scheme
- Communication
- Set up the Employment Guarantee Council
- Set up the Employment Guarantee Fund
- Budget Provision for and Release of State share.
- Planning and implementation of EGS
- Training;
- Pay Unemployment Allowance if employment not given in 15 days despite adequate funds being available
- Monitoring and Evaluation and Research

14.4 State Employment Guarantee Council

- advising the State Government on all matters concerning the Scheme and its implementation in the State;
- Determining the preferred works;
- reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time and recommending improvements;
- promoting the widest possible dissemination of information about this Act and the Schemes under it;
- monitoring the implementation of this Act and the Schemes In the State and coordination such implementation with the Central Council;

- prompting the annual report to be laid before the State Legislature by State Government
- any other duty or function as may be assigned to it by the Central Council or the State Government.
- The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the

Recommendations of the Gram/ward Sabha and the same shall be forwarded to programme officer for scrutiny and preliminary approval.

- The Gram Panchayat shall prepare a development plan and maintain shelf of possible works to be taken up under the scheme as and when demand for work arises.
- The Intermediate Panchayat shall approve the block level plan and forward the same to District Panchayat for approval.
- The District Panchayat shall finalise and approve block-wise shelf of projects to be taken up for implementation under the scheme.
- The plan approved by District Panchayat will assign implementation responsibilities to various agencies like panchayats, line departments, NGOs etc.

14.5 District Programme Coordinator

- to assist the district Panchayat in discharging its functions under this Act and any Scheme made thereunder;
- to consolidate the plans prepared by the Blocks and project proposals received from other implementing agencies for inclusion in the shelf of projects to be approved by the Pandchayat at district level.
- to accord necessary sanction and administrative clearance, wherever necessary;
- to coordinated with the Programme Officers functioning within his jurisdiction and the implementing agencies to ensure that the applicants are provided employment as per their entitlements under this Act;
- to review, monitor and supervise the performance of the Programme Officers;
- to conduct periodic inspection of the works in progress; and
- to redress the grievances of the applicants.
- to prepare in the month of December every year a labour budget for the next financial year containing the details of anticipated demand for unskilled manual work in the district and the plan for engagement labourers in the works covered under the Scheme and submit it to the District Panchayat.

14.6 Programme Officer :

- Responsible for matching the demand for employment with the employment opportunities arising from projects in the area under his jurisdiction.
- Overall supervision and coordination of registration of applicants employment and for providing wage employment in accordance with the Act and the Scheme notified by the State.
- Prepare a plan for the Block under his jurisdiction by consolidating project proposals prepared by the Gram Panchayats and the proposed received from intermediate panchayats.
- Receive resources from District Programmed Coordinator and the release them to the implementing agency in accordance with these Guidelines the Scheme of the State Government.
- Maintain proper accounts of the resources received, released and utilized.
- Monitoring of projects taken up by the Gram Panchayats and implementing/executing agencies within his jurisdiction;
- Sanctioning and ensuring payment of unemployment of allowance to eligible households;
- ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed under a programme of the Scheme within his jurisdiction;
- ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction of the Gram Panchayat are carried out by the Gram Sabha and that prompt action is taken on the objections raised in the social audit;
- dealing promptly with all complains that may arise in connection with the implementation of the Scheme within the Block; and
- any other work as may be assigned to his by the District Programme Coordinator or the State Government.
- The Programme Officers shall-function under the direction, control and superintendence of the District Programme Coordinator.

15. Capacity Building

Training of all key functionaries is necessary. This would include PRIs, District and State level Department Personnel involved with EGS, as well as local committees/groups formed for the purpose of vigilance, monitoring, social audit.

16. MAINTENANCE OF RECORDS

16.1 Application for Registration Register

To be maintained by the Gram Panchayat.

16.2 Job Card Register

Every Gram Panchayat shall maintain a job card register and duplicate thereof in computerized from shall be maintained in the office of the Programme Officer.

16.3 Demand for Employment Register

Every Gram Panchayat and Programme Officer will maintain a register that records all the Demand received for employment. The Programme Officer will compile the data at his level. All applications for employment will entered in this register.

16.4 Employment Register

Gram Panchayat shall maintain a register showing the employment allotted. Information will be sent to the Programme Officer for compliation and onward transfer to the District level for further consolidation.

16.5 Muster Rolls

All muster rolls duly numbered will be issued by the Programme Officer to Gram Panchayats and all executing agencies. Gram Panchayat and other executing agencies shall maintain such muster rolls for every work in which name of the person on work, his job card number, days of work and absence, payment made shall be entered. Payment made and number of days of work will be entere3d in the job card of every worker. Signature or thumb impression of the payee will be obtained on the muster roll. The original muster roll will form part of the expenditure record of the executing agency. A photograph of the muster roll will be kept/sent for public inspection in every Gram Panchayat and in the office of Programme Officer. Any muster roll which is not issued from the office of the Programme Officer shall be considered unauthorized.

16.6 Asset Register at the levels of the Gram Panchayat implementing agency

All works sanctioned, executed and completed will be maintained in the Asset register at the level of the implementing agencies. This data will be reported to the Gram Panchayat and the Programme Officer by the implementing agencies.

16.7 Payment Register

16.8 Social Audit Register

16.7 Inspection Book at Work Site

16.8 Complaint Register will be maintained at all the Panchayat levels and in the offices of the Programme Officer and the District Programme Coordinator.

17. What A State EGS should have

A State EGS will be expected to clarify, inter alia, the following matters :-

a. Any variations in the registration or demand for work system subject to the condition that overall scheme of things envisaged in these guidelines shall be maintained.
b. Specify the implementing department in the State.
c. Specify a senior officer in the State as State Programme Coordinator.
d. Specify the District Programme Coordinator.
e. Lay down the mode of recruitment for Programme Officers and make interim arrangement till regular Programme Officer is not apponted.
f. Define the relationship with the Block Development Officer.
g. Specify the cheque signing authorities at the District, Block (Programme Officer) and Gram Panchayat.
h. Specify the procedure for payment of unemployment allowance.
i. Specify the authorities for administrative and technical approval of works and define their powers.
j. Specify the procedure for maintenance of accounts, maintenance of muster rolls, material, unskilled wage and skilled wage content of the works and audit arrangement for internal and social audit.
k. Procedure for making entries in the job cards and its cross-checking to avoid wrong entries.
l. Specify systems of transparency for wage rate.
m. Specify grievance redressal mechanism at Gram Panchayat, Intermediate Panchayat, District and State-level.
n. Specify system of payment of wages. Possibility of payment through accounts in the bank or post office may be considered.

o. Systems of providing copies of muster rolls and other records which may be required to be supplied under Right to Information Act.
p. Specify the system to be followed for providing work during bad weather at the time of natural calamities.
q. Applicability of financial and technical manuals already existing and modifications thereto.
r. Terms and conditions of the Chairperson and Members of the State Employment Guarantee Council, time, place and procedure of meetings.
s. Any other matter considered necessary by the State Government.

18. Transition to EGS

In the year of transition to EGS, works that have be sanctioned against the funds received under SGRY and NFFWP will continue. Demand for work under the NREGA can be met by directing applicants to works under these programmes.

RDS-03-EST/OTH/36/2022-XI-3-Rural Development Department
E–37493 / 06(11)2022

प्रेषक,

नितिका खण्डेलवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी
क्रमांक 821
दिनांक 20-11-23

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 09 नवम्बर, 2023

विषयः–ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत गठित "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" में सृजित पदो के सापेक्ष नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या–1122/1–2–स्था0/(199)/ग0उ0क्ष0वि0एवंरो0प्र0/2022 दिनांक 19 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत गठित "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" में कार्यरत कार्मिकों की अग्रेत्तर संवर्गीय पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित किये जाने हेतु सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत गठित "गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ" में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता है:–

क्र0सं0	पदनाम	ग्रेड पे	नामित नियुक्ति प्राधिकारी/ अनुशासनिक प्राधिकारी
1.	परियोजना अर्थशास्त्री	5400	राज्यपाल
2.	सहायक अभियन्ता		
3.	सहायक संख्याधिकारी	4600	विभागाध्यक्ष
4.	कनिष्ठ अभियंता		
5.	अन्वेषक तकनीकि		
6.	लेखाकार	4200	संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी
7.	कार्यालय अधीक्षक		
8.	सहायक लेखाकार	2800	
9.	आशुलेखक		
10.	कनिष्ठ सहायक	2000	
11.	चालक	1900	
12.	कनिष्ठ लेखा लिपिक		
13.	परिचर/चौकीदार/पत्रवाहक	1800	

RDS-03-EST/OTH/36/2022-XI-3-Rural Development Department

उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

/2023

भवदीया,

Signed by Nitika Khandelwal
Date: 07-11-2023 19:03:10

(नितिका खण्डेलवाल)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त परियोजना निदेशक/सहायक परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Arvind Singh Pangtey
Date: 08-11-2023 14:24:24

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
वर्ष 2024—25

प्राक्कथन

भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किये बिना देश की प्रगति की कल्पना निराधार है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु कतिपय विकास कार्यक्रम संचालित हैं। उत्तराखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा भी गरीबी उन्मूलन हेतु अपने वित्तीय संसाधन से कई अभिनव जनकल्याण कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा अवस्थापना सुविधा विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों में मुख्यतः स्वरोजगार कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण आवास कार्यक्रम, ग्रामीण संयोजकता के साथ–साथ क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं।

प्रदेश सरकार भी ग्रामीण जनकल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पीछे नहीं है। सभी निर्धन आवासविहीनों को आवासीय सुविधा, हर बेरोजगार को स्थानीय रोजगार तथा प्रत्येक परिवार को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु राज्य सरकार संकल्पबद्ध है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चयन, नियोजन, क्रियान्वयन तथा रखरखाव में सक्रिय भूमिका है। त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकारों के प्रतिनिधायन के साथ–साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता हेतु सतत प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु प्रयास निरन्तर जारी है।

अनुक्रमणिका

क.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड– एक दृष्टि में	
2	श्रम रोजगार कार्यक्रम (महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना)	
3	स्वरोजगार कार्यक्रम (दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	
4	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPM-RURBAN)	
5	ग्रामीण आवास कार्यक्रम– (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण)	
6	ग्रामीण संयोजकता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) एवं सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी0ए0डी0पी0)/राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम (शतप्रतिशत केन्द्रपोषित कार्यक्रम)	
7	अन्य कार्यक्रम (सामुदायिक विकास /विधायक निधि/मेरा गॉव मेरी सड़क योजना/ इन्दिरा अम्मा भोजनालय)	
8	ग्राम्य विकास विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम	
9	आईफैड–बाह्य सहायतित परियोजना ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (REAP)	
10	ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग	
11	पंचायतीराज विभाग की उपलब्धियॉ	
12	ग्रामीण निर्माण विभाग	

एक दृष्टि में

भौगोलिक क्षेत्रफल	–	53483 वर्ग कि0मी0
कुल जनसंख्या (2011 जनगणना):	–	100.86 लाख
पुरूष	–	51.38 लाख (51%)
महिलायें	–	49.48 लाख (49%)
ग्रामीण जनसंख्या	–	70.37 लाख (70%)
पुरूष	–	35.19 लाख (50%)
महिलायें	–	35.18 लाख (50%)
अनु0जाति	–	18.93 लाख (26.90%)
अनु0ज0जाति	–	2.92 लाख (4.15%)
साक्षरता दर (2011 के अनुसार)	–	78.8%
पुरूष	–	87.40%
महिलायें	–	70.0%
वन क्षेत्र (2021)	–	38000 वर्ग किमी
मण्डल	–	02
जनपद	–	13
विकास खण्ड	–	95
न्याय पंचायत (2022 के अनुसार)	–	662
ग्राम पंचायतों की संख्या (2022)	–	7796
कुल ग्राम (जनगणना 2011 के अनुसार)	–	16793
आबाद ग्राम (वन बस्तियों को सम्मिलित करते हुये)–2011	–	15745
गैर आबाद ग्राम–2011	–	1048

अध्याय 1
श्रम रोज़गार कार्यक्रम

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
केन्द्र पोषित योजना

<u>उद्देश्य</u> (Objectives)

- पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
- निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना।
- पंजीकृत श्रमिक की मांग पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिन तक अकुशल मजदूरी का 1/4 तत्पश्चात् 1/2
- न्यूनतम अकुशल मजदूरी ` 230/– प्रतिदिन।
- 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था। विलम्ब की दशा में 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से प्रतिकर भुगतान देय।

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था

- केन्द्र सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों के श्रमांश का शत–प्रतिशत तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमांश एवं सामग्री अंश का 75प्रतिशत
- राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमांश एवं सामग्री अंश का 25 प्रतिशत तथा बेरोजगारी भत्ता शत–प्रतिशत।

अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

I- प्रवर्ग एः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण के कार्य

- जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन सम्बन्धी कार्य
- लघु सिंचाई संबंधी कार्य
- वनीकरण
- जलागम प्रबन्धन संबंधी कार्य
- पारम्परिक जल स्रोतों का पुनरूद्धार संबंधी कार्य
- भूमि विकास

II-प्रवर्ग बीः दुर्बल वर्गो के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों (केवल पैरा 5 के परिवारों हेतु) का निर्माण

- भूमि उत्पादकता में सुधार
- बंजर अथवा निष्प्रयोज्य भूमि का विकास
- उद्यानीकरण, रेशम, वनीकरण के माध्यम से आजीविका में सुधार
- मत्स्य पालन,
- पशुवाडा निर्माण

III- प्रवर्ग सीः एनआरएलएम संबंधी स्वयं सहायता समूहों के लिये सामान्य अवसंरचना

- कृषि उत्पादकता में वृद्धि संबंधी कार्य
- स्वयं सहायता समूहों के आजीविका क्रियाकलाप हेतु वर्कशेड का निर्माण

IV- प्रवर्ग डीः ग्रामीण अवसंरचना

- ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य
- सर्वमौसम सड़क संयोजकता

- खेल का मैदान
- खाद्य भण्डार गृह
- विद्यालय की चारदीवारी
- ग्रामीण हाट
- आंगनवाडी केन्द्रों का निर्माण
- खेल का मैदान
- शवदाह गृह

- वरीयता क्रम
  - अ) भूमिहीन जॉब कार्ड धारक परिवार
  - ब) SECC में स्वतः सम्मिलित परिवार
  - स) 1–3 नाली वाले परिवार एवं इसके बाद अधिक भूमि श्रेणी (SC/ST एवं प्रवासियों को प्राथमिकता)

वित्तीय वर्ष 2023–24 में महात्मा गांधी नरेगा का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु State Convergence Plan ` 39221.10 लाख का तैयार किया गया है। योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा अंश ` 3620.96 लाख एवं विभागीय अंश ` 15488.10 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल ` 19109.06 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। ग्रामीणों को रोजगार के साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनकी निजी भूमि पर औद्यानिकीकरण सम्बन्धी कार्य उद्यान विभाग एवं सगन्ध पौधा केन्द्र (CAP) के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि हो रही है।

Bhilangana, Tehri

- <u>उद्यान विभाग</u>

  महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है। इस हेतु उद्यान विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले क्लस्टर आधारित फल फसल क्षेत्रफल विस्तार (उद्यानीकरण) एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके सापेक्ष ` 324.24 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए कुल ` 51.78 लाख की धनराशि व्यय की गई, जिससे 834 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

Nainidanda, Pauri

- <u>सगन्ध पौधा केन्द्र (CAP)</u>

  महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में सगन्ध फसलों की खेती को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सगन्ध पौधा केन्द्र (CAP) की विभिन्न योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है। चूंकि सगन्ध पौध जंगली जानवर नहीं चरते हैं अतः सगन्ध फसलों की खेती से जहाँ एक ओर जंगली जानवरों से खेती का बचाव होगा वहीं दूसरी ओर बंजर एवं निष्प्रयोज्य भूमि उपजाऊ होगी जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों की आजीविका में बढ़ोत्तरी होगी। महात्मा गांधी नरेगा का CAP के साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्राभिसरण किये जाने हेतु CAP द्वारा बहुवर्षीय फसलें यथा– लैमनग्रास, डेमस्क गुलाब, तेजपात एवं तिमूर का ` 359.14 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके सापेक्ष ` 119.48 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा 611 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

- <u>चाय विकास विभाग</u>

  चाय विभाग के साथ केन्द्राभिसरण कर ` 1741.03 लाख के सापेक्ष ` 658.49 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा कुल 2978 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

- <u>महिला एवं बाल विकास विभाग</u>

  महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ केन्द्राभिसरण कर ` 5054.28 लाख के सापेक्ष ` 303.09 लाख की धनराशि व्यय की गई।

- <u>रेशम विभाग</u>

  रेशम विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के तहत ` 422.42 लाख के सापेक्ष ` 174.65 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा 1312 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

- <u>मत्स्य विभाग</u>

  मत्स्य विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के तहत ` 276.45 लाख के सापेक्ष ` 74.77 लाख धनराशि व्यय की गई तथा 91 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

1. वित्तीय उपलब्धि (धनराशि लाख ` में) माह जनवरी, 2024 तक

1.04.2023 को अवशेष	2023–24 में अवमुक्त धनराशि			कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि	व्यय प्रतिशत
	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्ति			
1	2	3	4	5	6	7
6063.74	47012.69	2984.84	0.00	56061.27	55644.99	99.26

भौतिक प्रगति मानव दिवस सृजन (ला.मा.दिवस)						
लक्ष्य	पूर्ति	अनु.जाति	जन जाति	महिला	अन्य	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
180.00	158.01	26.16	8.99	90.29	122.86	87.78

लिये गये कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर कार्य	वर्ष में पूर्ण किये कार्यो का विवरण							
			जल संरक्षण एवं संभरण	लघु सिंचाई	पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण	सूखा रोधन	भूमि विकास	बाढ़ नियंत्रण	ग्रामीण सड़क सम्पर्क	अनु.जाति / जनजाति के परिवारों की भूमि पर सिंचाई सुविधा
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
188811	66343	122468	6953	4421	641	3285	15395	3039	5327	26008

राजीव गॉधी सेवा केन्द्र / अन्य भवनों का निर्माण	ग्रामीण स्वच्छता	अन्य कार्य	जॉब कार्ड धारक परिवारों की सं0	श्रमिक परिवारों की सं0 जिनके द्वारा रोजगार की मांग की गयी	उपलब्ध कराये गये रोजगार श्रमिक परिवारों की सं0	100 दिन का श्रम रोजगार प्राप्त श्रमिक परिवारों की सं0
19	20	21	22	23	24	25
4	724	546	1036408	463418	425242	8764

मिशन अमृत सरोवर

मिशन अमृत सरोवर के नवनिर्माण / पुनरूद्धार हेतु राज्य को 75 सरोवर प्रति जनपद की दर से 975 अमृत सरोवर बनाये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा दिया गया था जिसके सापेक्ष राज्य ने 1386 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जो लक्ष्य की तुलना में 142.15 प्रतिशत है। इस प्रकार आतिथि तक 1306 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है जो लक्ष्य का 133.95 प्रतिशत है। अमृत सरोवर के निर्माण में राज्य राष्ट्र में 13वें स्थान पर है। राज्य में अमृत सरोवरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते समस्त सरोवरों के उपभोक्ता समूह बनाये गये है तथा 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया है। मिशन अमृत सरोवर लागू होने से पूर्व में कतिपय क्षेत्रों में जो जल श्रोत सूख गये थे वे पुनर्जीवित हो गये हैं।

Doiwala, Dehradun

Bhatwari, Uttarkashi

अध्याय 2
स्वरोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका)
केन्द्र पोषित योजना

- एस0जी0एस0वाई0 के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा कराये गये मूल्यांकन के आधार पर एस0जी0एस0वाई0 के तहत ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं, लाभार्थियों में अपर्याप्त क्षमता निर्माण, सामुदायिक संस्थानों के गठन में अपर्याप्त निवेश एवं बैंक ऋण की उपलब्धता, बारंबार वित्त पोषण न होना तथा समर्पित मानव संसाधनों एवं उपयुक्त सुपुर्दगी प्रणालियों की कमी के दृष्टिगत एस.जी.एस.वाई में गुणात्मक सुधार करते हुये उक्त योजना को परिवर्तित कर मिशन के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया करवाना एवं उस समय तक उनका पोषण और संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से ऊपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगें।
- एन.आर.एल.एम. में विभिन्न स्तरों पर अपनी समर्पित संवेदनशील सहायक संरचनाओं और संगठनों के जरिये सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये उनकी क्षमताओं, आर्थिक स्थिति एवं स्वप्रबन्धित आत्मविश्वासी संगठनों का निर्माण करके नौकरियों में नियोजन के जरिये तथा उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार तथा उद्यमियों में नियोजित करते हुये गरीबी से उबारने का प्रयास करता है। धीरे–धीरे निर्धनों की ये संस्थायें अपने सदस्यों के जीवन, आजीविका और भाग्य का जिम्मा स्वयं ही उठाने लगेंगे।

मिशन, सिद्धांत और नैतिक मूल्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मुख्य रूप से यह धारणा निहित है कि निर्धनों में गरीबी से उभरने की तीव्र इच्छा एवं क्षमता है और वे उद्यमी हैं। इस प्रक्रिया का पहला कदम उन्हें स्वयं को संगठित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके लिये एक संवेदनशील और समर्पित वाह्य समर्थन तंत्र जरूरी है, जो निरन्तर उन्हें सामाजिक गतिशीलता, आजीविका प्रबन्धन एवं संस्थान निर्माण में सहायता देता रहे।
- गरीबों के ये संगठन उन्हें और अधिक अधिकार संपन्न बनाने, अपने मानवीय, सामाजिक, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक संसाधनों से सम्पन्न बनाने में मददगार साबित होते हैं। इससे उन्हें सार्वजनिक एवं निजी तौर पर उपलब्ध सेवाओं, अधिकारों, हक–हकूकों, आजीविका के अवसरों तक पहुंच सम्भव हो पाती है, साथ ही उन्हें उपलब्ध संसाधनों और अपनी रूचि के अनुरूप ऐसे रोजगार के अवसरों को चुनने का मौका उपलब्ध कराते हैं जिससे वे सदा के लिये गरीबी से अवमुक्त हो सकें।
- गरीबी उन्मूलन हेतु नितान्त क्षेत्रीय आधार पर निर्धनों को सशक्त एवं स्थाई संस्थाओं के माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार एवं उच्च कौशलयुक्त रोजगार के अवसरों हेतु समर्थ बनाना जिससे उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर प्राप्त हो सकें।

एन.आर.एल.एम. मार्गदर्शी सिद्धांत

- निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा होती है और उनमें सहज क्षमताएं भी हैं।

- निर्धनों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता और सशक्त संस्थाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थागत निर्माण तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की आवश्यकता है।
- जानकारी का प्रचार–प्रसार, कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने से वे स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

एन.आर.एल.एम. का नैतिक मूल्य

- अत्यंत निर्धनों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यंत निर्धनों के लिए सार्थक भूमिका।
- सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।
- सभी स्तरों–नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रमुख भूमिका।
- सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

दृष्टिकोण

- निर्धनों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एन.आर.एल.एम. में उनकी क्षमता विकास (ज्ञान, कौशल विकास, साख़ एवं संगठन निर्माण) की व्यवस्था की गई है। ताकि वे तेजी से बदलते विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। बदलते आजीविका क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुये एन.आर.एल.एम. तीन आधारों पर काम करता है– गरीबों की आजीविका के मौजूदा विकल्पों में वृद्धि एवं विस्तार, बाजार के बाहर रोजगार, बाजार के लिये कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन।
- एन.आर.एल.एम. का कार्यान्वयन मिशन मोड में किया जा रहा है, इससे–
  (क) वर्तमान आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य अपनी आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन की योजनायें बना सके.।
  (ख) लक्ष्यों, परिणामों एवं समयबद्ध वितरण पर जोर।
  (ग) सतत क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं निर्धनों तथा संगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
  (घ) निर्धनता उन्मूलन के परिणामों की निगरानी करना, चूंकि एन.आर.एल.एम. मांग आधारित कार्यनीति का अनुसरण करता है, इसलिये राज्यों को निर्धनता उन्मूलन के लिये अपने आजीविका आधारित संदर्श योजनायें एवं वार्षिक कार्य योजनायें बनाने की छूट दी गई है।
- इसका अन्तिम उद्देश्य यह भी है कि निचले स्तर पर यह सामुदायिक नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और पुनर्नियोजन का कार्य निर्धनों द्वारा स्वयं किया जा सके. यह योजनायें केवल मांग आधारित नहीं होंगी बल्कि निरन्तर चलती रहेंगी।

प्रशिक्षण क्षमता निर्माण एवं कौशल निर्माण

- स्वयं सहायता समूह तथा उनके परिसंघों को संस्थागत प्रबन्धन, बाजार के साथ सम्पर्क स्थापित करने, मौजूदा आजीविका का प्रबन्धन करने, उनकी ऋण उपयोग क्षमता तथा ऋण साख बढ़ाने तथा उनके क्षमता निर्माण कर सामुदायिक पेशेवर एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति बनाने हेतु पर्याप्त कौशल विकास करना। इस हेतु पंचसूत्र का पालन कराना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल विकास करना।
- समूह गठन में पंचसूत्र (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आपसी लेनदेन, नियमित ऋण वापसी तथा अभिलेखीकरण) सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- महिला स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों (Federations) को सतत् मार्गदर्शन एंव क्षमतावर्धन करना।

चक्रीय कोष (आर0एफ0) तथा सी0आई0एफ0

- प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि के रूप में बचत एवं आंतरिक ऋण की आदत बनाने हेतु परिक्रामी निधि/चक्रीय निधि उपलब्ध कराना।
- स्वयं सहायता समूहों के ग्राम संगठनों तथा उससे उच्च संगठनों को दीर्घकालिक ऋण, आवश्यकताओं तथा उपभोग सम्बन्धी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सी0आई0एफ0 उपलब्ध कराना।

सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन

- मिशन के तहत गठित सभी स्वयं सहायता समूहों को ब्याज उपादान के रूप में 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज पर ब्याजगत अनुदान उपलब्ध कराते हुये वित्तीय समावेशन की व्यवस्था।

आजीविका

- मौजूदा आजीविका के मुख्य साधनों (कृषि, गैर कृषि एवं स्वरोजगार इत्यादि) का विस्तार तथा संगठन आधारित आजीविका का सृजन करना।
- कौशल एवं उद्यमिता आधारित रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास करना।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता तथा महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन करना।

अवसंरचना सृजन एवं विपणन

- स्वयं सहायता समूहों के आजीविका सम्बन्धी मुख्य क्रियाकलापों के लिये मूलभूत अवसंरचनात्मक आवश्कताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- विपणन सहायता हेतु अनेक क्रियाकलापों में बाजार अनुसंधान, बाजार ज्ञान प्रौद्योगिकी तथा हर सम्भव सहायता उपलबध कराना।
- ग्रामीण हाटों को प्रोत्साहित करना एवं समूहों के सतत् प्रतिभाग तथा अनुक्रम हेतु सुविकसित तंत्र तैयार करना।

संवेदी एवं समर्पित संगठनात्मक संरचना

- राज्य, जिला तथा विकासखण्ड स्तरों पर गरीबों के सामुदायिक संगठनों को प्रक्रियान्मुख प्रयास हेतु संवेदी एवं समर्पित मानव संसाधन संरचना उपलब्ध कराना।

चरणबद्ध कियान्वयन

- उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के 95 विकासखण्डों में चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रगति

योजना के माध्यम से राज्य में आगामी 8–10 वर्षों की अवधि के दौरान समस्त गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाना है, प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2014–15 में 10 विकास खण्ड एवं द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2016–17 में 05 विकास खण्ड, तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2017–18 में 15 तथा चतुर्थ चरण वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30 एंव वित्तीय वर्ष 2019–20 में 35 विकासखण्डों को सघन विकास खण्ड रणनीति के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

संस्थागत विकास/क्षमता विकास के अन्तर्गत योजना आरम्भ से माह जनवरी, 2024 तक रू. 10340.60 लाख व्यय किये गये हैं। मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कोर टीम का प्रशिक्षण किया गया, जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया। अब तक राज्य में कुल 2187 सक्रिय महिलाएं, 1681 सी0आर0पी0, 491 सीनियर सी0आर0पी0, 900 बैंक सखी, 616 कृषि सखी, 200 पोषण सखी के रूप में सामुदायिक कैडर तैयार किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा ग्राम स्तर पर सामाजिक समावेशन/गतिशीलन करते हुये स्वंय सहायता समूहों के गठन/पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में तैयार करने हेतु सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्तियों का विशेष भूमिका है जिस हेतु राज्य द्वारा 2000 डी0जी0पे0सखी, 119 ए–हैल्प वर्कर एवं 109 एच0पी0सखी तैयार की गयी है।

योजनान्तर्गत प्रारम्भ से माह जनवरी, 2024 तक 505012 महिलाओं को संगठित कर 65358 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं पुनर्गठन करते हुए संगठित किया गया है तथा 47546 समूहों को रू0 6043.37 लाख रिवाल्विंग फण्ड तथा 32383 स्वयं सहायता समूहों को रू0 21602.40 लाख सी0आई0एफ0 (कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड) अवमुक्त कर आजीविका संर्वद्धन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह जनवरी, 2024 तक 84998 महिलाओं को संगठित कर 9571 समूहों, 1163 ग्राम संगठन तथा 93 कलस्टर संगठनों का गठन कर वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत 7400 समूहों को रू. 1470.80 लाख परिक्रमी निधि (आर0एफ0), 7947 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में रू0 5956.99 लाख एवं बैंक लिंकेज कर 23082 समूहों को रू0 24986.29 लाख का ऋण आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

- **आजीविका सम्वर्द्धन–** माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्रदेश में कुल 1.25 लाख लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40000 लखपति दीदी के लक्ष्य के सापेक्ष 40270 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 50000 लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान समय तक 28299 कुल 68569 लखपति दीदी तैयार की गयी है।
- **ग्राम उद्यमिता स्टार्ट–अप कार्यक्रम** (SVEP)- एस0ई0वी0पी0 योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से जनपद देहरादून के सहसपुर विकासखण्ड व उधमसिंहनगर के जसपुर विकासखण्ड तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 से जनपद चामोली के जोशीमठ विकासखण्ड व पिथौरागढ के धारचूला विकासखण्ड में प्रारम्भ किया गया । जिसके अन्तर्गत माह, जनवरी 2024 तक कुल 2733 उद्यमों की स्थापना कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया।
- **फार्मलाइवलिहुड**–यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा फार्म आधारित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से फार्मलाइवलिहुड के अन्तर्गत 91 विकास खण्डों में 220305 महिला किसानों का चयन कर उनका क्षमता विकास कर 155649 सदस्यों का एग्री न्यूट्री गार्डन/किचन गार्डन की स्थापना एवं 285 फार्म मशीनरी बैंक/सी0एच0सी0 की स्थापना विभिन्न रेखीय विभागों के साथ समन्वयन कर संचालित की जा रही है।
- **ए0जी0ई0वाई0 योजना**–योजना अन्तर्गत 33 वाहनों का क्रय कर संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न उद्यमों में उपयोग कर लाभार्थियों की आय में बृद्वि की जा रही है।
- **बाजारीकरण**–स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के बाजारीकरण हेतु 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट, 19 सरस सेन्टरों को जनपद स्तर पर आउटलेट के रूप में तैयार किया जा रहा है।
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 में उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर में मिलेट बैकरी आउटलेट का शुभारम्भ किया गया जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड़ सरकार द्वारा किया गया।
  - राज्य स्तर पर रानीपोखरी एवं रायपुर, देहरादून में उत्तरा आउटलेट की स्थापना की गयी है।
  - समूहों के उत्पादों के विपणन हेतु जौलीग्राण्ट एयरपोर्ट एवं देहरादून/हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आउटलेट की स्थापना की गयी है।
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के विभिन्न आई0एस0बी0टी0 (बस स्टेशनों) पर आउटलेट खोले जाने का प्रस्ताव है।
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 से यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के आजीविका सरस ब्राण्ड एवं हिमान्या/नेचूरली पहाड़ी ब्राण्ड से समूहों के उत्पादित सामग्री का विपणन किया जा रहा है।
  - यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा 110 अस्थायी आउटलेटों के माध्यम से यात्रा रूटों पर समूहों का उत्पाद विक्रय का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी चारधाम यात्रा मार्गो पर समूहों के उत्पादों के आउटलेटों की स्थापना की जायेगी।
  - दिव्य योग पीठ (पंतजलि) के साथ समन्वयन कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में पंतजलि के आउटलेटों पर समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को को–ब्राण्डिग में विक्रय कराये जाने पर कार्य गतिमान है तथा फॉर्म एवं नॉन फॉर्म के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्य भी किया जा रहा है।

- **ग्रोथसेन्टर योजना**–वित्तीय वर्ष 2019–20 से वर्तमान तक एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 24 ग्रोथ सेन्टर संचालित किये जा रहे है।

एल0ई0डी ग्रोथसेन्टर, नैनीताल

प्रसाद ग्रोथसेन्टर, हरिद्वार

एल0ई0डी ग्रोथसेन्टर, देहरादून

booklet on SHG Bank
inkage

आयरन पोर्ट ग्रोथ सेन्टर, लोहाघाट,चम्पावत

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

योजनान्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवार के युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2019–23 तक कुल 25000 युवाओं को प्रशिक्षित कर 70 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उक्त वार्षिक कार्ययोजना 2019–2023 में कुल लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक 20963 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करते हुये 16490 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जोड़ा गया तथा 11000 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह जनवरी, 2024 तक कुल 5095 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया जबकि 4628 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जोड़ा गया एवं 3477 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल उपलब्ध धनराशि ` 96.56 करोड के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक कुल ` 33.12 करोड़ व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय की जायेगी।

मेले में 144 बेरोजगारों को मिला रोजगार, खिले चेहरे

डी0डी0यू0जी0के0वाई के अन्तर्गत आयोजित एल्युमेनायी मीट, जॉब मेला एवं अन्य कार्यक्रम

अध्याय 3
ग्रामीण आवास कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
केन्द्र पोषित योजना

लक्ष्य एवं उद्देश्य–पीएमएवाई–जी के अन्तर्गत पात्र सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मुख्य विशेषताएँ–आवास हेतु ''**सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011**'' (SECC-2011) तथा आवास प्लस सूची से पात्र परिवारों का चयन किया जाता है।

- योजनान्तर्गत पर्वतीय राज्य हेतु नये मकानों के निर्माण हेतु प्रति इकाई लागत ` 1.30लाख केन्द्रांश एवं राज्यांश (90:10) के अनुपात में अनुमन्य है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–(ग्रा0) के अर्न्तगत निर्धारित मानकों के आधार पर पात्रता सूची में आवासविहीन, शून्य कमरों वाला आवास, 01 कच्चे कमरे वाला आवास, 02 कच्चे कमरों के आवास वाले पात्र परिवारों को प्राथमिकता/वरीयता प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों का निर्धारण

- योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य में से 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक श्रेणी तथा 5 प्रतिशत आवास दिव्यांगों लिए आरक्षित।

किश्तों का आंवटन

- निर्धारित धनराशि ` 1,30,000/– का भुगतान FTO के माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में निम्नानुसार तीन किश्तों में हस्तान्तरित किया जायेगा:–

स्टेज	धनराशि	विवरण
I	` 60,000.00	आवास स्वीकृत होने पर तथा निर्माण स्थल के फोटो ग्राफ अपलोड होने पर
II	` 40,000.00	निरीक्षण लेन्टल लेवल /फोटो ग्राफ अपलोड होने के उपरान्त
III	` 30,000.00	आवास पूर्ण (शौचालय सहित) होने तथा निरीक्षण/फोटो ग्राफ अपलोड होने के उपरान्त

केन्द्राभिसरण

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु ` 1.30 लाख के अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अथवा महात्मा गांधी नरेगा से प्रति इकाई लागत ` 12000/– की सहायता अनुमन्य।
- स्वयं के आवास निर्माण में कार्य हेतु 95 दिवस का श्रमांश मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवार को महात्मा गांधी नरेगा से प्रदान किये जाने का प्राविधान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे लाभार्थी महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत निर्धारित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त कर सकता है।
- उक्त के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाओं यथा विद्युत, पेयजल, गैस कनेक्शन आदि हेतु संबंधित रेखीय विभागों के साथ कन्वर्जेन्स।

आवास का डिजाईन/नक्शा–

- योजनान्तर्गत आवास निर्माण में सहायता हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा ''लाभार्थी पुस्तिका'' का प्रकाशन किया गया है, जिसमें भूकम्परोधी तथा उच्च गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण किये जाने हेतु मार्ग–दर्शन/सुझावों के साथ–साथ 04 मार्डल डिजाईन/नक्शे भी दिये गये है, जो निम्नानुसर है–

- ईंट की दीवार के साथ आर.सी.सी. छत वाला आवास का मा़डॅल डिजाईन/नक्शा
- ईंट की दीवार के साथ नालीदार छत वाला आवास का मा़डॅल डिजाईन/नक्शा
- पत्थर की दीवार के साथ आर.सी.सी. छत वाला आवास का मा़डॅल डिजाईन/नक्शा
- पत्थर की दीवार के साथ आर.सी.सी. छत वाला आवास का मा़डॅल डिजाईन/नक्शा
- लाभार्थी अपनी आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार आवास निर्माण कर सकता है।

कार्यनीति

- आवास का निर्माण लाभार्थी परिवार द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- विकास खण्ड में निर्माण कार्य की देख—रेख करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता मनरेगा, तथा रोजगार सहायक।
- ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदाई होगें।

लाभार्थी की भागेदारी

- आवास का निर्माण लाभार्थी परिवार स्वयं करेगा। इसके लिए जरूरी निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी लाभार्थी स्वयं करेगें, लाभार्थी कुशल कारीगरों को निर्माण में लगा सकता हैं तथा पारिवारिक श्रम का भी योगदान कर सकते है।

मकानों का आंवटन

- मकानों का आवंटन यथासंभव लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होना चाहिए, विकल्पतः इसे पति व पत्नी दोनों के नाम आंवटित किया जा सकता है। तथापि यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध न हो तो आवास पात्र परिवार के पुरूष सदस्य के नाम भी आंवटित किया जा सकता है।

आवास निर्माण के महत्वपूर्ण अवयव

- योजनान्तर्गत प्रत्येक आवास का निर्माण कम से कम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक कक्ष, किचन तथा शौचालय बनाना अनिवार्य होगा।

पारदर्शिता एवं जबाबदेही

- पीएमएवाई—जी के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों का नाम व वरीयता, प्रतीक्षा सूची को पंचायत भवन के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना।
- आवास निर्माण के निर्धारित तीन चरणों का जियो टैगिंग के माध्यम से फोटोग्राफ एवं निरीक्षण आख्या आवास सॉफ्ट में अपलोड किया जाना।
- प्रत्येक पंचायत पर सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था जिसमें ग्राम सभा की खुली बैठक में आवास आवंटन, किश्तों की अवमुक्ति तथा समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना।
- प्रत्येक आवास पर नाम पट्टिका, पीएमएवाई—जी का लोगो, जिसमें निर्माण वर्ष, लाभार्थी का नाम अंकित कराया जाना।

कार्य की प्रगति एवं एम.आई.एस. सिस्टम

- आवास की स्वीकृति के साथ ही लाभार्थी का पूर्ण विवरण केन्द्रीकृत डेटाबेस आवास सॉफ्ट में अपलोड किया जायेगा।
- आवास सॉफ्ट डेटाबेस में निर्माण स्थल जहाँ आवास का निर्माण किया जाना है तथा जहाँ अभी लाभार्थी निवास कर रहा है, का जियो टैगिंग से फोटो अपलोड होने के बाद प्रथम किश्त का भुगतान, लिंटल लेबल तक की आवास एप्प के द्वारा आवास की फोटो अपलोड होने के बाद द्वितीय किश्त का भुगतान तथा इसी प्रकार जब आवास शौचालय सहित पूर्ण हो जाए तो उसकी फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने के बाद अन्तिम किश्त का भुगतान किया जायेगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आवास प्लस सूची की स्थाई प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध 57394 परिवारों के सापेक्ष कुल आवंटित लक्ष्य 68632 (वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु 13399, 2021—22 हेतु 3073, 2022—23 हेतु 18602 एवं

2023–24 हेतु 33558) के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक 56698 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें से कुल 36111 आवासों को आतिथि तक पूर्ण कराया जा चुका है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 मे भारत सरकार से 33558 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में आवास आवंटन हेतु उपलब्ध 23308 लाभार्थियों में से 22618 आवास माह जनवरी, 2024 तक स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह जनवरी, 2024 तक 20014 आवास पूर्ण कराये गये जिसमें से 9012 आवास अनुसूचित जाति के तथा 1359 आवास अनुसूचित जनजाति, 335 अल्पसंख्यक, 9308 आवास सामान्य वर्ग हेतु निर्मित कराये गये। कुल उपलब्ध धनराशि ` 32939.25 लाख के सापेक्ष ` 28567.88 लाख (87 %) की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

वित्तीय उपलब्धि (लाख रू. में) जनवरी, 2024

1.04.2023 को अवशेष	2023–24 में अवमुक्त धनराशि			कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि	व्यय प्रतिशत	अभ्युक्ति
	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्ति				
4494.36	25447.50	2855.20	141.89	32939.25	28567.88	87%	

भौतिक प्रगति (आवास संख्या)

वर्ष	वर्षिक लक्ष्य	निर्मित आवास	कुल निर्मित आवास (सं0)				
			अनु0 जाति	जन0 जाति	महिलायें	अन्य	अल्प संख्यक
2020-21	13399	13001	6920	956	6591	4468	657
2021-22	3073	2964	1532	269	1433	998	165
2022-23	18602	15975	8896	1336	9620	5583	160
2023-24	33558	4171	3	0	2337	3997	171
कुल	**68632**	**36111**	**17351**	**2561**	**19981**	**15046**	**1153**

श्रीमती नथी देवी
विकासखण्ड– जोशीमठ, चमोली।

श्रीमती देवकी देवी,
ग्रा.प.– बस्तरी, विकासखण्ड– कनालीछिना

श्री रविन्द्र (UT145925436)
विकासखण्ड– भगवानपुर, हरिद्वार।

श्रीमती पार्वती देवी
विकासखण्ड– गरूड़, बागेश्वर।

अध्याय 4
ग्रामीण संयोजकता

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
(केन्द्र पोषित योजना)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों को बारहमासी मार्गों से संयोजित किया जाना है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नये फंडिंग पैटर्न के अनुसार 90:10 के अनुपात में धनराशि वहन किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मार्गों के निर्माण हेतु नियोजन चरण में समरेखण में आने वाली निजी भूमि प्रतिकर, निजी सम्पत्ति प्रतिकर, वन भूमि प्रतिकर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं 100 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु आनुपातिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा मार्गों के पूर्ण होने के पश्चात् उनके अनुरक्षण पर होने वाला व्यय भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (माह जनवरी, 2024 तक)

- पी0एम0जी0एस0वाई0–I एवं II के अन्तर्गत फेज़–1 से फेज़–21 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल 250 से अधिक जनसंख्या की 1864 बसावटों के संयोजन हेतु रू0 10360 करोड़ के 2775 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा इसके सापेक्ष आलोच्य अवधि तक ` 9636 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
- कुल स्वीकृत 2775 कार्यों, लम्बाई– 20264 किमी0 के सापेक्ष 2460 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 19655 किमी0 लम्बाई पर निर्माण कार्य पूर्ण कर 250 से अधिक आबादी की 1842 बसावटों को संयोजित किया गया है।
- वर्ष 2022–23 में ` 1350 करोड़ व्यय कर 905 किमी0 लम्बाई पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 28 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।
- वर्ष 2023–24 में ` 394 करोड़ व्यय कर 164 किमी0 लम्बाई पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 03 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।
- PMGSY-III के अन्तर्गत भारत सरकार से 2288 किमी0 लम्बाई का आवंटन स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 1091 किमी0 के 104 प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत हो चुके हैं तथा 1197 किमी0 के 108 प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।
- Vibrant Village Programme के अन्तर्गत 05 नये कार्यों, लम्बाई–43 किमी0, लागत ` 115 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है।
- इसके अतिरिक्त PM-JANMAN के अन्तर्गत 04 नये कार्यों, लम्बाई–33 किमी0, लागत ` 54 करोड़ की डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई हैं।
- योजनान्तर्गत गुणवत्ता नियन्त्रण की त्रिस्तरीय प्रणाली भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें प्रथम स्तर पर विभागीय अधिकारियों द्वारा, द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स (सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा एवं तृतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स (सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

- मार्ग पूर्ण होने पर मार्ग पर बस संचालन को अनिवार्य किया गया है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों को बैठाकर सड़क पर बस का संचालन किया जाता है।
- मार्गों का अनुरक्षण ई–मार्ग एवं PBMC के माध्यम से किया जा रहा है।
- प्रदेश में सीमित कार्यावधि एवं निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण हेतु नई तकनीक यथा–कोल्ड मिक्स एवं सीमेन्ट स्टेबिलाइजेशन आदि के प्रयोग भी किये जा रहे हैं, ताकि जिन कार्यस्थलों पर सामग्री उपलब्ध न हो अथवा जहां मौसम अधिक ठंडा हो तथा कार्य करने के लिए पर्याप्त अनुकूल कार्यावधि उपलब्ध न हो, उसमें भी मार्ग निर्माण का कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित नई डी0पी0आर0 में नैनो टैक्नोलॉजी का प्रयोग भी प्रस्तावित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत Meri Sadak App के माध्यम से नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली प्रारम्भ की गई है, जिसके माध्यम से योजना के कार्यों के विषय में नागरिकों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया, शिकायत एवं सुझाव दिये जा सकते हैं ताकि योजना के कार्यों में और अधिक सुधार किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कार्ययोजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

राज्यांश में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ` 331.00 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसके अन्तर्गत नियोजन चरण में मार्गों के निर्माण हेतु निजीभूमि प्रतिकर, निजी सम्पत्ति प्रतिकर, वन भूमि प्रतिकर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, व्यय आधिक्य, पूर्ण मार्गों के अनुरक्षण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण/बन्द मार्गों पर तत्काल यातायात उपलब्ध कराने एवं अधिष्ठान इत्यादि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

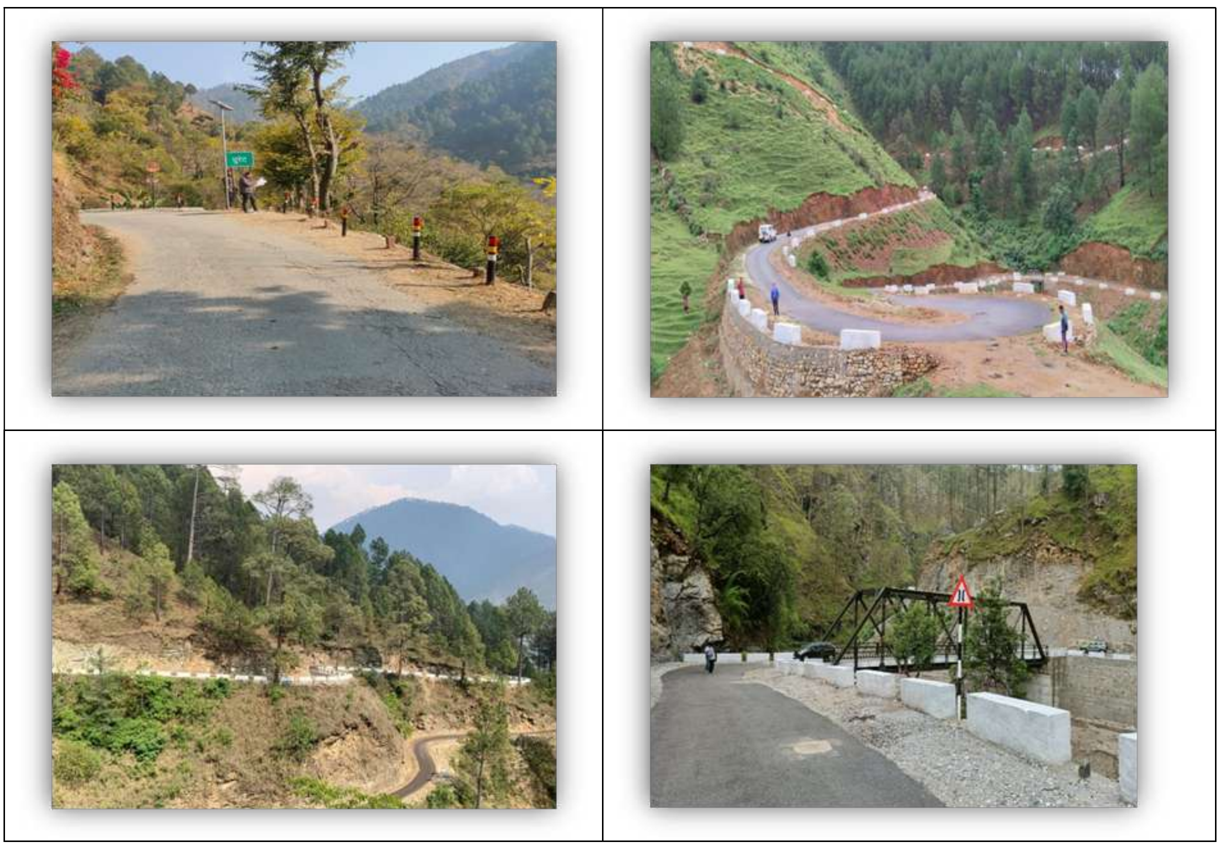

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपातकालीन निधि
(राज्य पोषित योजना)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु गठित जिन अनुबन्धों में पांच वर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान है, उन मार्ग के पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्धों में प्राविधानिक मदों के अनुसार सामान्य अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य मूल ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाता है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि पर्वतीय जनपदों में निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गों के अवरूद्व होने पर मार्गों पर यातायात के सुचारू संचालन हेतु तुरन्त आपातकालीन कार्य कराने होते है। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के कार्य भी कराये जाने होते है।

वाईब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम

वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर राज्य क्षेत्र में चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि वहॉ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ के कुल 51 गावों का चयन किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	वी0वी0पी0 गावों की संख्या
1	पिथौरागढ	मुन्स्यारी,	8
		धारचूला	17
		कनालीछीना	2
		पिथौरागढ – कुल गांव	27
2	चमोली	जोशीमठ	14
3	उत्तरकाशी	भटवाडी	10
कुल वी0वी0पी0 गांव			51

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम
(शतप्रतिशत केन्द्रपोषित योजना)

बायोगैस योजना शतप्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास 5 से 10 तक बडे पशु हों योजना के अर्न्तगत लाभान्वित हेतु पात्र है। राज्य के सभी क्षेत्रों हेतु 1 घनमीटर आकार तक के संयत्रों पर ` 17,000/–, 2 से 4 घन मीटर तक के संयत्रों पर ` 22,000/–, 6 घन मीटर तक के संयत्रों पर ` 29,250/–, 8 से 10 घन मीटर तक के संयत्रों पर ` 34,500/–, 15 घन मीटर तक के संयत्रों पर ` 63,250/–, 20 से 25 घन मीटर तक के संयत्रों पर ` 70,400/–प्रति संयंत्र अनुदान देय है तथा टर्न की एजेण्ट को बायोगैस निर्माण व पॉच वर्ष तक देखरेख के लिये 01 से 10 घन मीटर प्रति संयत्र ` 3000/– एवं 15 से 25 घन मीटर के संयत्रों के लिय प्रति संयत्र ` 5000/– देय है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (धनराशि लाख ` में) जनवरी, 2024

1.04.2023 को अवशेष	अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि (अन्य प्राप्ति सहित)	व्यय	व्यय प्रतिशत	भौतिक उपलब्धि संयत्र संख्या		
					लक्ष्य	पूर्ति	%
1.64	--	1.64	--	--	400	249	62

अध्याय 5
अन्य कार्यक्रम

सामुदायिक विकास योजना
(जिला सेक्टर योजना)

योजनार्न्तगत विकास भवन के कार्यालय तथा विकास खण्डों के आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। योजना के अर्न्तगत वित्तीय 2023–24 में माह जनवरी, 2024 तक कुल उपलब्ध धनराशि ` 19.44 करोड़ लाख के सापेक्ष ` 16.60 करोड़ व्यय करते हुये 30 कार्य (आवासी/अनावासी भवन)पूर्ण किये गये।

विधायक निधि
(राज्य पोषित योजना)

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ` 5.00 करोड प्रति माननीय विधायक धनराशि प्रति वर्ष देय है जिससे प्रत्येक विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा क्षेत्र में अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यो की पूर्ति हेतु संबधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्यो का क्रियान्वयन सरकारी विभाग, पंचायतीराज संस्थायें तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (धनराशि करोड़ में) जनवरी, 2024

1.04.2023 को अवशेष	अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	व्यय प्रतिशत	कुल लिये गये कार्य	पूर्ण कार्य	अनुसूचित जाति के कार्य	अनुसूचित जनजाति के कार्य	सामान्य जाति के कार्य
251.81	350.00	601.81	241.09	40	24197	7961	1561	514	5886

मेरा गांव मेरी सड़क योजना
(राज्य पोषित योजना)

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं, प्राथामिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न हैं. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़कों से जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये अन्य लोगों के सम्पर्क में आसानी से आ सकें साथ ही गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार कर सकें तथा गांवों से हो रहे पलायन को रोका जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु ''**मेरा गांव मेरी सड़क**'' योजना प्रारम्भ की गयी है।

Bhilangana, Tehri

Chamba, Tehri

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक कुल अवमुक्त धनराशि ` 5437.173 लाख के सापेक्ष माह फरवरी 2024 तक ` 3488.94639 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 187 सड़कों के सापेक्ष माह फरवरी 2024 तक 69 सड़कें पूर्ण, 95 सड़कों पर कार्य प्रगति पर, 8 निरस्त एवं 15 सड़कों पर कार्य अनारम्भ है जिसमें 64.28 कि०मी० सड़क निर्मित की गई है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय
(राज्य पोषित योजना)

समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उदद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 2015 को देहरादून नगर में प्रयोग के तौर उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गई है जिसका नाम ''**इन्दिरा अम्मा भोजनालय**'' है। इन्दिरा अम्मा भोजनालय की स्थापना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय में की गयी है। कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/ नियत्रंणाधीन है। कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित हो रही हैं। शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी मिशन (NULM) के अर्न्तगत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हो सकते हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान दिया जाना है।
योजनार्न्तगत प्रति थाली पर्वतीय क्षेत्रो में ` 25.00 एवं जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, एवं नैनीताल में प्रति थाली दर ` 20.00 उपभोक्ता से लिया जा रहा है तथा ` 10.00 राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप प्रति थाली वहन किया जाता है। वर्तमान में 26 इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित हैं। गत अवशेष सहित कुल उपलब्ध धनराशि ` 58.60 लाख के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक अनुदान के रूप में ` 49.73 लाख की धनराशि दी गयी।

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना

कोविड–19 के दृष्टिगत महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु लाभान्वित किया गया है–

उत्तराखण्ड़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित 21531 स्वयं सहायता समूहों को आवंटित ऋण ` 16615.30 लाख बैंक ऋण पर ब्याज की धनराशि ` 1827.68 लाख तथा आईएलएसपी के 8834 पीजी/वीपीजी को आवंटित ` 5944.90 लाख बैंक ऋण पर ब्याज की धनराशि ` 653.90 लाख के एवज में समूहों को ब्याज प्रतिपूर्ति की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित 159 महिला सीएलएफ को प्रति सीएलएफ ` 5.00 लाख का एक मुश्त अनुदान दिया गया है।

उत्तराखण्ड़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आईएलएसपी के अन्तर्गत गठित 42989 सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन हेतु प्रति समूह ` 2000 प्रति माह की दर से 06 माह के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना(आर.बी.आई.)
(राज्य पोषित योजना)

योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित सामुदायिक संगठनों/ सामुदायिक कॉडर/कृषक समूहों/ ग्रामीण परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में इन्टरप्राईज स्थापना में तकनीकी एवं ज्ञान आधारित सहयोग, Entrepreneur को वित्तीय समावेशन में सहयोग तथा Entrepreneur के समस्या निदान एवं Scalable Business Model चिन्हित करने, जागरूकता एवं क्षमता विकास, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, विपणन आदि सहगामी क्रिया कलापों में सहयोग हेतु प्रथम चरण में दो Hub की स्थापना क्रमशः

जनपद पौडी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की गई है, तथा स्पोक मॉडल के तहत राज्य के सभी जनपदों (जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ को छोड़कर) में आर0बी0आई0 के स्पोक स्थापित किये गये हैं।

योजनान्तर्गत कुल 10600 आवेदन प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 2300 इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेटर से जोड़ते हुये बिजनेस सहयोग उपलब्ध कराकर इनके बिजनेस स्थापना तथा विजनेस विस्तारण में सहयोग प्रदान किया गया है। इन्क्यूबेटीज को 50 बिजनेस पार्टनर्स एवं 30 से अधिक मेंटर्स से जोडते हुये बिजेनेस बृद्वि/मूल्य संवर्धन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 700 से अधिक उद्यमियों का व्यापार पंजीकरण, लाइसेंसिंग आदि में सहयोग प्रदान किया गया।अब तक कुल 218 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं।

आर.बी.आइ. के अन्तगंत आयोजित प्रशिक्षण सत्र

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)
(राज्य पोषित योजना)

उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटे पॉच जनपदों के नौ विकास खण्डों क्रमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, उत्तरकाशी के भटवाड़ी, उधमसिंह नगर के खटीमा, चम्पावत के लोहाघाट तथा चम्पावत एवं जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला, मूनस्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट जो कि सामरिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील एवं महत्वपूर्ण हैं, में पलायन रोकने के उद्देश्य से इन विकास खण्डों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा समग्र आजीविका विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मूल्य संर्वधन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 0–10 कि0मी0 (अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटा प्रथम गॉव को 0 कि0मी0 मानते हुए) मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से युक्त करना है, साथ ही वहां आवासित जनमानस को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। विशिष्ट परिस्थितियों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अधिकतम् 50 कि0मी0 तक के गॉव को कुछ महत्वपूर्ण घटकों हेतु आच्छादित किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है, किन्तु सर्वप्रथम 0–10 कि0मी0 तक के गॉव को विकास कार्यों के संतृप्तीकरण उपरान्त ही 0–20, 0–30 तथा 0–50 कि0मी0 को योजना के तहत लिए जाने के प्राविधान है।

इस योजना के तहत इन 9 सीमांत विकास खण्डों के गॉवों में कृषि/बागवानी, पशुपालन आधारित सेक्टरों में आजीविका विकास, ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, स्वरोजगार स्थापना सबंधी कौशल विकास, विशेष आजीविका विकास परियोजनायें/नवाचार योजनायें, आजीविका मॉडल गॉवों का विकास आदि घटकों में इस योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग किया जायेगा। समस्त योजनायें सामुदायिक विकास की होंगी कोई भी व्यक्तिगत लाभ की योजनायें अनुमन्य नहीं होगी।

योजना शतप्रतिशत राज्य पोषित है, योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है, योजनान्तर्गत कुल प्राप्त धनराशि ` 54.18 करोड़ के सापेक्ष ` 49.80 करोड व्यय किया गया है। योजनारम्भ से कुल स्वीकृत 376 कार्यो के सापेक्ष 269 कार्य पूर्ण किये गये शेष पर कार्य गतिमान है।

राजकीय पशुचिकित्सालय, लोहाघाट में आधुनिक शल्य यूनिट मय ओटी रूम एवं अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्थापना

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना
(राज्य पोषित योजना)

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम पलायन रोकना तथा रिर्वस पलायन को बढावा देना है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से संबंधित स्वरोजगार परक/कौशल विकास की योजनाओं प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना शतप्रतिशत राज्य पोषित है, योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है, योजनान्तर्गत कुल प्राप्त धनराशि ` 61.00 करोड़ के सापेक्ष ` 60.14 करोड व्यय किया गया है। योजनारम्भ से कुल स्वीकृत 1666 कार्यो के सापेक्ष 1152 कार्य पूर्ण किये गये शेष पर कार्य गतिमान है।

राजकीय आदर्श इन्टर कालेज, पतलोट नैनीताल में स्मार्ट कलासेज

अध्याय 6
अन्य कार्यक्रम

1) उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान (रूद्रपुर)

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान की स्थापना उत्तराखण्ड शासन द्वारा सितम्बर, 2002 में एक स्वशासी संस्थान के रुप में की गई। संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 115 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (3735 प्रतिभागी) के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक कुल 308 प्रशिक्षण कार्यक्रम इन कैम्पस एवं आफ कैम्पस आयोजित कर 11972 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

संस्थान द्वारा आवर्ती बजट से शासकीय एवं अशासकीय कर्मियों तथा सी0आर0पी0 व एस0एच0जी0 सदस्यों का अभिमुखीकरण 50 प्रशिक्षण (1273 प्रतिभागी), ग्राम्य विकास योजनाओं से सम्बन्धित राज्य बजट से विभागीय कार्मिकों एवं गैर शासकीय कर्मियों के 29 प्रशिक्षण (1152 प्रतिभागी), एन.आई. आर.डी.पी.आर. के सहयोग से 01 प्रशिक्षण (38 प्रतिभागी), राष्ट्रीय महिला आयोग का 02 प्रशिक्षण (349), एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत एस.एच.जी., सी. आर.पी. व सी.एल.एफ. के 04 प्रशिक्षण (328 प्रतिभागी), विश्व पर्यावरण दिवस, योग दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय समारोह पर संस्थान कर्मचारियों का जागरूकता कार्यक्रम 04 (99 प्रतिभागी), पंचायतीराज टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण 11 (341 प्रतिभागी), कोआर्डिनेशन कार्यक्रम–04 प्रशिक्षण (255 प्रतिभागी) तथा अन्य प्रशिक्षणों के अन्तर्गत 07 प्रशिक्षण (297 प्रतिभागी) जिसमें निर्वाचन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सोसियल वेल्फेयर, प्रशासन अकादमी, प्लायन निवारण आयोग तथा आई0ए0एस0 अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा ऑफ कैम्पस के अन्तर्गत ओ0टी0सी0 के 196 प्रशिक्षण (7840 प्रतिभागी) सम्मिलित हैं।

महिला किसान एवं महिला दैनिक मजदूर–प्लायन कार्यशाला में मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रतिभागियों को एवं वार्ताकारों से परिचर्चा करते हुए

वर्ष 2023–24 में माह फरवरी, 2024 तक आवर्ती मद (वेतन भत्ते एवं आकस्मिक व्यय, प्रशिक्षण) के सापेक्ष रु. 74.83 लाख (चौहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) राज्यांश तथा रु. 63.32 लाख (तिरेसठ लाख बत्तीस हजार हजार मात्र) केन्द्रांश सहित कुल रु. 138.15 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार) व्यय हो चुका है।

2) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र

उत्तराखण्ड में पाँच क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान तथा तीन ज़िला ग्राम विकास संस्थान का उच्चीकरण करते हुए 08 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः रूद्रपुर (उ0सि0नगर), हल्द्वानी (नैनीताल), हवालबाग (अल्मोड़ा), थरकोट (पिथौरागढ़), हरिद्वार, शंकरपुर (देहरादून), पौड़ी, गोपेश्वर (चमोली) में स्थापित किये गये हैं। इन प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, राजस्व उप निरीक्षण (पटवारी/लेखपाल) एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों, एस0एच0जी0 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. इसके अतिरिक्त रोज़गार एवं स्वरोज़गार परक कार्यक्रमों, जलागम सम्बन्धी कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आदि विषयों पर प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह जनवरी, 2024 तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण जिसमें 44 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये कुल 1267 कर्मचारियों को नियोजन एवं क्रियान्वयन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 85 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये 3253 प्रशिक्षणार्थियों को रोज़गार एवं स्वरोज़गार (आजीविका एवं मनरेगा) सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। उक्त के अतिरिक्त 46 अन्य प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये कुल 1773 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल 175 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये 6293 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अध्याय 7
वाह्य सहायतित परियोजना

<u>ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना (REAP)</u>

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के वित पोषण से बाह्य सहायतित परियोजना "Rural Enterprise Acceleration Project- REAP (ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना)" स्वीकृत हुई है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के 13 जनपदो के सभी 95 विकासखण्डो में की जा रही है। परियोजना का लक्ष्य कृषि आधारित गतिविधियों में कृषि उपकरणों के उपयोग से महिला श्रम न्यूनीकरण एवं बुआई की लागत को कम करना एंव परियोजना अन्तर्गत गठित उत्पादक समूहों/आजीविका संघों को बैंको के माध्यम से वित्तीय सहयोग कराते हुये वित्तीय जोखिमों हेतु क्षमता विकास एवं आय अर्जक गतिविधियों में निवेश एवं ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहित करते हुये ग्रामीण परिवारों की आय को दोगुना करने में योगदान देना है।

परियोजना की अवधि संक्षिप्त विवरण :

परियोजना वर्ष 2022–23 से वर्ष 2028–29 तक कुल 7 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत gqbZ है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों के चयनित 95 विकासखण्डों में किया जा रहा है।

परियोजना क्षेत्रः

परियोजना राज्य के सभी 13 जनपदों में संचालित की जायेगी। उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) द्वारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं देहरादून जनपदों के सभी 95 विकासखण्डों में परियोजना का क्रियान्वयन ILSP एवं USRLM द्वारा गठित ग्रामीण सामुदायिक संगठनों के द्वारा ग्रामीण उद्यमों की स्थापना के उद्देश्य से किया जायेगा।

उपरोक्त सभी जनपदों में उत्पादक समूह व आजीविका संगठनों द्वारा स्थापित उद्यमों में वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण का कार्य, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी (उपासक) के द्वारा करवाया जा रहा है। उपासक, कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की संस्था है।

परियोजना के घटक

घटक–1) बाजार आधारित – समावेशी क्लस्टर विकास	आजीविका विविधीकरण, क्लस्टर आधारित कृषि व्यवसाय विकास, संस्थागत विकास, उत्पादन और विपणन सहायता, उद्यम समर्थन।
घटक–2) उद्यम विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र	समर्थन सेवाओं और बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्थायी वित्त तक पहुंच, नवाचार और व्यापार को बढ़ाना।
घटक–3) परियोजना प्रबंधन और ज्ञान प्रबंधन	परियोजना प्रबंधन, समन्वय, ज्ञान प्रबंधन, योजना, निगरानी और मूल्यांकन।

परियोजना की लागत एवं सहभागी अंशदानः

परियोजना की कुल लागत 2789.27 करोड़ है, जिसकी वित्तीय संरचना, वित्तीय सहभागियों के विवरण निम्नानुसार है–

परियोजना की वित्तीय संरचना में सहभागियों का अंश (Financial Structure)	धनराशि (करोड में)	%
अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) से ऋण	771.75	27.7%
उत्तराखण्ड सरकार (GoUK) का अंश	187.09	6.7%
Subtotal A	**958.84**	**34.37%**
रेखीय विभागों से अभिसरण (Convergence)	352.88	12.7%
उपासक कम्पनी (UPASaC) का अंश	2.48	0.1%
लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण उद्यमों हेतु बैंको द्वारा ऋण आदि	1386.50	49.71%
लाभार्थी अंशदान (Beneficiaries Contribution)	88.58	3.2%
Subtotal B	**1830.44**	**65.63%**
Total (A+B)	**2,789.27**	**100%**

परियोजना प्रगति विवरण – भौतिक प्रगति				
कस.	विवरण	कुल लक्ष्य	प्रगति	प्रगति %
1	जनपद कार्यालय स्थापना	13	13	100
2	परियोजना अंतर्गत आच्छान्दित परिवार	300000	262309	87
3	अति गरीब परिवारों को विशेष पैकेज	6077	6077	100
4	कार्य बोझ में कमी हेतु फार्म मशीनरी बैंक	67	67	100
4	पशु सखियों का प्रशिक्षण	950	350	37
5	क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन को सहयोग	224	224	100
6	आजीविका संघों को सहयोग	161	151	94
7	लाभार्थी शेयरधन सहयोग	104916	68439	65
8	किसानों को जलवायु आधारित कृषि प्रशिक्षण	7,875	4750	60
9	ग्रामीण उद्यम – कृषि आधारित एवं गैर–कृषि आधारित (व्यक्तिगत)	2747	1460	53
11	ग्रामीण उद्यम – कृषि आधारित एवं गैर–कृषि आधारित (समुदाय)	92	20	22
13	समुदाय को बैंकिग लिंकेज (रू. करोड़)	479	390.2	81
14	युवा कौशल विकास प्रशिक्षण–डी.डी.यू.जी.के.वाई. के साथ समन्वयन	20,950	14167	68

परियोजना प्रगति विवरण – वित्तीय

Particulars	Component / Sub Component	AWPB 2023-24	Progress till 15.01.2024	%
Com1	Inclusive cluster development - समावेशी क्लस्टर विकास			
Sub-com 1.1.1	Livelihoods diversification and enterprise development (A) आजीविका विविधीकरण एवं उद्यम विकास	112.07	42.30	37.75
Sub-com 1.1.2	Livelihoods diversification and enterprise development (B) आजीविका विविधीकरण एवं उद्यम विकास	38.53	11.20	29.06
Sub-comp1.2.	Institutional strengthening of CBOs and partnerships सामुदायिक संगठनों की संगठनात्मक मजबूती व हिस्सेदारी	37.42	10.75	28.73
	Sub Total Component 1	188.01	64.25	34.17
Component 2	Ecosystem and enabling services for enterprise development - उद्यम विकास की पारिस्थितिकी तंत्र, सहयोगी सेवाएं			
Sub-comp 2.1	Strengthening Support services and market infrastructure सहयोगी सेंवाओं व विपणन ढ़ांचा को मजबूत करना।	7.08	0.61	8.69
Sub-comp 2.2	Rural Financial Services ग्रामीण वित्तीय सेंवाएं	230.90	226.17	97.95

	Sub Total Component 2	237.99	226.78	95.29
Component 3	Project Management, M&E & KM परियोजना प्रबंधन, मूल्यांकन व अनुश्रवण तथा ज्ञान प्रबंधन	45.20	19.61	43.39
	Subtotal Component 3	45.20	19.61	43.39
	Grand Total	471.20	310.64	65.93

अध्याय 8
ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग

अन्र्तराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा उत्तराखण्ड राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 85 प्रतिशत भाग पर्वतीय है। परन्तु पर्वतीय जनपदों में राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण आंचलों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धिदर 1.3% थी जो कि राज्य औसत से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहा पलायन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

उत्तराखंड में पलायन की ज्वलन्त समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 को ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन सुनिश्चित किया। आयोग के नाम को 06 अक्टूबर 2022 को परिवर्तित करते हुए **''ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड''** रखा गया। सरकार द्वारा आयोग हेतु निम्नवत कार्यक्षेत्रों का आंवटन किया गया है।

1. राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का आंकलन करना।
2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टीकोण विकसित करना जो पलायन की गंभीरता को कम कर ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
3. जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर सयुंक्त रूप से हो।
4. राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजना की सिफारिशें प्रस्तुत करना।
5. विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो।
6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य मामलो में सिफारिशें प्रस्तुत करना।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा गठन के उपरान्त से आतिथि तक पलायन की ज्वलन्त समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 21 रिपोर्टें सरकार को प्रदत्त कर चुका है जिनका विवरण इस प्रकार है।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग हेतु आंवटित कार्यक्षेत्र

1. उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में **पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट – 01**
2. प्रकृति आधारित पर्यटन **(ईको टूरिज्म) विश्लेषण एवं सिफारिशें–01**
3. राज्य के अन्र्तगतके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने हेतु जनपदों **(पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चम्पावत, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर)** पर आधारित सिफारिशों वाली रिपोर्टे **–13**
4. **ग्राम्य विकास के क्षेत्र में** योजनाओं का विश्लेषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें **–01**
5. COVID-19 के प्रकोप के दौरान राज्य में लौटे प्रवासी–आंकड़े, विश्लेषण एवं उनके पुनर्वास पर आधारित सिफारिशें **–04**
6. उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय सर्वेक्षण **–01**

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर प्रथम अंतरिम रिपोर्ट, अप्रैल, 2018 के मुख्य अंश :

- आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य के प्रत्येक जनपद में आंशिक रूप से पलायन करने वालों की संख्या, पूर्ण रूप से पलायन करने वालों की संख्या से अधिक है। पिछले **10 वर्षो में राज्य के 6338 ग्राम पंचायतों से कुल 3,83,726 लोगों ने आंशिक रूप से पलायन** किया है, हालांकि यह लोग समय–समय पर अपने गांवों–घरों को आते हैं तथा पूर्ण रूप से पलायन नहीं किया है। इन्हीं **10 वर्षो में राज्य के 3946 ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोगों ने पूर्ण रूप से पलायन** किया है।
- राज्य के अन्तर्गत पलायन करने वालों में **42 प्रतिशत 26–35 आयुवर्ग** के है, जिसमें चम्पावत का अधिक योगदान है। **29 प्रतिशत 35 वर्ष से अधिक आयुवर्ग** तथा **28 प्रतिशत 25 वर्ष की कम आयुवर्ग** के हैं।
- राज्य के अन्तर्गत लगभग **70 प्रतिशत लोग ने राज्य के भीतर ही** (नजदीकी कस्बा, जिला मुख्यालय या अन्य जनपद) में पलायन किया है। 29 प्रतिशत लोगों ने राज्य से बाहर पलायन किया है, तथा 1 प्रतिशत लोगों ने राष्ट्र से बाहर पलायन किया है।
- 2011 की जनगणना के पश्चात् **734 ग्राम/तोक/मजरा पूर्णतः गैर आबाद** हुए हैं।
- 2011 की जनगणना के पश्चात् **565 ग्राम/तोक/मजरा की आबादी में 50 प्रतिशत की कमी** हुई है।
- राज्य **में 850 ऐसे ग्राम भी हैं जिनमें पिछले 10 वर्षो में अन्यत्र से लोग आकर बसे** हैं।
- **पौड़ी तथा अल्मोड़ा** जनपद में वर्ष **2001–2011 के बीच कुल 17,868 व्यक्तियों ने पलायन** किया है।
- पलायन की गति इतनी तीव्र है कि **कई ग्रामों की जनसंख्या आंकड़े एकल संख्या** में पहुँच गए हैं।

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट, फरवरी, 2023 के मुख्य अंश

- आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य के प्रत्येक जनपद में आंशिक रूप से पलायन करने वालों की संख्या, पूर्ण रूप से पलायन करने वालों की संख्या से अधिक है। वर्ष 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य राज्यान्तर्गत 92 विकासखण्डों की 6436 ग्राम पंचायतों से कुल 3,07,310 लोगों ने आंशिक रूप से पलायन किया है, हालांकि यह लोग समय–समय पर अपने गांवों–घरों को आते हैं तथा पूर्ण रूप से पलायन नहीं किया है। इसी समयावधि में राज्यान्तर्गत 77 विकासखण्डों की 2067 ग्राम पंचायतों से 28,531 लोगों ने पूर्ण रूप से पलायन किया है।
- राज्य के 83 विकासखण्डों के अर्न्तगत 1294 ग्राम पंचायतों ऐसी हैं जिनमें वर्श 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य में पलायन पर अंकुष लगा है।
- राज्य के 95 विकासखण्डों में से जनपद ऊद्यमसिंह नगर के विकासखण्ड सितारगंज तथा जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर एवं खानपुर में वर्श 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य में पलायन पर अंकुष लगा है।
- प्रथम अंतरिम रिपोर्ट की अपेक्षा द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट में अस्थायी पलायन के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी हुई।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे स्थायी पलायन हेतु आयोग द्वारा प्रकाषित प्रथम अंतरिम रिपोर्ट की अपेक्षा द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के आंकड़ों में जनपद हरिद्वार को छोड़ते हुए अन्य जनपदों के अन्तर्गत काफी हद तक अंकुष लगा।
- जनपद हरिद्वार, ऊद्यमसिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाषी, पिथौरागढ़ व चम्पावत में अस्थायी पलायन का प्रभाव अधिक है।
- रूद्रप्रयाग, बागेष्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली व देहरादून जनपदों में काफी हद तक अस्थायी पलायन पर अंकुष लगा है।

आयोग की प्रथम एवं द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट में अस्थायी पलायन का जनपदवार विवरण			
क्र0स0	जनपद	अस्थायी पलायन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/घर आना–जाना लगा रहता हो/अस्थायी रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	
		प्रथम अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार अस्थायी पलायन	द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार अस्थायी पलायन
1	हरिद्वार	8168	28087
2	उद्यमसिंह नगर	6064	19583
3	अल्मोडा	53611	54519
4	नैनीताल	20951	20863
5	उत्तरकाशी	19893	19649
6	पिथौरागढ़	31786	25715
7	चम्पावत	20332	13711
8	रूद्रप्रयाग	22735	14593
9	बागेश्वर	23388	14503
10	पौड़ी	47488	29093
11	टिहरी	71509	41359
12	चमोली	32020	16326
13	देहरादून	25781	9309
योग उत्तराखण्ड		**383726**	**307310**

आयोग की प्रथम एवं द्वितीय अंतरिम सर्वेक्षण में स्थायी पलायन का जनपदवार विवरण			
क्र0स0	जनपद	स्थायी पलायन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो/अपनी जमीन बेच चुके हों अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हों तथा बहुत कम गांव आना होता हो)	
		प्रथम अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार स्थायी पलायन	द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार स्थायी पलायन
1	हरिद्वार	1251	1029
2	नैनीताल	4823	2014
3	अल्मोडा	16207	5926
4	उत्तरकाशी	2727	900
5	टिहरी	18830	5653
6	बागेश्वर	5912	1403
7	पौड़ी	25584	5474
8	चम्पावत	7886	1588
9	पिथौरागढ़	9883	1713
10	चमोली	14289	1722
11	देहरादून	2802	312
12	रूद्रप्रयाग	7835	715
13	उद्यमसिंह नगर	952	82
उत्तराखण्ड		**118981**	**28531**

- राज्य के अन्तर्गत लगभग **76.94 प्रतिशत लोग ने राज्य के भीतर ही** (नजदीकी कस्बा, जिला मुख्यालय या अन्य जनपद) में पलायन किया है। 21.80 प्रतिशत लोगों ने राज्य से बाहर पलायन किया है, तथा 1.26 प्रतिशत लोगों ने राष्ट्र से बाहर पलायन किया है।
- आयोग की प्रथम अंतरिम रिपोर्ट एवं द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राज्य के अन्य जनपदों एवं राज्य से बाहर की ओर होने वाले पलायन के आंकड़ों में गिरावट तथा नजदीकी कस्बों एवं जनपद मुख्यालय की ओर हो रहे पलायन के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी देखने को मिलना, पलायन पर अंकुश लगने की ओर संकेत करता है।

राज्य में वर्ष 2018 के पश्चात् ग्राम पंचायत से अस्थायी एवं स्थायी पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में) का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण							
क्र0 स0	जनपद	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय में	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	योग
1	अल्मोडा	20.41%	13.02%	27.19%	38.67%	0.72%	100%
2	बागेश्वर	27.07%	20.06%	26.99%	24.88%	1.00%	100%
3	चमोली	36.36%	18.99%	32.06%	12.03%	0.56%	100%
4	चम्पावत	30.90%	18.57%	20.63%	29.44%	0.46%	100%
5	देहरादून	54.24%	25.62%	8.43%	11.57%	0.14%	100%
6	हरिद्वार	54.52%	16.08%	17.72%	10.23%	1.45%	100%
7	नैनीताल	52.34%	15.84%	15.54%	15.59%	0.69%	100%
8	पौड़ी	18.31%	8.32%	35.89%	36.99%	0.48%	100%
9	पिथौरागढ़	25.31%	24.38%	27.85%	21.93%	0.54%	100%
10	रूद्रप्रयाग	21.27%	12.62%	32.66%	29.30%	4.14%	100%
11	टिहरी	30.64%	13.66%	30.34%	22.20%	3.17%	100%
12	उद्यमसिंह नगर	38.27%	23.34%	14.51%	21.83%	2.04%	100%
13	उत्तरकाशी	51.42%	21.71%	17.14%	8.69%	1.04%	100%
राज्योग		**35.47%**	**17.86%**	**23.61%**	**21.80%**	**1.26%**	**100%**
2018 में प्रथम पलायन संबंधी सर्वेक्षण का राज्योग		19.46%	15.18%	35.69%	28.72%	0.96%	100%
प्रथम व द्वितीय सर्वेक्षण में बदलाव		**16.01%**	**2.68%**	**-12.08%**	**-6.92%**	**0.30%**	NA

- वर्ष 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य 24 ग्राम/तोक/मजरा पूर्णतः गैर आबाद हुए हैं।
- वर्ष 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य 09 ग्राम/तोक/मजरा की आबादी में 50 प्रतिशत की कमी हुई है।
- राज्य में 398 ऐसे ग्राम भी हैं जिनमें वर्ष 2018 से सितम्बर 2022 के मध्य अन्यत्र से लोग आकर बसे हैं।
- द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट के अुनसार राज्यान्तर्गत 6286 राजस्व ग्राम/तोक/मजरा ऐसे हैं जो कि द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट की समयावधि तक सड़क सुविधा से वंचित हैं।
- सड़क मार्ग से 10 किमी से अधिक की दूरी पर 82 राजस्व ग्राम/तोक/मजरे अवस्थित हैं।
- 376 राजस्व ग्राम/तोक/मजरे 06 से 10 किमी की दूरी पर अवस्थित हैं।

राज्य में जनवरी 2018 के बाद ग्राम पंचायत के ऐसे राजस्व ग्राम/तोक/मजरा जो सड़क मार्ग से वंचित अभी भी है का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण						
क्र0 स0	जनपद	विकास खण्ड	राजस्व ग्राम/तोक/मजरों की संख्या	सड़क मार्ग की दूरी (किमी में)		
				0–5	6–10	10 से अधिक
1	अल्मोडा	11	1055	1013	37	5
2	पौड़ी	15	934	877	57	0
3	पिथौरागढ़	8	922	834	54	34
4	टिहरी	9	825	770	52	3
5	चमोली	9	555	519	22	14
6	नैनीताल	8	529	492	30	7
7	चम्पावत	4	358	314	36	8
8	बागेश्वर	3	354	331	22	1
9	उत्तरकाशी	6	265	224	32	9
10	रूद्रप्रयाग	3	251	240	10	1
11	देहरादून	5	234	210	24	0
12	उद्यमसिंह नगर	3	4	4	0	0
13	हरिद्वार	0	0	0	0	0
राज्य योग		**84**	**6286**	**5828**	**376**	**82**

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा गठन के उपरान्त से आतिथि तक पलायन की ज्वलन्त समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 21 सिफारिश युक्त रिपोर्ट सरकार को प्रदत्त कर चुका है। आयोग की प्रदत्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY), मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (MPRY), मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (MBADP), 531 माध्यमिक स्कूलों में व्यवसायिक पढ़ाई का शुभारम्भ जैसी योजनाओं का संचालन किया गया।